Wednesday, 29 November, 1961

लोक-सभा
वाद-विवाद

Chamber Fumigated 18/X/83

द्वितीय माला

खण्ड ५९, १९६१/१८८३ (शक)

[२० से ३० नवम्बर, १९६१/२९ कार्तिक से १० अग्रहायण १८८३ (शक)]

2nd Lok Sabha

Preservation Unit
14-5-97
Fumigated
On 5-12-83
Parliament Library

पन्द्रहवां सत्र, १९६१/१८८३ (शक)

(खण्ड ५९ में अंक १ से १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

विषय सूची

[द्वितीय माला, खण्ड ५६——अंक १ से १०——२० नवम्बर से १ दिसम्बर, १९६१/२९ कार्तिक से १० अग्रहायण, १८८३ (शक)]

अंक १——सोमवार, २० नवम्बर, १९६१/२९ कार्तिक, १८८३ (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न* संख्या १ से ४, ६ से ११, २१, १२ और १३	१–२६
प्रश्नों के लिखित उत्तर——	
तारांकित प्रश्न संख्या ५, १४ से २० और २२ से ५७ . .	२६–५१
अतारांकित प्रश्न संख्या १ से ७४, ७६ और ७७ . .	५१–८६
दिनांक १३-३-१९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १५१६ के उत्तर में शुद्धि .	८६
निधन सम्बन्धी उल्लेख	
स्थगन प्रस्ताव——	
(१) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के मामले और उत्तर प्रदेश में साम्प्रदायिक दंगे	८७–९०
(२) राजनैतिक दलों को मान्यता देने के बारे में चुनाव आयोग का निर्णय	९०–९२
(३) पाकिस्तान के सैनिक न्यायाधिकरण के द्वारा कर्नल भट्टाचार्य ी दोषसिद्धि	९२–९५
(४) लद्दाख क्षेत्र में चीनियों के घुस आने की घटनायें	९५–९६
सभा पटल पर रखे गये पत्र	९७–१००
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	१०१
तारांकित प्रश्न संख्या १३३५ के उत्तर में शुद्धि . .	१०१–०२
रेलवे दुर्घटनाओं के बारे में वक्तव्य	१०२–०८
पैट्रोलियम उत्पादों के आयात के बारे में वक्तव्य . . .	१०८–०९
प्रत्यर्पण विधेयक	१०९
संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापित करने के समय का बढ़ाया जाना .	१०९
चीनी (उत्पादन का विनियमन) विधेयक पुरस्थापित . .	१०९
चीनी (उत्पादन का विनियमन) अध्यादेश के बारे में वक्तव्य . .	११०
प्रसूति लाभ विधेयक	११०–२४
विचार करने का प्रस्ताव	११०–२४
खंड २ से ३० तथा १	११४–२२
पारित करने का प्रस्ताव	१२२–२४
शिशिक्षु विधेयक	१२५–२८
विचार करने का प्रस्ताव	१२५–२८
दैनिक संक्षेपिका	१२९–३८

विषय	पृष्ठ
अंक २--मंगलवार, २१ नवम्बर, १९६१/३० कार्तिक, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या ५६, ६३, ६०, ६२, ६४, ६६ से ६६, ७१, ७२, ७६, ७८, ८०, ८१, ८२, ८५, ८७, ९१ तथा ८६	१३९–६५
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या* ५८, ६१, ६३, ६५, ७०, ७३ से ७५, ७७, ७९, ८३, ८४, ८६, ८८, ९०, ९२, ९४ से ११५	१६५–८४
अतारांकित प्रश्न संख्या ७८ से २०१	१८४–२३९
सदस्य की गिरफ्तारी और रिहाई	२४०
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२४०–४४
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति--	
नव्वेवां प्रतिवेदन	२४४
तारांकित प्रश्न संख्या १२४६ के उत्तर में शुद्धि	२४४–४५
समिति के लिये निर्वाचन	
पशु कल्याण बोर्ड	२४५
प्रौद्योगिकीय संस्थायें विधेयक--पुरस्थापित	२४५–४६
शिशिक्षु विधेयक	२४६–६६
विचार करने का प्रस्ताव	२४६–६२
खंड २ से ३८ और १	२६३–६४
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	२६४–६६
वेतन से स्वेच्छा से कटौती (कर से विमुक्ति) विधेयक १९६१	२६६–६८
पारित करने का प्रस्ताव	२६६–६७
खंड २ से ५ और १	२६७
पारित करने का प्रस्ताव	२६७–६८
उद्योग (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक	२६८–६९
पारित करने का प्रस्ताव	२६९
खंड २ और १	२६९
पारित करने का प्रस्ताव	२६९
उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक	२६९–७३
पारित करने का प्रस्ताव	२६९–७२
खंड २ से ४ और १	२७३
पारित करने का प्रस्ताव	२७३
कॉफी (संशोधन) विधेयक	२७३–७६
खंड २ से १४ और १	२७५–७६
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	२७६
दैनिक संक्षेपिका	२७७–८९

अंक ३——गुरुवार, २३ नवम्बर, १९६१/२ अग्रहायण, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर——

तारांकित प्रश्न* संख्या ११६, ११८ से १२४, १३१, २०१, १२५, १६७ और १३० . . . . . . २९२—३१५

प्रश्नों के लिखित उत्तर——

तारांकित प्रश्न संख्या ११७, १२६ से १२९, १३२ से १६६, १६८ से २०० और २०२ से २०७ . . . . . ३१६—५३

अतारांकित प्रश्न संख्या २०२ से २२२, २२४ से ३३५ और ३३७ से ३६२ ३५४——४२४

स्थगन प्रस्ताव के बारे में ४२४

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . . . ४२४—२८

विधेयक पर समिति के बारे में . . . . . . ४२८——२९

आगामी सामान्य निर्वाचन के कार्य क्रम के बारे में वक्तव्य . . . ४२९—३१

असम नगरपालिका (मनीपुर संशोधन) विधेयक . . ४३१—३४

विचार करने का प्रस्ताव . . . . . ४३१——३३

खंड २ से ७ तथा १ . . . . . ४३४

पारित करने का प्रस्ताव ४३४

भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) संशोधन विधेयक . . ४३४——३९

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ४३४—३८

खंड १ से ७ . . . . . . ४३९

पारित करने का प्रस्ताव ४३९

विदेशी पंचाट (मान्यता देना और लागू करना) विधेयक . ४३९——४०

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . ४३९——४०

खंड १ से ११ . . . . ४४०

पारित करने का प्रस्ताव ४४०

हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव ४४०——४८

दैनिक संक्षेपिक . . . . ४४९——६३

अंक ४——शुक्रवार, २४ नवम्बर, १९६१/३ अग्रहायण, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर——

तारांकित प्रश्न संख्या २०९ से २१६ . . . . ४६५——८७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०८ और २१७ से २४७ ४८७——५०३

अतारांकित प्रश्न संख्या ३६३ से ४६० ५०३——४४

स्थगन प्रस्ताव——

पुर्तगाली अधिकारियों द्वारा एक यात्री स्टीमर पर कथित गोलीबारी ५४४-४५

विवरण में शुद्धि . . ५४५-४६

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ५४६-४७

विषय पृष्ठ

सभा का कार्य ५४८

राज्य उपक्रमों सम्बन्धी संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव . . ५४८–५९

प्राद्योगिकीय संस्थायें विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . ५६०–६१

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—

नव्वेवां प्रतिवेदन ५६१

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस तथा रास बिहारी बसु की अस्थियों के बारे में संकल्प ५६१—७१

गोआ, दमन और दीव से पुर्तगालियों को हटने के बारे में संकल्प . . ४७१—८३

दैनिक संक्षेपिका . . . . ५८४—९१

अंक ५—शनिवार, २५ नवम्बर, १९६१/४ अग्रहायण, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २४८ से २५१, २५३ से २६०, २६२ से २६४, २६८, २६९ और २७० . . . ५९३—६१८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २५२, २६१, २६५ से २६७ और २७१ से ३०३ . ६१८—३६

अतारांकित प्रश्न संख्या ४६१ से ५९७ ६३६—७००

स्थगन प्रस्ताव के बारे में ७००

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना —

कच्चे पटसन के मूल्य . . . ७०१

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ७०१–०२

सभा का कार्य . . . ७०२–०३

समिति के लिये निर्वाचन—

भारतीय केन्द्रीय गरम मसाले और काजू समिति ७०३–०४

प्रौद्योगिकीय संस्थायें विधेयक . ७०४—११

विचार करने का प्रस्ताव . . ७०४—०९

खंड २ से ३९ और १ ७०९—११

पारित करने का प्रस्ताव . ७११

श्री हुमायून् कबिर . ७११

पंचायत राज के कार्य के बारे में प्रस्ताव ७११—३१

दैनिक संक्षेपिका . . . . ७३२—४०

अंक ६—सोमवार, २७ नवम्बर, १९६१/६ अग्रहायण, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३०४ से ३०७ और ३०९ से ३१६ . . ७४१—६३

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३०८ और ३१७ से ३६५ . . .	७६३–८६
अतारांकित प्रश्न संख्या ५६८ से ७०२ और ७०४ से ७०६ . .	७८६–८३५
स्थगन प्रस्ताव—	
(१) पुर्तगालियों द्वारा मछली पकड़ने वाली भारतीय नावों पर गोली चलाना	८३५–३६
(२) गाड़ियों का देर से चलना	८३६–३७
सभा पटल पर रखे गये पत्र	८३७–३८
विधेयक पर रायें	८३८
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), १९६१–६२ के बारे में विवरण .	८३८
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे), १९६१–६२ के बारे में विवरण .	८३८
तारांकित प्रश्न संख्या १२७९ के उत्तर में शुद्धि	८३९
तारांकित प्रश्न संख्या ११६७ के उत्तर में शुद्धि . .	८३९–४२
वित्त मंत्री की विदेश यात्रा के बारे में वक्तव्य	८३९–४२
पंचायत राज के कार्य के बारे में प्रस्ताव . . .	८४२–६१
चीनी (उत्पादन का विनियमन) संविहित अध्यादेश के बारे में संकल्प तथा चीनी (उत्पादन का विनियमन) विधेयक .	८६२–७९
विचार करने का प्रस्ताव	८६२–७९
सभा का कार्य	८७९–८०
दैनिक संक्षेपिका	८८१–९०
अंक ७—मंगलवार, २८ नवम्बर, १९६१/७ अग्रहायण, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३६६ से ३७५, ३७७ और ३७८ . .	८९१–९१४
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३७६ और ३७९ से ३९७ . .	९१४–२५
अतारांकित प्रश्न संख्या ७१० से ७७९ और ७८१ से ७८८ .	९२५–६४
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
कोयला खनन उद्योग में मजूरी का पुनरीक्षण . . .	९६४–६५
भारत और चीन के सम्बन्धों के बारे में श्वेत पत्र संख्या ५ के सम्बन्ध में वक्तव्य	९६५–६८
सभा पटल पर रखे गये पत्र	९६९
तारांकित प्रश्न संख्या १११७ के उत्तर में शुद्धि . . .	९६९–७०
विधेयक पुरस्थापित—	
(१) भारतीय रेलवे (दूसरा संशोधन) विधेयक . .	९७०

विषय	पृष्ठ
(२) लोह अयस्क खान श्रमिक कल्याण उपकर विधेयक .	९७०
(३) टेलीग्राफ की तारें (अवैध रूप से रखना) संशोधन वि `यक	९७०–७१
चीनी (उत्पादन का अधिनियमन) अध्यादेश के बारे में संकल्प	
तथा	
चीनी (उत्पादन का विनियमन) विधेयक .	९७१–९९
विचार करने का प्रस्ताव . . .	९७१–८९
खंड १ से ८	९८९–९०
पारित करने का प्रस्ताव	९९०–९१
इंडियन रिफाइनरीज लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन के बारे में संकल्प .	९९१–१०००
दैनिक संक्षेपिका	१००१–०६
अंक ८—बुधवार, २९ नवम्बर, १९६१/८ अग्रहायण, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३९८, ३९९, ४०२, ४०५ से ४०८, ४११, ४१४ से ४१९	१००७–२८
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ४००, ४०१, ४०४, ४०९, ४१०, ४१२, ४१३, ४२० से ४२६, ४२८ से ४३१	१०२९–३६
अतारांकित प्रश्न संख्या ७८९ से ९०६ . . .	१०३६–८९
स्थगन प्रस्ताव—	
पाकिस्तानी सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा भारतीय अधिकारि ों को परेशान किया जाना	१०८९–९२
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१०९२–९३
राज्य सभा से संदेश	१०९३
तारांकित प्रश्न संख्या ११२८ के उत्तर में शुद्धि . . .	१०९४–९५
कर्नल भट्टाचार्य की दोषसिद्धि और कारावास के बारे में चर्चा . .	१०९५–११०८
संघ लोक सेवा आयोग के दसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . .	११०८–१८
दैनिक संक्षेपिका	१११९–२६
अंक ९—गुरुवार, ३० नवम्बर, १९६१/९ अग्रहायण, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ४३२ से ४३४, ४३६ से ४४० . .	११२७–४९
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ४३५ और ४४१ से ४६० . . .	११४९–७१
अतारांकित प्रश्न संख्या ९०७ से ९१८, ९२० से ९४६ और ९४८ से १०००	११७१–१२११

विषय	पृष्ठ
स्थगन प्रस्ताव—	
(१) कांगो को परिस्थिति और संयुक्त राष्ट्र संघ की कमान में रहने वाली भारतीय सेना के लिए असुरक्षा .	१२११–१४
(२) गोआ सीमा पर पुर्तगाली सेना का कथित जमाव . .	१२१४–१५
(३) पुर्तगालियों की यातना से गोआ के देश भक्त की हवालात में कथित मृत्यु	१२१५–१६
(४) उड़ीसा में भारत के गलत नक्शों का प्रकाशन, जिनमें काश्मीर को पाकिस्तान का भाग दिखाया गया . . .	१२१६–१७
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
फरक्का बांध को बनाने में कथित विलम्ब . . .	१२१७
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . .	१२१७–१६
सदस्य की दोष सिद्धि	१२२०
प्रत्यर्पण विधेयक—	
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन	१२२०
विधेयक पुरस्थापित—	
(१) संविधान (ग्यारहवां संशोधन) विधेयक, १९६१ .	१२२०
(२) भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक, १९६१ .	१२२०–२१
संघ लोक सेवा आयोग के दसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . .	११२१–३२
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे), १९६१–६२ . . .	१२३२–४२
डाक्टरों की कमी के बारे में आधे घण्टे की चर्चा . . .	१२४३–४५
दैनिक संक्षेपिका	१२४६–५५
अंक १०—शुक्रवार, १ दिसम्बर, १९६१/१० अग्रहायण, १८८३ (शक)	
निधन सम्बन्धी उल्लेख	१२५७
सभा की कार्यवाही	१२५७
दैनिक संक्षेपिका	१२५८

नोट :—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

GMGIPND—LS-III—1627LS—4-1-62—125

लोक-सभा

सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

अ

अंजनप्पा, श्री ब० (नेल्लोर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

अगाड़ी, श्री स० अ० (कोप्पल)

अग्रवाल, श्री मानकभाई (मन्दसौर)

अचमम्बा, डा० को० (विजयवाड़ा)

अचल सिंह, सेठ (आगरा)

अचिंत राम, लाला (पटियाला)

अजित सिंह, श्री (भटिण्डा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

अणे, डा० माधव श्री हरि (नागपुर)

अनिरुद्ध सिंह, श्री (मधुबनी)

अब्दुर्रहमान, मौलवी (जम्मू तथा काश्मीर)

अब्दुल रशीद, बख्शी (जम्मू तथा काश्मीर)

अब्दुल लतीफ, श्री (बिजनौर)

अब्दुल सलाम, श्री (तिरुचिरापल्ली)

अमजद अली, श्री (धुबरी)

अम्बलम्, श्री सुब्बया (रामनाथपुरम)

अय्यंगार, श्री म० अनन्तशयनम् (चित्तूर)

अय्यर, श्री ईश्वर (त्रिवेन्द्रम)

अय्याकण्णु, श्री (नागपट्टिनम्—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

अरुमुगम, श्री रा० सी० (श्री बिल्लीपुतुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

अरुमुगम श्री स० र० (नामक्कल—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

अवस्थी, श्री जगदीश (बिल्हौर)

अशण्णा, श्री (आदिलाबाद)

अष्ठाना, श्री लीलाधर (उन्नाव)

1434(Ai) LSD—1

आ

आचार, श्री क० र० (मंगलौर)

आल्वा, श्री जोकीम (कनारा)

आसर, श्री प्रेमजी र० (रत्नागिरी)

इ

इकबाल सिंह, सरदार (फीरोजपुर)

इलयापेरुमाल, श्री ल० (चिदाम्बरम्—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

इलियास, श्री मुहम्मद (हावड़ा)

ई

ईयाचरण, श्री व० (पालघाट)

उ

उइके, श्री मं० गा० (मंडला—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

उपाध्याय, पंडित मुनिश्वर दत्त (प्रतापगढ़)

उपाध्याय, श्री शिवदत्त (रीवा)

उमराव सिंह, श्री (घोसी)

ए

एन्थनी, श्री फ्रेंक (नाम निर्देशित—आंग्ल भारतीय)

एरिंग, श्री डा० (उत्तर पूर्व सीमांत प्रदेश)

ओ

ओंकार लाल, श्री (कोटा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

ओझा, श्री घनश्याम लाल (झालावाड़)

क

कटकी, श्री लीलाधर (नौगांव)

कट्टी, श्री द० अ० (चिकोड़ी)

कनकसबै, श्री (चिदाम्बरम्)

कमल सिंह, श्री (बक्सर)

कयाल, श्री परेश नाथ (बसिरहाट—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

करमरकर, श्री द० प० (धारवाड़—उत्तर)

कर्णी सिंह जी, श्री (बीकानेर)

कानूनगो, श्री नित्यानन्द (कटक)

कामले, डा० देवराज नामदेवराव (नांदेड़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

कामले, श्री बा० चं० (कोपरगांव)

कार, श्री प्रभात (हुगली)

कालिका सिंह, श्री (आजमगढ़)

क—(क्रमशः)

काशीराम, श्री व० (नलगोंडा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

कासलीवाल, श्री नेमीचन्द्र (कोटा)

किलेदार, श्री रघुनाथ सिंह (होशंगाबाद)

किस्तैया, श्री सुरती (बस्तर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

कुन्हन, श्री (पालघाट—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

कुमारन, श्री मेलकुलन्जरा कन्नन (चिरयिन्कील)

कुम्भार, श्री बनमाली (सम्बलपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

कुरील, श्री बैजनाथ (रायबरेली—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

कृपालानी, आचार्य (सीतामढ़ी)

कृष्ण, श्री मं० रं० (करीमनगर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

कृष्ण चन्द्र, श्री (जलेसर)

कृष्णप्पा, श्री मो० वें० (तमकुर)

कृष्णमाचारी, श्री ति० त० (मद्रास दक्षिण)

कृष्णराव, श्री मं० वें० (मसुलीपट्टनम्)

कृष्णस्वामी, डा० (चिंगलपट)

कृष्णप्पा, श्री दू० बलराम (गुडिवाडा)

केदरिया, श्री छगनलाल म० (मांडवी—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

केशव, श्री न० (बंगलौर नगर)

केसकर, डा० बा० वि० (मुसाफिरखाना)

केसर कुमारी देवी, श्रीमती (रायपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

कोडियान, श्री (क्विलोम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

कोरटकर, श्री विनायकराव (हैदराबाद)

कोट्ट कप्पल्ली, श्री जार्ज थामस (मवात्तु पुजा)

ख

खां, श्री उस्मान, अली (कुरनूल)

खां, श्री शाहनवाज़ (मेरठ)

खां, श्री सादत अली (वारंगल)

खाडिलकर, श्री र० के० (अहमदनगर)

खादीवाला, श्री कन्हैयालाल (इन्दौर)

खीमजी, श्री भवनजी अ० (कच्छ)

ख्वाजा, श्री जमाल (अलीगढ़)

ग

गंगा देवी, श्रीमती (उन्नाव—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

गणपति, श्री (तिरुचिन्दूर)

गणपति राम, श्री (ज़ौनपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

गणपति सहाय, श्री (सुल्तानपुर)

गांधी, श्री माणिकलाल मगनलाल (पंच महल)

गायकवाड़, श्री भाऊराव कृष्णराव (नासिक)

गायकवाड़, श्री फतेहसिंह राव प्रताप सिंह राव (बड़ौदा)

गुप्त, श्री इन्द्रजीत (कलकत्ता—दक्षिण पश्चिम)

गुप्त, श्री छेदा लाल (हरदोई)

गुप्त, श्री राम कृष्ण (महेन्द्रगढ़)

गुप्त, श्री साधन (कलकत्ता—पूर्व)

गुह, श्री अरुण चन्द्र (बारसाट)

गोडसोरा, श्री शम्भू चरण (सिंहभूम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

गोपालन, श्री अ० क० (कासरगोड़)

गोरे, श्री नारायण गणेश (पूना)

गोविन्द दास, डा० (जबलपुर)

गोहोकर, डा० देवराव यशवन्त राव (यवतमाल)

गौंडर, श्री षनमुध (तिंडीवनम्)

गौंडर, श्री दुरायस्वामी (तिरुपत्तर)

गौंडर, श्री क० पेरियास्वामी (करूर)

गौतम, श्री (बालाघाट)

घ

घोडासर, श्री फतहसिंहजी (करा)

घोष, श्री अतुल्य (आसनसोल)

घोष, श्री नलिनी रंजन (कूच बिहार)

घोष, श्री महेन्द्रकुमार (जमशेदपुर)

घोष, श्री सुबिमन (बर्दवान)

घोषाल, श्री अरविन्द (उलुबेरिया)

च

चक्रवर्ती, श्रीमती रेणु (बसिरहाट)

चतुर्वेदी, श्री रोहनलाल (एटा)

चन्दा, श्री अनिल कु० (वीरभूम)

च—(क्रमशः)

चन्द्रशंकर, श्री (भड़ौच)
चन्द्रामणि, कालो, श्री (सुन्दरगढ़—रक्षित—अनुसूजित आदिम जातिया)
चावल, श्री दा० रा० (कराड़)
चांडक, श्री बी० ल० (चिन्दवाड़ा),
चावदा, श्री अकबर भाई (बनस्कंठा)
चुनीलाल, श्री (अम्बाला—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
चेट्टियार, श्री रामनाथन् (पुदुकोटै)
चौधरी, श्री चन्द्रामणि लाल (हाजीपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
चौधरी, श्री त्रिदिब कुमार (बरहामपुर)
चौधरी, श्री सुं० चं० (दुमका)

ज

जगजीवन राम, श्री (सहसराम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
जमीर, श्री चुबातोशी (नागा पहाड़ियां—तुएनसांग प्रदेश)
जयपाल सिंह, श्री (रांची—पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
जांगड़े, श्री रेशम लाल (बिलासपुर)
जाधव, श्री यादव नारायण (मालेगांव)
जीनचन्द्रन्, श्री (टेल्लीचेरी)
जेधे, श्री गुलाब राव केशव राव (बारामती)
जेना, श्री कान्हुचरण (बालासोर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
जैन, श्री अजित प्रसाद (सहारनपुर)
जैन, श्री मूल चन्द (कैथल)
जोगेन्द्रसिंह, सरदार (बहराइच)
जोगेन्द्र सेन, श्री (मंडी)
जोशी, श्री आनन्द चन्द्र (शाहडोल)
जोशी, श्री लीलाधर (शाजापुर)
जोशी, श्रीमती सुभद्रा (अम्बाला)
ज्योतिषी, पंडित ज्वाला प्रसाद (सागर)

झ

झुनझुनवाला, श्री बनारसी प्रसाद (भागलपुर)
झूलन सिंह, श्री (सीवन)

ट

टांटिया, श्री रामेश्वर (सीकर)

ठ

ठाकुर, श्री मोतीसिंह बहादुर सिंह (पाटन)

ड

डांगे, श्रीपाद अमृत (बम्बई नगर--मध्य)
डामर, श्री अमर सिंह (झाबुआ--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)
डिन्डोड, श्री जाल्जीभाई कोयाभाई (दोहद--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)

त

तंगामणि, श्री (मदुरै)
तारिक, श्री अली मोहम्मद (जम्मू तथा काश्मीर)
ताहिर, श्री मुहम्मद (किसनगंज)
तिम्मय्या, श्री डोडा (कोलार--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
तिवारी, पंडित द्वारिका नाथ (केसरिया)
तिवारी, पंडित बाबूलाल (निमाड़--खंडवा)
तिवारी, श्री द्वारिका नाथ (कचार)
तिवारी, श्री राम सहाय (खजुराहो)
तुलाराम, श्री (इटावा--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
तेवर, श्री उ० मथुरमलिंग (श्री विल्लीपुत्तूर)
त्यागी, श्री महाबीर (देहरादून)

थ

थामस, श्री अ० म० (एरणाकुलम)

द

दलजीत सिंह, श्री (कांगड़ा--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
दातार, श्री ब० ना० (बेलगाम)
दामानी, श्री सू० र० (जालोर)
दास, श्री कमल कृष्ण (वीरभूम--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
दास, श्री नयन तारा (मुंगेर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
दास, डा० मन मोहन (आसनसोल--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
दासगुप्त, श्री विभूति भूषण (पुरुलिया)
दासप्पा, श्री (बंगलौर)
दिगे, श्री शंकरराव खंडेराव (कोल्हापुर--रक्षित--अनुसूचित --जातियां)
दिनेश सिंह, श्री (बांदा)
दुब, श्री मूलचन्द (फर्रुखाबाद)
दुबलिश, श्री विष्णुशरण (सरधना)

द—(क्रमशः)

देब, श्री दशरथ (त्रिपुरा)
देब, श्री नरसिंह मल्ल (मिदनापुर)
देब, श्री प्र० गं० देब (अंगुल)
देव, श्री प्रताप केसरी (कालाहांडी)
देशमुख, डा० पंजाबराव शा० (अमरावती)
देशमुख, श्री कृ० गु० (रामटेक)
देसाई, श्री मोरारजी (सूरत)
दोरा, श्री दि० स० (पार्वतीपुरम्)
दोहड़, श्री शिवदीन (हरदोई—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
दौलता, श्री प्रताप सिंह (झज्जर)
द्विवेदी, श्री म० ला० (हमीरपुर)
द्विवेदी, श्री सुरेन्द्र नाथ (केन्द्रपाड़ा)

ध

धनगर, श्री बन्शी दास (मैनपुरी)
धर्मलिंगम्, श्री (थिरुवन्नामलाई)

न

नंजप्प, श्री (नीलगिरी)
नथवानी, श्री नरेन्द्रभाई (सोरठ)
नन्दा, श्री गुलजारी लाल (सबरकांठा)
नरसिंहन्, श्री च० र० (कृष्णगिरी)
नरेन्द्र कुमार, श्री (नागौर)
नलदुर्गकर, श्री वैंकटराव श्रीनिवास राव (उस्मानाबाद)
नल्लाकोया, श्री कोविलाट (नामनिर्देशित—लक्कादीव, मिनिकाय और अमीन दीवी द्वीप)
नाथपाई, श्री (राजापुर)
नादर, श्री थानुलिंगम्, (नागरकोईल)
नायक, श्री मोहन (गंजम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
नायडू, श्री गोविन्द राजुलू (तिरुवल्लूर)
नायडू, श्री मुत्तुकुमारसामी (कडलूर)
नायर, डा० सुशीला (झांसी)
नायर, श्री कुट्टिकृष्णन् (कोजीकोड)
नायर, श्री च० कृष्णन् (बाह्य दिल्ली)

न—(क्रमशः)

नायर, श्री वें० प० (क्विलोन)

नायर, श्री वासुदेवन् (तिरुवल्ला)

नारायणवीन, श्री (शाहजहांपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

नारायणस्वामी, श्री (परियाकुलम्)

नास्कर, श्री पूर्णेन्दु शेखर (डायमण्ड हार्बर)

नेगी, श्री नेकराम (महासू—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

नेसवी, श्री ति० रु० (धारवाड़–दक्षिण)

नेहरू, श्री जवाहरलाल (फूलपुर)

नेहरू, श्रीमती उमा (सीतापुर)

प

पटेल, श्री नानूभाई निच्छाभाई (बलसार—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

पटेल, श्री पुरुषोत्तम दास र० (मेहसाना)

पटेल, श्री राजेश्वर (हाजीपुर)

पटेल, सुश्री मणिबेन बल्लभभाई (आनन्द)

पट्टाभिरामन्, श्री चे० रा० (कुम्बकोणम्)

पद्मदेव, श्री (चम्बा)

पन्नालाल, श्री (फैजाबाद—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

परमार, श्री करसन दास उ० (अहमदाबाद—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

परमार, श्री दीनबन्धु (उदयपुर—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

परूलकर, श्री शामराव विष्णु (थाना)

पलनियाण्डी, श्री (पैरम्बलूर)

पहाड़िया, श्री जगन्नाथ प्रसाद (सवाई माधोपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

पांगरकर, श्री नागराव क० (परभणी)

पांडे, श्री काशीनाथ (हाता)

पांडे, श्री च० द० (नैनीताल)

पाटिल, श्री उत्तमराव ल० (धूलिया)

पाटिल, श्री तु० शं० (अकोला)

पाटिल, श्री नाना (सतारा)

पाटिल, श्री बाला साहेब (मिराज)

पाटिल, श्री र० ढो० (मीर)

पाटिल, श्री स० का० (बम्बई नगर-दक्षिण)

पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि (पुरी)

प—(क्रमशः)

पांडेय, श्री सरजू (रसरा)

पार्वती कृष्णन्, श्रीमती (कोयम्बटूर)

पालचौधरी, श्रीमती इला (नवद्वीप)

पिल्ले, श्री एन्थनी (मद्रास–उत्तर)

पिल्ले, श्री पे० ति० थानु (तिरुनेलवेली)

पुन्नूस, श्री (अम्बल पुजा)

पोकर साहेब, श्री (मंजेरी)

प्रधान, श्री विजय चन्द्रसिंह (कालाहांडी—रक्षित—अनुसूचित आदिम जाति)

प्रभाकर, श्री नवल (बाह्य दिल्ली—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

ब

बजाज, श्री कमलनयन (वर्धा)

बदन सिंह, चौ० (बिसौली)

बनर्जी, डा रामगोति (बांकुरा)

बनर्जी, श्री पुनिल बिहारी (लखनऊ)

बनर्जी, श्री प्रमथ नाथ (कण्टाई)

बनर्जी, श्री सत्येन्द्र मोहन (कानपुर)

बरुआ, श्री प्रफुल चन्द्र (शिवसागर)

बरुआ, श्री हेम (गोहाटी)

बर्मन, श्री उपेन्द्र नाथ (कूच बिहार—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

बसुमतारी, श्री धरनीधर (ग्वालपाड़ा—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

बहादुर सिंह, श्री (लुधियाना—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

बांगशी ठाकुर, श्री (त्रिपुरा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

बाकलीवाल, श्री मोहनलाल (दुर्ग)

बाबूनाथ सिंह, श्री (सरगुजा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

बारूपाल, श्री पन्नालाल (बीकानेर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

बालकृष्णन्, श्री स० चि० (डिंडीगल—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

बाल्मीकि, श्री कन्हैयालाल (बुलन्दशहर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

बासप्पा, श्री चि० र० (तिपतुर)

बिडरी, श्री रामप्पा बालप्पा (बीजापुर—दक्षिण)

बिष्ट, श्री जंग बहादुर सिंह (अल्मोड़ा)

बीरबलसिंह, श्री (जौनपुर)

बेक, श्री इगनेस (लोहरदगा—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

ब—(क्रमशः)

बेरो, श्री (नामनिर्देशित—आंग्ल-भारतीय)
ब्रजराज सिंह, श्री (फिरोजाबाद)
'ब्रजेश', पंडित ब्रज नारायण (शिवपुरी)
ब्रजेश्वर प्रसाद, श्री (गया)
ब्रह्म प्रकाश, चौ० (दिल्ली सदर)

भ

भंजदेव, श्री लक्ष्मी नारायण (क्योंझर)
भक्त दर्शन, श्री (गढ़वाल)
भगत, श्री ब० रा० (शाहबाद)
भगवती, श्री बि० (दरांग)
भटकर, श्री लक्ष्मण रावजी श्रवन जी (अकोला—रक्षित—अनुसूचित जतियां)
भट्टाचार्य, श्री चपलकांत (पश्चिम दीनाजपुर)
भदौरिया, श्री अर्जुन सिंह (इटावा)
भरूचा, श्री नौशीर (पूर्व खानदेश)
भवानी प्रसाद, श्री (सीतापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
भार्गव, पंडित ठाकुर दास (हिसार)
भार्गव, पंडित मुकट बिहारी लाल (अजमेर)
भोगजी भाई, श्री (बांसवाड़ा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

म

मंजुला देवी, श्रीमती (ग्वालपाड़ा)
मंडल, डा० पशुपति (बांकुरा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मंडल, श्री जियालाल (खगरिया)
मजीठिया, सरदार सुरजीत सिंह (तरनतारन)
मणियंगाडन, श्री मैत्यु (कोट्टयम्)
मतीन, काजी (गिरिडीह)
मतेरा, श्री लक्ष्मण महादु (थाना—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
मधोक, श्री बलराज (नई दिल्ली)
मनायन, श्री (दार्जिलिंग)
मफीदा अहमद, श्रीमती (जोरहाट)
मलिक, श्री धीरेन्द्र चन्द्र (धनबाद)
मलिक, श्री वैष्णव चरण (केन्द्रपाड़ा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

म—(क्रमशः)

मल्लय्या, श्री उ० श्रीनिवास (उदीपी)
मल्होत्रा, श्री इन्द्रजीत लाल (जम्मू तथा काश्मीर)
मसानी, श्री मी० रु० (रांची—पूर्व)
मसुरिया दीन, श्री (अफूलपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
महन्ती, श्री सुरेन्द्र (ढेंकानाल)
महागांवकर, श्री भाऊसाहेब रावसाहेब (कोल्हापुर)
महादेव प्रसाद, श्री (गोरखपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
महेन्द्र प्रताप, राजा (मथुरा)
माईति, श्री नि० वि० (घाटल)
माझी, श्री रामचन्द्र (मयूरभंज—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
माथुर, श्री हरिश्चन्द्र (पाली)
मानें, श्री गो० का० (बम्बई नगर-मध्य—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मालवीय, श्री कन्हैयालाल भेरूलाल (शाजापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मालवीय, श्री केशव देव (बस्ती)
मालवीय, श्री मोतीलाल (खजुराहो—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मिनिमाता अगमदास गुरु, श्रीमती (बलोदा बाजार—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मिश्र, श्री भगवानदीन (कैसरगंज)
मिश्र, श्री मथुरा प्रसाद (बेगु सराय)
मिश्र, श्री रघुवर दयाल (बुलन्दशहर)
मिश्र, श्री राजा राम (फैजाबाद)
मिश्र, श्री ललित नारायण (सहरसा)
मिश्र, श्री विभूति (बगहा)
मिश्र, श्री श्याम नन्दन (जयनगर)
मुकर्जी, श्री हीरेन्द्र नाथ (कलकत्ता—मध्य)
मुत्तूकृष्णन्, श्री म० (बल्लोर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मुनिस्वामी, श्री न० रा० (वेल्लोर)
मुरमू, श्री पाइका (राजमहल—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
मुरारका, श्री राधेश्याम रामकुमार (झुंझनू)
मुसाफिर, ज्ञानी गुरमुख सिंह (अमृतसर)
मुहम्मद अकबर, शेख (जम्मू तथा काश्मीर)
मुहम्मद इमाम, श्री (चितलदुर्ग)
मुहीउद्दीन, श्री (सिकन्दराबाद)

म—(क्रमशः)

मूर्ति, श्री ब० सू० (काकिनादा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मूर्ति, श्री मि० सू० (गोलुगोंडा)
मेनन, डा० क० ब० (बडागरा)
मेनन, श्री वें० कृ० कृष्णन् (बम्बई नगर-उत्तर)
मेनन, श्री नारायणन् कुट्टि (मुकुन्दपुरम्)
मेलकोटे, डा० (रायचूर)
मेहता, श्री अशोक (मुजफ्फरपुर)
मेहता, श्रीमती कृष्णा (जम्मू तथा काश्मीर)
मेहता, श्री जसवन्त राज (जोधपुर)
मेहता, श्री बलवन्तराय गोपालजी (गोहिलवाड़)
मेहदी, श्री सै० अहमद (रामपुर)
मोरे, श्री ज० घ० (शोलापुर)
मोहनस्वरूप, श्री (पीलीभीत)
मोहीदीन, श्री गुलाम (डिंडीगल)

य

याज्ञिक, श्री इन्दुलाल कन्हैयालाल (अहमदाबाद)
यादव, श्री राम सेवक (बाराबंकी)

र

रंगा, श्री (तेनाली)
रंगाराव, श्री (करीम नगर)
रघुनाथ सिंह जी, श्री (बाड़मेर)
रघुनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
रघुबीर सहाय, श्री (बदायूं)
रघुरामैया, श्री कोता (गुण्टर)
रणवीर सिंह, चौ० (रोहतक)
रहमान श्री मु० हिफजुर (अमरोहा)
राउत, श्री भोला (चम्पारन—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
राउत, श्री राजा राम बाल कृष्ण (कोलाबा)
राजबहादुर, श्री (भरतपुर)
राजू, श्री द० स० (राजामुंद्री)
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री (राय बरेली)

र—(क्रमशः)

राजेन्द्र सिंह, श्री (छपरा)

राज्य लक्ष्मी, श्रीमती ललिता (हजारीबाग)

राधा मोहन सिंह, श्री (बलिया)

राधा रमण, श्री (चांदनी चौक)

राने, श्री शिवराम रंगो (बुलडाना)

रामकृष्णन्, श्री पी० रा० (पोल्लाची)

रामगरीब, श्री (बस्ती—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

रामधनीदास, श्री (नवादा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

रामपुरे, श्री महादेवप्पा (गुलबर्गा)

रामम्, श्री उद्दाराजू (नरसापुर)

राम सुभग सिंह, डा० (सहसराम)

रामस्वामी, श्री क० स० (गोबी चट्टिपलयम्)

रामस्वामी, श्री पु० (महबूबनगर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

रामस्वामी, श्री सें० वें० (सैलम)

रामशंकर लाल, श्री (डुलरियागंज)

राम शरण, श्री (मुरादाबाद)

रामानन्द तीर्थ, स्वामी (औरंगाबाद)

रामौल, श्री शिवानन्द (महासू)

राय, श्री खुशवक्त (खेरी)

राय, श्रीमती रेणुका (मालदा)

राव, श्री विश्वनाथ (सलेमपुर)

राव, श्रीमती सहोदराबाई (सागर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

राव, श्री इ० मधुसूदन (महबूबाबाद)

राव, श्री त० ब० विट्ठल (खम्मम)

राव, श्री तिरुमल (काकिनाडा)

राव, श्री देवुलपल्ली वेंकटेश्वर (नलगोंडा)

राव, श्री रा० जगन्नाथ (कोरापट)

राव, श्री बी० राजगोपाल (श्रीकाकुलम्)

राव, श्री रामेश्वर (महबूबनगर)

राव, श्री हनुमन्त (मेदक)

रुंगसुंग सुइसा, श्री (बाह्य मनीपुर—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

र—(क्रमशः)

रूप नारायण, श्री (मिर्जापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
रेड्डी, श्री क० च० (कोलार)
रेड्डी, श्री रो० नरपा (ओंगोल)
रेड्डी, श्री नागी (अनन्तपुर)
रेड्डी, श्री बाली (मरकापुर)
रेड्डी, श्री राम कृष्ण (हिन्दूपुर)
रेड्डी, श्री रामी (कड़पा)
रेड्डी, श्री रे० लक्ष्मी नरसा (नेल्लोर)
रेड्डी, श्री विश्वनाथ (राजमपेट)

ल

लक्ष्मणसिंह, श्री (नामनिर्देशित—अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह)
लक्ष्मीबाई, श्रीमती (विकाराबाद)
लच्छीराम, श्री (हमीरपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
लाहिरी, श्री जितेन्द्र नाथ (श्री रामपुर)
लोनीकर, श्री रा० ना० यादव (जालना)

व

वर्मा, श्री बि० बि० (चम्पारन)
वर्मा, श्री माणिक्यलाल (उदयपुर)
वर्मा, श्रीरामजी (देवरिया)
वर्मा, श्री राम सिंह भाई (निमाड़)
वाजपेयी, श्री अटल बिहारी (बलरामपुर)
वाडीवा, श्री ना० (छिन्दवाड़ा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
वारियर, श्री कृ० कि० (त्रिचूर)
वाल्वी, श्री लक्ष्मण वेडू (पश्चिमी खानदेश—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
वासनिक, श्री बालकृष्ण (भंडारा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
विजय आनन्द, महाराजकुमार (विशाखापटनम्)
विजय राजे, कुंवरानी (छतरा)
विलसन, श्री जान० न० (मिर्जापुर)

व—(क्रमशः)

विश्वनाथ प्रसाद, श्री (आजमगढ़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

विश्वास, श्री भोलानाथ (कटिहार)

वीरेन्द्र बहादुर सिंह जी, श्री (रायपुर)

वकटा सुब्बैया, श्री पेन्देकांति (अडोनी)

वेद कुमारी, मोते (एलूरू)

वैरावन, श्री अ० (तंजौर)

वोडयार, श्री क० गु० (शिमोगा)

व्यास, श्री रमेश चन्द्र (भीलवाड़ा)

व्यास, श्री राधेलाल (उज्जैन)

श

शंकर देव, श्री (गुलबर्गा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

शंकर पांडियन, श्री (टंकासी)

शंकरय्या, श्री (मैसूर)

शकुन्तला देवी, श्रीमती (बंका)

शर्मा, श्री अ० त्रि० (छतरपुर)

शर्मा, पंडित कृष्ण चन्द्र (हापुड़)

शर्मा, श्री दीवान चन्द्र (गुरदासपुर)

शर्मा, श्री राधा चरण (ग्वालियर)

शर्मा, श्री हरिश्चन्द्र (जयपुर)

शास्त्री, श्री प्रकाशवीर (गुड़गांव)

शास्त्री, श्री लाल बहादुर (इलाहाबाद)

शास्त्री, पंडित ही० (सवाई माधोपुर)

शास्त्री, स्वामी रामानन्द (बाराबंकी—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

शाह, श्री मनुभाई (मध्य सौराष्ट्र)

शाह, श्री मानवेन्द्र (टेहरी गढ़वाल)

शाह, श्रीमती जयाबेन वजूभाई (गिरनार)

शिव, डा० गंगाधर (चित्तूर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

शिवनंजप्पा, श्री (मंडया)

शिवराज, श्री (चिंगलपट—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

शुक्ल, श्री विद्याचरण (बलोदा बाजार)

शोभाराम, श्री (अलवर)

श्रीनारायण दास, श्री (दरभंगा)

स

सर्वदम्, श्री (नागपट्टिनम)

सक्सेना, श्री शिब्बनलाल (महाराजगंज—उत्तर प्रदेश)

सतीश चन्द्र, श्री (बरेली)

सत्य नारायण, श्री बिड्डिका (पार्वतीपुरम्—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

सत्यभामा देवी, श्रीमती (नवादा)

सम्पत, श्री (नामक्कल)

सरहदी, श्री अजित सिंह (लुधियाना)

सहगल, सरदार अमरसिंह (जंजगीर)

साधूराम, श्री (जालन्धर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

सामन्त, श्री सतीश चन्द्र (तामलुक)

सामन्तसिंहार, डा० न० चं० (भुवनेश्वर)

साहू, श्री भगवत (बालासोर)

साहू, श्री रामेश्वर (दरभंगा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

सिंह, श्री क० ना० (शाहडोल—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

सिंह, श्री चण्डिकेश्वर शरण (सरगूजा)

सिंह, श्री दिग्विजय नारायण (पपरी)

सिंह, श्री दिनेश प्रताप (गोंडा)

सिंह, श्री प्रभु नारायण (चन्दौली)

सिंह, श्री बनारसी प्रसाद, (मुंगेर)

सिंह, श्री महेन्द्र नाथ (महाराजगंज—बिहार)

सिंह, श्री रमेश प्रसाद (औरंगाबाद—बिहार)

सिंह, श्री लैसराम अचौ (आंतरिक मनीपुर)

सिंह, श्री सत्यनारायण (समस्तीपुर)

सिंह, श्री सत्येन्द्र नारायण (औरंगाबाद—बिहार)

सिंह, श्री हर प्रसाद (गाजीपुर)

सिंहासन सिंह, श्री (गोरखपुर)

सिदय्या, श्री (मैसूर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

सिद्धनंजप्पा, श्री (हसन)

सिन्धिया, श्रीमती विजय राजे (गुना)

सिन्हा, श्री कैलाशपति (नालन्दा)

सिन्हा, श्री गजेन्द्र प्रसाद (पालामऊ)

स—(क्रमशः)

सिन्हा, श्रीमती तारकेश्वरी (बाढ़)

सिन्हा, श्री सारंगधर (पटना)

सुगन्धि, श्री मु० सु० (बीजापुर—उत्तर)

सुन्दर लाल, श्री (सहारनपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

सुब्बरायन, डा० प० (तिरूचेंगोड)

सुब्रह्मण्यम्, श्री टेकुर (बेल्लारी)

सुमत प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)

सुल्तान, श्रीमती मैमूना (भोपाल)

सूपकार, श्री श्रद्धाकर (सम्बलपुर)

सूर्य प्रसाद, श्री (ग्वालियर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

सेठ, श्री बिशन चन्द (शाहजहांपुर)

सेन, श्री अशोक कु० (कलकत्ता—उत्तर-पश्चिम)

सेन, श्री फणि गोपाल (पूर्निया)

सैलकू, श्री मारदी (पश्चिमी दीनाजपुर—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

सैयद महमूद, उ० (गोपाल गंज)

सोनावने, श्री तयप्पा (शोलापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

सोनुल, श्री हरिहर राव (नांदेड़)

सोमानी, श्री ग० ध० (दौसा)

सोरेन, श्री देवी (दुमका—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

स्नातक, श्री नरदेव (अलीगढ़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

स्वर्ण सिंह, सरदार (जालन्धर)

स्वामी, श्री (चान्दा)

ह

हंसदा, श्री सुबोध (मिदनापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

हजरनवीस, श्री रा० म० (भंडारा)

हजारिका, श्री जोगेन्द्र नाथ (डिब्रूगढ़)

हरवानी, श्री अन्सार (फतेहपुर)

हाथी, श्री जयसुखलाल लालशंकर (हालर)

हाल्दर, श्री अन्सारी (डायमन्ड हार्बर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

हिनिटा, श्री हुवर (स्वायत जिले—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

हुक्म सिंह, सरदार (भटिंडा)

हेडा, श्री ह० च० (निजामाबाद)

हेमराज, श्री (कांगड़ा)

लोक-सभा

अध्यक्ष

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगार

उपाध्यक्ष

सरदार हुकम सिंह

सभापति तालिका

पंडित ठाकुर दास भार्गव

डा० सुशीला नायर

श्री मूलचन्द दुबे

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती

श्री जगन्नाथ राव

श्री ह० चं० हेडा

सचिव

श्री महेश्वर नाथ कौल, बैरिस्टर-एट-ला

कार्य-मंत्रणा समिति

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगार—**सभापति**

सरदार हुकम सिंह

पंडित ाकुर दास भार्गव

श्री प्र० क० देव

श्री म० ला० द्विवेदी

श्री यादव नारायण जाधव

श्री जयपाल सिंह

श्री हरिश्चन्द्र माथुर

श्री राजेश्वर पटेल

श्री शिवराम रंगो राने

श्री सिद्धनंजप्पा

श्री लैस राम अचौ सिंह

श्री सत्य नारायण सिंह

श्री मिसुला सूर्यनारायण मूर्ति

श्री तंगामणि

विशेषाधिकार समिति

सरदार हुक्म सिंह—**सभापति**

श्री हेम बरुआ

श्री च० द० गौतम

श्री फतहसिंहजी घोडासार

श्री मी० रु० मसानी

श्री हरिश्चन्द्र माथुर

श्री हीरेन्द्र नाथ मुकर्जी

श्री च० द० पांडे

श्री शिव राम रंगो राने

श्री अशोक कु० सेन

श्रीमती जयाबेन वजूभाई शाह

श्री सारंगधर सिन्हा

श्री सत्यनारायण सिंह

डा० प० सुब्बारायन

श्री श्रद्धाकर सूपकार

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति

श्री मूलचन्द दुबे—**सभापति**

श्री मानकभाई अग्रवाल

श्री अय्याकणु

श्री इगनेस बेक

श्री बी० ला० चांडक

श्री भाउराव कृष्णराव गायकवाड़

श्री नं० रं० घोष

श्री राम कृष्ण गुप्त

श्री गुलाबराव केशवराव जेधे

श्री बैं० च० मलिक

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही

श्री राजेश्वर पटेल

श्री हरिश्चन्द्र शर्मा

श्री शिवनंजप्पा

श्री रुंगसुंग सुइसी

प्राक्कलन समिति

श्री दासप्पा—**सभापति**

श्री प्रेमथनाथ बनर्जी

श्री चन्द्र शंकर

श्री वें० ईयाचरण

श्री अन्सार हरवानी

श्री हेडा

श्री मं० रं० कृष्ण

रानी मंजुला देवी

श्री विभूति मिश्र

श्री गोरे

श्री गु० सिं० मुसाफिर

श्री पद्म देव

श्री जगन्नाथ प्रसाद पहाड़िया

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही

श्री पन्ना लाल

श्री करसन दास परमार

श्री थानु पिल्ले

श्री पुन्नूस

श्री राजेन्द्र सिंह

श्री रामस्वामी

श्री सतीश चन्द्र सामन्त

श्री विद्या चरण शुक्ल

श्री कैलाशपति सिन्हा

श्री सुगन्धि

श्री मोतीसिंह बहादुर सिंह ठाकुर

श्री महावीर त्यागी

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय

श्री रामसिंह भाई वर्मा

श्री बालकृष्ण वासनिक

श्री वोडयार

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

पंडित ठाकुर दास भार्गव—**सभापति**

श्री अय्याकणु

श्री बासप्पा

श्री भोलानाथ विश्वास

श्री दलजीत सिंह

श्री विभूति भूषण दास गुप्त

श्री गणपति राम

श्री मूलचन्द जैन

श्री कमल सिंह

श्री कोडियान

श्री बलराज मधोक

श्री मोती लाल मालवीय

डा० पशुपति मंडल

श्री विश्वनाथ राय

श्री रामजी वर्मा

याचिका समिति

श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन—**सभापति**

श्री अब्दुल सलाम

श्री अंजनप्पा

श्री जगदीश अवस्थी

श्री फतहसिंह घोड़ासर

पंडित ज्वाला प्रसाद ज्योतिषी

श्री रामचन्द्र माझी

श्रीमती कृष्णा मेहता

श्री मथुरा प्रसाद मिश्र

श्री मुहम्मद इमाम

श्री वासुदेवन नायर

श्रीमती उमा नेहरू

श्री नानूभाई निच्छाभाई पटेल

श्री शिवनंजप्पा

श्री शिवराज

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

सरदार हुकम सिंह—**सभापति**

श्री स० अ० अगाड़ी

श्री अकबर भाई चावदा

श्री देवी सोरेन

श्री रामकृष्ण गुप्त

श्री यादव नारायण जाधव

श्री भानुसाहेब रावसाहेब महागांवकर

श्री सुरेन्द्र महन्ती

श्री नि० बि० माईति

श्री थानुलिंगम् नादर

श्री त० ब० विट्ठल राव

श्री रूप नारायण

श्री अमर सिंह सहगल

श्री झूलन सिंह

श्री सुन्दर लाल

लोक लेखा समिति
लोक-सभा

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन—**सभापति**

श्री रोहन लाल चतुर्वेदी

श्री अरविन्द घोषाल

श्री हेमराज

श्री र० सि० किलेदार

श्री माने

डा० पशुपति मंडल

श्री मतीन

डा० मेलकोटे

श्री पु० र० पटेल

डा० सामन्त सिंहार

पंडित द्वा० ना० तिवारी

कुमारी मोत्ते वेदकुमारी

श्री रामजी वर्मा

श्री वारियर

राज्य-सभा

डा० श्रीमती सीता परमानन्द

श्री लालजी पेंडसे

श्री बी० सी० केशव राव

श्री मुल्क गोविन्द रेड्डी

श्रीमती सावित्री देवी निगम

श्री राजेश्वर प्रसाद नारायण सिंह

श्री जयनारायण व्यास

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति

सरदार हुक्म सिंह—सभापति

श्री बहादुर सिंह

श्री अरविन्द घोषाल

श्री न० रे० घोष

पंडित ज्वाला प्रसाद ज्योतिषी

डा० कृष्णस्वामी

श्री नारायणन् कुट्टि मेनन

श्री मोहम्मद इमाम

श्री पु० र० पटेल

श्री करसनदास परमार

श्री रघुबीर सहाय

श्री क० स० रामस्वामी

श्री अजित सिंह सरहदी

श्री सिद्धनंजप्पा

श्री झूलन सिंह

सामान्य प्रयोजन समिति

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगर—सभापति

सरदार हुक्म सिंह

श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन

पंडित ठाकुर दास भार्गव

श्री ब्रजराज सिंह

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती

श्री० श्री० अ० डांगे

श्री दासप्पा

श्री प्र० के० देव

श्री मूल चंद दूबे

श्री ह० चं० हेडा

श्री रंगा

श्री जयपाल सिंह

डा० कृष्णस्वामी

श्री उ० श्री० मल्लय्या

श्री अशोक मेहता

डा० सुशीला नायर

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन

श्री सत्य नारायण सिंह

श्री शिव राज

श्री याज्ञिक

श्री जगन्नाथ राव

आवास समिति

श्री उ० श्री० मल्लय्या—**सभापति**

श्री बैरो

श्री माणिकलाल मगन लाल गांधी

श्री अरविन्द घोषाल

श्री रामकृष्ण गुप्त

श्री खुशवक्त राय

श्रीमती पार्वती कृष्णन

श्रीमती मफीदा अहमद

श्री राजेश्वर पटेल

श्री जगन्नाथ राव

श्री स० चं० सामन्त

श्री सिंहासन सिंह

लाभपद संबंधी संयुक्त समिति

लोक-सभा

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन--सभापति

डा० मा० श्री० अणे

श्री आसार

श्री क० ब० मेनन

श्री मुरारका

श्री ही० ना० मुकर्जी

श्रीमती उमा नेहरू

श्री रामेश्वर साहू

श्री राधा चरण शर्मा

श्री सिद्धनंजप्पा

राज्य-सभा

दीवान चमन लाल

श्री टी० एस० अविनाशलिंगम् चेट्टियार

श्री एम० गोविन्द रेड्डी

डा० राज बहादुर गौड़

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह

संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते संबंधी संयुक्त समिति

लोक-सभा

श्री सत्य नारयण सिंह --सभापति

श्री बैरो

श्री चपला कान्त भट्टाचार्य

श्री रेशम लाल जांगड़े

श्री प्रभात कार

श्री मोहन स्व

श्री च० रा० नरसिंह

श्री अजित सिंह सरहदी

श्री सिंहासन सिंह

श्री टेकुर सुब्रह्मण्यम

राज्य-सभा

श्री जगन्नाथ कौशल

श्री अवधेश्वर प्रताप सिंह

श्री रोहित एम० दव

श्रीमती यशोदा रेड्डी

डा० डब्ल्यू० एस० बार्लिंगे

नियम समिति

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगर—**सभापति**

सरदार हुक्म सिंह

श्री अमजद अली

पंडित ठाकुर दास भार्गव

श्री नौशीर भरूचा

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती

श्री मु० सु० सुगन्धी

श्री भाउराव कृष्णराव गायकवाड़

श्री मोती लाल मालवीय

श्री घनश्याम लाल ओझा

श्री पु० र० पटेल

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्

श्री शंकरय्या

श्री राधा मोहन सिंह

श्री सत्य नारायण सिंह

भारत सरकार

मंत्रि-मंडल के सदस्य

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति विभाग के भार-साधक मंत्री—श्री जवाहरलाल नेहरू

गृह-कार्य मंत्री —लाल बहादुर शास्त्री

रेलवे मन्त्री—श्री जगजीवन राम

वित्त मंत्री —श्री मोरारजी देसाई

श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री—श्री गुलजारी लाल नन्दा

परिवहन तथा संचार मंत्री—डा० प० सुब्बरायन

विधि मंत्री—श्री अ० कु० सेन

इस्पात, खान और ईंधन मंत्री —सरदार स्वर्ण सिंह

सिंचाई और विद्युत् मंत्री —हाफिज मुहम्मद इब्राहीम

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री —श्री क० च० रेड्डी

खाद्य तथा कृषि मंत्री —श्री स० का० पाटिल

प्रतिरक्षा मंत्री—श्री वे० कृ० कृष्ण मेनन

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री—डा० बे० गोपाल रेड्डी

राज्य-मंत्री

संसद्-कार्य मंत्री—श्री सत्य नारायण सिंह

सूचना और प्रसारण मंत्री—डा० बा० वि० केसकर

स्वास्थ्य मंत्री —श्री द० प० करमरकर

कृषि मंत्री —डा० पंजाबराव शा० देशमुख

खान और तेल मंत्री—श्री केशव देव मालवीय

पुनर्वास मंत्री—श्री मेहरचन्द खन्ना

वाणिज्य मंत्री—श्री नित्यानन्द कानूनगो

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री—श्री राज बहादुर

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री—श्री ब० ना० दातार

उद्योग मंत्री—श्री मनुभाई शाह

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री —श्री सुरेन्द्र कुमार डे

शिक्षा मंत्री —डा० का० ला० श्रीमाली

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री—श्री हुमायून् कबिर

उपमंत्री

प्रतिरक्षा उपमंत्री—सरदार सुरजीत सिंह मजीटिया

श्रम उपमंत्री—श्री आबिद अली

निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री—श्री अनिल कु० चन्दा

कृषि उपमंत्री—श्री मो० वें० कृष्णप्पा

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री—श्री जयसुख लाल लालशंकर हाथी

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री—श्री सतीश चन्द्र

योजना उपमंत्री—श्री श्याम नन्दन मिश्र

वित्त उपमंत्री—श्री ब० रा० भगत

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री—डा० मनमोहन दास

रेलवे उपमंत्री—श्री शाहनवाज़ खां

रेलवे उपमंत्री—श्री सें० वें० रामस्वामी

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री—श्रीमती लक्ष्मी मेनन

गृह-कार्य उपमंत्री—श्रीमती वायलेट आल्वा

प्रतिरक्षा उपमंत्री—श्री कोत्ता रघुरमैय्या

असैनिक उड्डयन उपमंत्री— श्री मुहीउद्दीन

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री—श्री अ० म० थामस

पुनर्वास उपमंत्री—श्री पु० शे० नास्कर

विधि उपमंत्री—श्री हजरनवीस

वित्त उपमंत्री —श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा

सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री—श्री ब० सू० मूर्ति

श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री—श्री ललित नारायण मिश्र

सभा-सचिव

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव—श्री सादत अली खां

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव —श्री जो० ना० हजारिका

प्रतिरक्षा मंत्री के सभा सचिव—श्री फतहसिंहराव प्रतापसिंहराव गायकवाड़

सूचना और प्रसारण मंत्री के सभा-सचिव—श्री आ० चं० जोशी

इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव —श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री के सभा-सचिव—श्री श्याम धर मिश्र

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

बुधवार, २९ नवम्बर, १९६१
८ अग्रहायण, १८८३ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

भारत-पाक रेल-करार

+

†*३९८. { **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री दी० चं० शर्मा : }

क्या **रेलवे** मंत्री ११ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ३७५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत -पाक रेल करार के अनुसमर्थन के बारे में पाकिस्तान सरकार से कोई नया अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या प्रारूप करार के बारे में पश्चिम बंगाल सरकार की आपत्तियों पर विचार कर लिया गया है ;

(ग) इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) इस मामले में क्या अन्तिम निर्णय किया गया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ). मामला अभी विचाराधीन है ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त:** पिछली बार जब यह मामला उठाया गया था तो हमें बताया गया था कि इस विषय में कोई प्रगति नहीं हुई है, किन्तु बाद में हमें बताया गया कि पश्चिम बंगाल की आपत्तियों पर विचार किया जा रहा था । वे आपत्तियां क्या थीं और कब तक विचार किया जायगा ?

†मूल अंग्रेजी में

1617Ai LSE—1

†रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम): हम ने सम्बद्ध राज्य सरकारों के मत पूछे हैं और पश्चिम बंगाल सरकार के भी। हम पश्चिम बंगाल सरकार से पत्र व्यवहार करते रहे हैं। अन्तिम निर्णय पर पहुंचने से पहले सरकार को कुछ समय लगेगा।

†श्री वाजपेयी : पश्चिम बंगाल सरकार के अतिरिक्त अन्य किन-किन राज्यों ने इस रेल लिंक के बारे में ऐतराज किया है ?

†श्री जगजीवन राम : सम्बद्ध राज्य सरकारों, पंजाब, आसाम, उत्तर प्रदेश और बिहार से पूछा गया था और एक या दो राज्यों की सरकारों ने कुछ कठिनाइयों का उल्लेख किया था, जो नर्म हो गई हैं।

†श्री ब्रजराज सिंह : क्या त्रिपुरा प्रशासन के विचारों पर भी ध्यान दिया गया है क्योंकि अन्य बहुत से राज्यों की अपेक्षा उस प्रशासन को शीघ्र यह लिंक बनवाने में अधिक दिलचस्पी है ?

†श्री सें० वें० रामस्वामी : जी, हां। इस पर विचार किया गया था।

†श्री ब्रजराज सिंह : उन के क्या मत हैं ?

†श्री सें० वें० रामस्वामी : यह इस समय नहीं बताये जा सकते। परन्तु इन पर विचार किया गया है।

†अध्यक्ष महोदय : यह परामर्श की स्थिति में है।

†श्री स० मो० बनर्जी : क्या पश्चिम बंगाल सरकार की विशिष्ट आपत्ति पर केन्द्रीय सरकार ने विचार किया है और यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†श्री जगजीवन राम : मैं इस समय नहीं बता सकता।

खाद्यान्नों के मूल्य

+

†*३९९. { श्री तंगामणि :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाढ़ आने के पश्चात् कुछ राज्यों में खाद्यान्नों के मूल्य बढ़ गये थे ;

(ख) यदि हां, तो कितने ;

(ग) कौन से राज्यों में ; और

(घ) मूल्यों को बढ़ने से रोकने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

†खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) से (ग). यद्यपि इस वर्ष देश के कुछ भागों में बाढ़ें आई थीं जिन से खरीफ की फसलों को कुछ हानि हुई थी, फिर भी खाद्यान्नों के मूल्य में कोई अत्यधिक वृद्धि नहीं हुई है। चावल के थोक मूल्य के अखिल भारतीय देशनांक जो जून १९६१ में १०५.८ था, अगस्त में ११०.१ हो गया था किन्तु नवम्बर के दूसरे सप्ताह में १०७.१ पर खड़ा रहा। गेहूं के थोक मूल्य का देशनांक जो जून १९६१ में ८६.२ से बढ़ कर अगस्त में ८८.५ हो गया था, सितम्बर, १९६१ में गिर कर ८७.४ हो गया। इस के पश्चात् इस में सामान्य तौर पर

†मूल अंग्रेजी में

मौसमी वृद्धि हुई और नवम्बर के दूसरे सप्ताह में यह ९१.५ हो गया। घटिया अनाज का मूल्य घटता बढ़ता रहा।

(घ) राज्य सरकारें ध्यानपूर्वक स्थिति को देख रही हैं और जहां आवश्यक समझा गया, उपभोक्ताओं को खाद्यान्नों के वितरण के लिये अधिक उचित दाम वाली दुकानें खोली गई थीं अथवा उन दुकानों को देने की दर बढ़ा दी गई थी।

†**श्री तंगामणि :** क्या यह सच नहीं है कि तंजोर जिला, जो पैकेज परोग्राम के में शामिल है, मद्रास राज्य के उन प्रभावित जिलों में था, और क्या इस कमी के कारण मद्रास राज्य के विभिन्न जिलों में उचित दाम वाली दुकानें खोली जायेंगी ?

†**श्री अ० म० थामस :** मद्रास में बाढ़ों से प्रभावित कुल क्षेत्र ७००० एकड़ से कुछ अधिक था। मद्रास में दाम बहुत अधिक नहीं बढ़े थे। हम ने आवश्यकता के अनुसार तथा मद्रास सरकार की मांग के अनुसार उचित दाम वाली दुकानों के द्वारा वितरण के लिये उन को चावल दिया था।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले और बिहार बाढ़ों के द्वारा अत्यधिक प्रभावित हुए हैं और यदि हां, तो सरकार ने उन किसानों की सहायता करने के लिये क्या कोई कार्रवाई की है और क्या उन क्षेत्रों में उचित दामों वाली दुकानें खोली गई हैं ?

†**श्री अ० म० थामस :** बिहार में उचित दामों वाली बहुत दुकानें हैं जो बाढ़ों के द्वारा अत्यधिक प्रभावित हुआ था। परन्तु मुंघेर जिला में चावल के मूल्य में कुछ वृद्धि होने के अतिरिक्त, खाद्यान्नों के भावों में कोई अधिक वृद्धि नहीं हुई है। निस्सन्देह, राज्य सरकार ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में मुफ्त खाद्यान्न बांटने और सहायता के काम कर रही है। भारत सरकार ने भी उन को ५०००० मीट्रिक टन गेहूं तथा १०००० मीट्रिक टन चावल का अतिरिक्त अभ्यंश उन के साधारण अभ्यंश के ऊपर दिया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के बारे में, उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष उपाय किये हैं, जैसे जिला दंडाधीशों को आवश्यकतानुसार अधिक से अधिक उचित दाम वाली दुकानें खोलने का, उचित दाम वाली दुकानों में बेचने की दर बढ़ाने और सभी बाढ़ग्रस्त जिलों में देशी गेहूं की बिक्री को बढ़ाने का अधिकार दिया है।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** मा० मंत्री ने कहा है कि कोई बड़ी वृद्धि नहीं हुई है। परन्तु श्रमजीवी वर्गों के उपभोक्ता मूल्य देशनांक से हम देखते हैं कि अगस्त में यह १२८ हो गया था (यदि १९४९ को १०० आधारभूत मान लें) यह पिछले दस वर्षों में सर्वाधिक था। अतः मा० मंत्री इस बात को अपने वक्तव्य से कैसे मिलाते हैं ?

†**श्री अ० म० थामस :** मैं ने अपने मुख्य उत्तर में बतलाया है कि कुछ वृद्धि हुई थी, और अब यह कम हो गई है और अधिक गिर रही है। परन्तु उपभोक्ता मूल्य देशनांक के बारे में कुछ दूसरी चीजें हैं, उदाहरणार्थ वनस्पति तेल आदि। खाद्यान्नों के बारे में मैं बता चुका हूं कि किस गति से मूल्य बढ़ा है और इस में गिरावट भी हुई है।

†**श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा :** क्या सरकार ने समय समय देश में प्रचलित खाद्यान्नों के भावों की समीक्षा करने का कोई प्रयन किया है, यदि हां, तो कौनसा सरकारी अभिकरण यह काम कर रहा है ?

†**श्री अ० म० थामस :** निश्चय ही। वास्तव में, पिछले सत्र में कई सदस्यों ने सन्देह प्रकट किया था कि मूल्य गिर रहे हैं। अतः यह वांछनीय था कि मूल्यों में कुछ वृद्धि होनी चाहिये ताकि किसानों के हितों की रक्षा की जा सके। निस्सन्देह, तथापि कोई असामान्य वृद्धि नहीं हुई है और मैं

---

†मूल अंग्रेजी में

समझता हूं कि इस समय मूल्य न्यूनाधिक उचित स्तर पर हैं। जिन क्षेत्रों में मूल्य बढ़ गये हैं हम वहां कितनी भी मात्रा में आवश्यकता के अनुसार गेहूं और चावल भेजने को तैयार हैं।

†**डा० गोविन्द दास** : क्या यह तथ्य है कि कुछ क्षेत्रों में मूल्य बढ़े नहीं, गिरे हैं, और क्या सरकार यह ध्यान रखेगी कि मूल्य अधिक न गिरें और कृषि कृषकों के लिये लाभदायक व्यापार बना रहे ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० कु० पाटिल)** : उड़ीसा और मध्य प्रदेश में मूल्य गिर रहे हैं, क्यों कि वहां अनाज बहुत है। वास्तव में हमें चिन्ता हो रही है कि मूल्य किस प्रकार बढ़ाये जायें।

†**श्री विभूति मिश्र** : मुंगेर में एबनार्मल फ्लड्ज आने के बाद वहां पर सरकार जो गल्ला दे रही है, क्या वह कीमत में कोई कन्सेशन कर देगी ?

†**श्री स० कु० पाटिल** : उस में कोई कमी देने का इरादा नहीं है। जहां तक अनाज की उपलब्धि का सवाल है, राज्य सरकार को बतलाया गया है कि हमारे पास पर्याप्त अनाज है और देश के किसी भी भाग में किसी प्रकार की भी कठिनाई नहीं होगी।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : मा० मंत्री ने अभी सरकार की इस चिंता का उल्लेख किया है कि कृषकों के हितों की रक्षा करने के लिये मूल्य का स्तर कायम रखा जाये। क्या वह अब कम से कम फसल के समय कृषि विभागों की निम्नतम कीमत निश्चित करने की वांछनीयता का विचार करेंगे ?

†**श्री स० कु० पाटिल** : यह प्रस्ताव भी विचाराधीन है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या सरकार उन किसानों को, जिनकी भूमि बाढ़ों के कारण नष्ट हो गई है, कुछ सहायता देने के प्रश्न पर विचार कर रही है कि उनसे भूमि राजस्व न लिया जाये ?

†**श्री अ० म० थामस** : यह विचार करना राज्य सरकार का काम है। भूमि राजस्व के मामले में केन्दीय सरकार का कोई संबंध नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह बाढ़ों सम्बन्धी प्रश्न नहीं, खाद्यान्न के मूल्य का प्रश्न है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : प्रश्न में 'बाढ़' शब्द विशेष रूप से उल्लिखित है।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इसकी अनुमति नहीं देता।

कोयला परिवहन के लिये वैगन

†*४०२. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयले की परिवहन आवश्यकता को पूरा करने के लिये प्रति दिन १५,००० अतिरिक्त वैगनों की आवश्यकता है ;

(ख) देश की अन्य वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये कितने और वैगनों की आवश्यकता है ; और

(ग) आवश्यकता को पूरा करने के लिये क्या कार्यक्रम बनाया गया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) केवल अभ्यंश सीमित जंकशनों को छोड़कर, जहां सीमित परिवहन क्षमता होने के कारण, रुकावट है, दूसरे सामान्य माल को भरने का काम इस समय सामान्यतया चल रहा है। रेलवे अब औसतन १८,००० वैगन प्रति दिन ब्रॉड गेज पर और मीटर गेज पर १०,००० वैगन प्रति दिन के हिसाब से भर रही है। अनुमान है कि यदि अभ्यंश सीमित मार्गों पर भी पर्याप्त लाइन क्षमता उपलब्ध हुई तो, परिवहन की मांग समूची रेलों पर, ५०० वैगन ब्राड गेज पर और मीटर गेज पर ३२५ वैगन और भरने के लिये होंगी।

(ग) रेल परिवहन की क्षमता की तीसरी योजना में उल्लिखित तरीके से विकास किया जायेगा, जिसमें प्राप्त किये जाने वाले लक्ष्य एवं अपनाये जाने वाले उपाये बताये गये हैं।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या मैं यह समझ सकता हूं कि वैगन स्थिति संतोषजनक है ? क्या मा० सदस्य का ध्यान आज के समाचारपत्रों में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है कि गाजियाबाद और दिल्ली के बीच गाड़ियों के लेट चलने का कारण भी वहां कोयले की कमी है ? क्या कुछ अन्य बातों के कारण वैगन की कमी के कारण भी ऐसी बात है ?

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम)**: वैगन सम्बन्धी स्थिति काफी अच्छी नहीं है। कुछ श्रेणियों के इस्पात की कमी और कलकत्ता तथा इर्द गिर्द बिजली फेल हो जाने के कारण वैगन बनाने का हमारा कार्यक्रम कुछ सीमा तक खराब हो गया था। गाजियावाद की कठिनाई का कुछ कारण कोयले की कमी था परन्तु मुख्यतः घटिया किस्म के कोयला की कमी थी।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : ऐसे महत्वपूर्ण मामलों में भी प्रश्न यह है कि क्या हम इस कठिनाई को दूर नहीं कर सकते। घटिया कोयला क्यों दिया जाता है, और क्या इस कठिनाई के कारण इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय का ध्यान इस समस्या की ओर आकर्षित किया गया है ?

†**श्री जगजीवन राम** : ध्यान आकर्षित किया गया है, परन्तु हम अच्छे कोयले के मामले में अपने इस्पात संयत्रों को पहली प्राथमिकता देते हैं और देश में उपलब्ध शेष कोयले से हमें शेष आवश्यकताओं की पूर्ती में सन्तुष्ट रहना पड़ता है।

†**श्री नाथ पाई** : क्या यह सच है कि यह धारणा बढ़ रही है पिछले कुछ महीनों में रेलवे के कार्य में चारों ओर गिरावट रही है, जिसका सबूत है कि वैगनों की कमी और दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या तथा गाड़ियों के देर से आने के बाद में अनेक शिकायितें आ रही हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : ऐसे सामान्य प्रश्न से इस समाय हमारा सम्बन्ध नहीं है।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच है कि दिल्ली में सितम्बर में जो कोयला सम्मेलन हुआ था उस में रेलवे मंत्री चाहते थे कि उनको तीन वर्ष पहले कोयला के परिवहन की आवश्यकता बताई जाये तभी वे अपने संसाधनों का उपयोग कर सकें और यदि हां, तो किन कारणों से इतनी बड़ी मांगें की जाती हैं ?

†**श्री जगजीवन राम** : परिवहन क्षमता की योजना बनानी पड़ती हैं और सम्भवतः योजना आयोग इस्पात, खान और ईंधन तथा रेलवे मंत्रालयों के बीच निकट का समन्वय रखना पड़ता है ताकि परिवहन क्षमता तैयार की जा सके।

†**श्री गोरे** : क्योंकि वैगनों और कोयले की इस कमी का योजना की पूर्ति से सीधा संबंध है, क्या निकट भविष्य में कमी को पूरा करने की कोई आशा है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री जगजीवन राम** : हमारी योजना है और हमारी इस्पात फैक्टरियों में उत्पादन लक्ष्य पूरे होने तथा गैर-सरकारी तथा रेलवे वर्कशापों के निर्माण कार्यक्रम के प्रगति करने पर हम आशा करते हैं कि तीसरी योजना में हम वैगनों की अपनी पूरी आवश्यकता पूरी कर सकेंगे ।

†**श्री हेम बरुआ** : मैंने एक निश्चित प्रश्न पूछा था कि क्या रेलवे मंत्रालय ने यह जांच की है कि कोयले की परिवहन सम्बन्धी आवश्यकता तीन वर्ष पहले बताई जाये ताकि वे अपने साधनों को गति में ला सकें ? यह अवधि इस प्रकार से क्यों निश्चित की गई है ?

†**श्री जगजीवन राम** : मुझे इसका पता नहीं है, चाहे यह एक वर्ष पहले हो या दो वर्ष पहले, यह अपेक्षित परिवहन क्षमता तीनों सम्बद्ध अभिकरणों के बीच पूर्ण समन्वय के द्वारा निर्धारित की जाती है ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : दूसरी योजना में वैगन निर्माण में जो बड़ी भारी कमी हुई थी उसको ध्यान में रखते हुये १९६१ में अबतक रेलवे की अपनी वर्कशापों से कितने वैगनों का निर्माण हुआ है, और यह लक्ष्य के मुकाबिले में कैसे है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : पृथक प्रश्न पूछा जाये । मेरे पास इस समय आंकड़े नहीं हैं ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : मा० मंत्री ने अभी बताया है कि इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय से सम्पर्क रखने के बावजूद उनको घटिया कोयला मिल रहा है, क्योंकि बढ़िया किस्म का सारा कोयला इस्पात परियोजनाओं और अन्य स्थानों को जा रहा है । क्या घटिया किस्म का कोयला रेलवे को दिया जाता रहेगा और स्थिति में सुधार की कोई आशा नही है ? घटिया किस्म के कोयले के संभरण के कारण कितनी अतिरिक्त क्षमता की जरूरत है क्योंकि जब घटिया किस्म का कोयला दिया जाता है, तो बड़ी मात्रा में कोयला उठाना पड़ता है ? घटिया किस्म के कोयला के संभरण करने में कितने वैगन खराब जाते हैं और क्या यह बात परिस्थितियों के कारण है ? स्थिति को सुधारने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**श्री जगजीवन राम** : इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय के साथ हमारा लगातार सम्पर्क रहता है और परिणाम स्वरूप कुछ कार्रवाई की जाने का विचार किया गया है और निर्णय किये जा चुके हैं, जिनको कार्यान्वित किया जायेगा । रेलवे मंत्रालय कोयला संभरण के मामले में कोयला खानों से सीधे संविदे करेगा और रेलवे कोयला खान के मुंह से लादे जाने वाले कोयले का निरीक्षण करने के लिये अपना निरीक्षणालय रखेगा जो यह प्रमाणित करेगा कि अपेक्षित किस्म का कोयला उठाया गया है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : मेरे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर नहीं दिया गया ।

अध्यक्ष महोदय : मैं अनुमति नहीं देता ।

केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन

†४०३. { **श्री बर्मन** :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री रा० च० माझी :
श्री स० चं० सामन्त : }

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या सभी मशीनों को बेच दिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो वे किसको बेची गई हैं ; और

(घ) बिक्री से कुल कितना धन मिला ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) से (घ) . विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

७ अक्तूबर, १९५९ को मंत्रीमंडल ने निर्णय किया कि केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन बन्द कर दिया जाये और उसका जो फालतू स्टोर है उस में से सरकारी विभागों की लंबित मांगों को पूरा करने के पश्चात् फालतू माल का निपटारा संभरण तथा उत्सर्जन महानिदेशाल के द्वारा कर दिया जाये । इस फैसले के अनुसार, कुल पूंजी उपकरण और वर्कशाप मशीनरी राजस्थान नहर परियोजना तथा अन्य सरकारी विभागों को बेच दी गई थीं । शेष स्टोर का निपटारा महानिदेशालय कर रहा है । यह काम अभी पूरा नहीं हुआ है ।

केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन अब प्रायः बन्द किया जा चुका है । केवल थोड़े से कर्मचारी बचे हैं जो फालतू स्टोर के निपटारा होने तथा लेखाओं का अन्तिम निपटान करने का काम करेंगे ।

†**श्री बर्मन** : दिल्ली में एक बहुत बड़ी मरम्मत की दूकान है, जो केन्द्रीय ट्रक्टर संगठन की सहायक थी । क्या सरकार के इस शब्द "फालतू स्टोर" में वह दुकान भी शामिल है, या इसको अलग से लेने का विचार किया गया है और अन्य कामों के लिये इसका उपयोग नहीं किया जायेगा ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : मुझे मरम्मत वाली दुकान के निपटान और इसके वर्तमान उपयोग के बारे में सूर्वसूचना की आवश्यकता है ।

†**श्री बर्मन** : बताया गया है कि शे स्टोर का निपटारा संभरण तथा विपणन निदेशालय के द्वारा किया जा रहा है । जिस स्टोर का निपटारा किया जाना है उसकी पुस्त लागत क्या है और यदि वह बिक्री मूल्य में जोड़ दिया जाता है, जो वसूल की जा चुकी है, तो क्या इस केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन को कोई हानि हुई है; और यदि हां, तो कितनी ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन के आरम्भ से अन्त तक के आय और व्यय के आंकड़े मेरे पास नहीं हैं । तथापि उपकरणों और पुर्जों को बेचने से हुए पुस्त मूल्य की अपेक्षा काफी लाभ हुआ है । यह १,४१,००,००० रुपये है । शेष माल भी अपनी पुस्त लागत से अधिक मूल्य पर बेचा जायेगा ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : बताया गया है कि फैसला सरकारी विभागों की लंबित मांगों को पूरा करने के बाद फालतू माल को बेचने का है । क्या सरकारी मांग पूरी की जा चुकी है ।

†**डा० पं० शा० देशमुख** : जी नहीं । हमारे पास जो कुछ था, वह हमने पेश कर दिया । यह बताना असंभव है कि हमने जो माल दिया है उससे सरकार की मांगें पूरी की जा चुकी हैं या नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री अंसार हरवानी : मा० कृषि मंत्री ने बताया है कि इस माल को बेचने में कुछ लाभ हुआ है। इस माल पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई थी।

†डा० पं० शा० देशमुख : मुझे पूर्व सूचना चाहियें।

†अध्यक्ष महोदय : जब तक आपको मूल लागत मालूम न हो, लाभ का अनुमान कैसे लगाया जा सकता है ?

†डा० पं० शा० देशमुख : मुझे पुस्तक मूल्य मालूम है। कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई थी यह में अभी बताने में असमर्थ हूं।

†श्री स० चं० सामन्त : इस संगठन को बन्द हुए बहुत देर हो गई है *अर्थात् दो वर्ष, क्या सार्व*-जनिक ज्ञापन दिये गये हैं ताकि गैर-सरकारी लोग इन चीजों का लाभ उठा सकें ?

†डा० पं० शा० देशमुख : इन मालों को बेचने में हमने बहुत अधिक लाभ लेने का प्रयत्न नहीं किया क्योंकि सरकारी विभागों की मांग को हमने प्राथमिकता दी है और हमने सरकारी विभागों को वे चाहे राज्यों के थे या हमारे मंत्रालय थे, सरकारी आधार पर माल बाजार भाव पर ही दिया है। यदि उन में से किसी माल की उनको जरूरत नहीं थी तभी हो सकता है हमने वह माल दूसरे लोगों को बेचा हो।

†श्री तंगामणि : उपकरण और मशीनरी किन राज्य सरकारों को बेची गई थीं ?

†डा० पं० शा० देशमुख : कुछ स्टोर और ढांचे खाद्य मंत्रालय को दिये गये हैं।

†श्री तंगामणि : किन राज्य सरकारों को दिये गये हैं ?

†डा० पं० शा० देशमुख : कुछ राजस्थान को और संभवतः कुछ मध्य प्रदेश को।

रेलगाड़ी का पटरी से उतर जाना

†*४०५. { **श्री तंगामणि :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे के त्रिवेन्द्रम क्विलोन सेक्शन पर अखठुमुरी और वरकला स्टेशनों के बीच १५ सितम्बर, १९६१ को अथवा उसके लगभग मद्रास जाने वाली त्रिवेन्द्रम फास्ट पैसेंजर पटरी से उतर गई थी और इंजन के पीछे लगा डाक का डिब्बा उलट गया था ;

(ख) यदि हां, तो उस दुर्घटना के फलस्वरूप जन और/अथवा सम्पत्ति की कितनी क्षति हुई; और

(ग) गाड़ी के पटरी से उतर जाने का क्या कारण था ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी, हां। १४-९-१९६१ को।

(ख) कोई व्यक्ति नहीं मरा था। केवल चार हजार रुपये की रेलवे सम्पत्ति की हानि का अनुमान है।

†मूल अंग्रेजी में

(ग) रेलवे प्रशासन दुर्घटना की जाच कर रहा है।

†**श्री तंगामणि** : क्या यह सच है कि इस दुर्घटना में मद्रास जाने वाली त्रिवेन्द्रम फास्ट पैसेंजर के तीन डिब्बे जिसमें आर० एम० एस० वान भी शामिल है पटरी से उतर गये थे ?

†**अध्यक्ष महोदय** : स्पष्ट है कि माननीय सदस्य ब्यौरा जानते हैं। इसके अतिरिक्त वह क्या चाहते हैं ?

†**श्री तंगामणि** : मैं दो अथवा तीन प्रश्न पूछना चाहता हूं।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : ऐसा ही हैं। इंजन से लगा हुआ एक डाक का डिब्बा तथा उसके बाद के तीन डिब्बे पटरी से उतर गये थे।

†**श्री तंगामणि** : इस क्षेत्र में क्विलोन और त्रिवेन्द्रम के बीच तथा मद्रास से दक्षिण में गत छः महीनों में तीन यात्री गाड़ियां—त्रिवेन्द्रम एक्सप्रेस, त्रिवेन्द्रम फास्ट एक्सप्रेस तथा एक यह पटरी से उतर गई हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने गाड़ी के पटरी से उतर जाने के कारणों का पता लगाया है और इस क्षेत्र में पटरी को बदलने के लिये प्राथमिकता देने का प्रयत्न किया है क्योंकि यहां पर बार बार गाड़ी पटरी से उतर जाती है और यह एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : पटरी की शक्ति बढ़ाने का विचार है। जिससे रेल तथा स्लीपरों का घनत्व बढ़ जाये।

†**श्री तंगामणि** : क्या मंत्रालय को बताया गया है कि इस क्षेत्र में पटरियों पर डाले गये पत्थर अनुसूची के अनुसार नहीं हैं, यदि हां, तो क्या उनमें भी अधिकता की जायेगी ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : इन सभी बातों पर विचार कर लिया गया है और मामले को ठीक किया जा रहा है।

पंजाब के लिये उर्वरक

†*४०६. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब सरकार की उर्वरक संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति कहां से की जा रही है ;

(ख) क्या यह सच है कि पंजाब सरकार को नांगल में उत्पादन किये जाने वाले उर्वरक नहीं दिये जा रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) पंजाब सरकार की नाइट्रोजन के उर्वरक की आवश्यकता सिंदरी और नांगल के कारखानों के उर्वरक से तथा बम्बई और कांडला बन्दरगाहों के आयात से पूरी की जाती है।

(ख) और (ग). जी, नहीं। नांगल में निर्मित कैल्सियम अमोनियम नाइट्रेट पंजाब सरकार को भी दिया जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री अजित सिंह सरहदी : नांगल के उत्पादन का कितना अंश पंजाब को दिया जाता है ?

†डा० पं० शा० देशमुख : २,००,००० टनों में से ६०,००० टन का आवंटन किया गया है। और हमारे विचार से चालू वर्ष में इतना ही उत्पादन होगा।

†श्री अजित सिंह सरहदी : क्या पंजाब सरकार की यही मांग है।

†डा० पं० शा० देशमुख : मूलतः मांग केवल २०,००० टन की थी परन्तु बाद में बातचीत के बाद यह तय पाया गया कि उनको नांगल का कैल्सियम अमोनियम नाइट्रेट अधिक मात्रा में मिलना चाहिये और हमने अब तक ६०,००० टन का आवंटन कर दिया है। हम चाहते हैं कि उनको और मिल जाये।

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के विमान का अगरतला में विवश हो कर उतरना

†*४०७. श्री विभूति मिश्र : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के एक डी० सी० ३ विमान को, जिसमें १७ यात्री थे, २० सितम्बर, १९६१ को उड़ने के कुछ देर बाद ही अगरतला (कलकत्ता) में विवश हो कर उतरना पड़ा था ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार विवश हो कर उतरने के क्या कारण थे; और

(ग) क्या विमान की उड़ान के पूर्व जांच नहीं की गई थी ?

†असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) और (ख). जी, हां। विमान अगरतला में इंजन में गड़बड़ी के कारण सावधानी के लिये उतार लिया गया था।

(ग) विमान का परीक्षण किया गया था और उस दिन उड़ान से पहले कलकत्ते के हावई अड्डे से उसको उड़ाने का प्रमाण-पत्र ले लिया गया था।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि कौन सी ट्रबल उस प्लैन पर हो गई कि उस को फोर्स लैंडिंग करनी पडी।

श्री मुहीउद्दीन : मैंने अर्ज़ किया है कि एंजिन की खराबी हो गई थी। ३५ या ४० मिनट उड़ने के बाद जब एंजिन की खराबी का पता चला तो पाइलट ने फैसला किया कि वह फिर वापस अगरतला आ जाय।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि कलकत्ता और अगरतला के बीच प्रायः प्लेन गड़बड़ हुआ करते हैं ? और अगर यह सही है तो क्या सरकार ऐसा सोचती है कि उस लाइन पर वह जो प्लेन दे वह बहुत अच्छे हों जिस में कि कोई दिक्कत वहां न पैदा हो ?

श्री मुहीउद्दीन : जहां तक मुझे इल्म है मुमकिन है प्लेन्स में, हवाई जहाज में, कभी कभी कुछ गड़बड़ी हो जाय, लेकिन आम तौर पर तो बहुत अच्छे प्लेन्स चलते हैं और कोई खराबी नहीं देखी गई।

---

†मूल अंग्रेजी में

जिला सड़क योजना

†*४०८. **श्री हेम राज :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को संघ के विभिन्न राज्यों से जिला सड़क योजना प्राप्त हो गई है ;

(ख) इन योजनाओं के अध्ययन से किस बात का पता चलता है ; और

(ग) पहाड़ियों में सड़कों के निर्माण के लिये बीस वर्षीय सड़क योजनाओं द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों में कहां तक ढिलाई की गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) और (ख). आसाम, मद्रास, बिहार, त्रिपुरा और मनीपुर से जिला सड़क योजनायें मिल गई हैं । अन्य राज्यों से वह अभी नहीं मिली हैं । अन्य राज्यों में यह तैयार की जा रही हैं । इसलिये इस समय उन के बारे में पूरी बात बताना संभव नहीं है क्योंकि योजना बन जाने के बाद ही जिला सड़क योजना का अन्तिम स्वरूप सामने आयेगा ।

(ग) पर्वतीय क्षेत्रों की सड़कों से सम्बन्धित समेत बीस वर्षीय सड़क योजना की सभी सिफारिशों पर अभी विचार नहीं किया गया है । परिवहन नीति तथा समन्वय संबंधी समितियां प्रतिवेदन तैयार हो जाने पर ही उस पर विचार किया जायगा ।

†**श्री हेमराज :** मैं जानना चाहता हूं कि तीसरी पंचवर्षीय योजनावधि में सड़क योजनाओं का क्या कोई निर्धारण किया गया है क्योंकि तीसरी योजना का पहला वर्ष आरम्भ हो गया है, यदि हां, तो इस कार्य के लिये कितनी रकम आवंटित की गई है ?

†**श्री राज बहादुर :** प्रश्न ग्राम्य सड़क पद्धति के बारे में है और जिला योजनायें उन के ऊपर ही तैयार की जाती हैं । यह निश्चित रूप से राज्य सरकारों के द्वारा कार्यों के अधीन आता है हम केवल यह सुझाव दिया है कि हम को भविष्य की सड़कों की पूरी जानकारी मिल जाये इसलिये राज्य सरकार जिलेवार राज्य की सड़कों के नक़शों बना कर हमें भेज दें जिस से बहुत सी सड़कें न बन जायें और संचार व्यवस्था में उलझन न पैदा हो जाये ।

†**श्री हेम राज :** क्या इन सड़क योजनाओं पर केन्द्र सरकार भी कुछ व्यय करेगी ?

†**श्री राज बहादुर :** यह मामला विचाराधीन है ।

†**श्री सै० अ० मेहदी :** क्या इस में गांवों को मुख्य सड़क से मिलाना भी शामिल है ?

†**श्री राज बहादुर :** हम पूरी सड़क प्रणाली पर विचार कर रहे हैं इसलिये इसमें कुछ गांवों को मुख्य सड़क से मिलाने वाली सड़कें भी होंगी ।

†**श्री फ० गो० सेन :** गांवों को राष्ट्रीय राजपथ अथवा राज्य सड़कों से मिलाने की भी योजना थी तथा उस में केन्द्र को ७५ प्रतिशत धन देना था । मैं जानना चाहता हूं कि वह योजना कितनी लागू हो चकी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री राज बहादुर** : वह सामुदायिक विकास के अधीन है। मैं समझता हूं कि विभिन्न क्षेत्रों तथा विभिन्न गांवों में, उस क्षेत्र के लिये आवंटित रकम के आधार पर यह सड़कें भिन्न भिन्न क्रम पर हैं।

†**श्री आचार** : विवरण से मालूम होता है कि कुछ राज्यों ने अपनी योजना प्रस्तुत नहीं की है। मैं जानना चाहता हूं कि योजना प्रस्तुत करन के लिये क्या कोई सीमावधि निश्चित थी। इसके अतिरिक्त इन पर्वतीय क्षेत्रों की सड़कों के बारे में क्या कोई विशेष आदेश थे कि वह अपनी योजनायें किस प्रकार प्रस्तुत करें।

†**श्री राज बहादुर** : हम ने जिला सड़क नक़शों को तैयार करने के लिये राज्य सरकारों को कुछ सहायता दी है। विभिन्न राज्यों को इस कार्य के लिये ९ लाख रुपया दिया गया है। मैंने बताया कि राज्य इसको तैयार कर रहे हैं। कुछ राज्यों ने इनको तैयार कर लिया है और कुछ तैयार कर रहे हैं। पर्वतीय क्षेत्रों के बारे में बीस-वर्षीय सड़क योजना में एक विशेष सिफारिश की गई थी कि पर्वतीय क्षेत्रों में चक्करदार सड़कें बनाये जाने के कारण सड़कों के मील बढ़ जाने से इसके लिये शत प्रतिशत भत्ता दिया जायेगा।

†**श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह जी** : राष्ट्रीय राजपथ तथा जिला सड़कों के लिये आवंटन में क्या अनुपात है ?

†**श्री राज बहादुर** : राष्ट्रीय राजपथ के लिये ५० करोड़ रुपया है। ग्राम्य सड़कों के लिये प्रत्येक राज्य के लिये अलग अलग है। मेरे पास ठीक आंकड़े नहीं हैं।

†**श्री हेम राज** : क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना की सड़कों के लिये आवंटन को बढ़ा दिया है क्योंकि सड़क के मील बढ़ गये हैं ?

†**श्री राज बहादुर** : योजना पर अन्तिम निर्णय लेते समय हमने राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत विभिन्न प्रस्तावों पर विचार किया है। योजना आयोग ने भी उस पर विचार कर लिया है। राष्ट्रीय राजपथ तथा सड़कों के लिये तीसरी योजना में आइडीए सहायता समेत कुल आवंटन लगभग ३५० करोड़ रुपये हैं।

†**श्री सै० अ० मेहदी** : सम्पर्क सड़कों के बारे में मेरी समझ में एक बात नहीं आई है। मैंने सामुदायिक विकास मंत्रालय को पत्र लिखा था। उन्होंने बताया कि इन सम्पर्क सड़कों के निर्माण के लिये फण्डों में धन नहीं है। आप के बताये अनुसार क्या राज्यों से इन को जिला योजनाओं अथवा नक़शों में शामिल करने के लिये कहा गया है ? यदि नहीं तो इस की जिम्मेदारी किस पर है ?

†**श्री राज बहादुर** : इस प्रश्न का ठीक उत्तर संबंधित राज्यों के सड़कों के मंत्री अथवा सामुदायिक विकास मंत्री देंगे। मैं ने बताया कि उनकी अपनी योजनायें हैं। वह योजनायें राज्य सरकारों के सामुदायिक विकास प्रशासन के सहयोग से बनाई गई हैं।

†**श्री बसुमतारी** : क्या आसाम राज्य सरकार ने जिला सड़कों की कोई योजना बनाई है ?

†**श्री राज बहादुर** : मैं नहीं जानता कि आसाम सरकार ने ग्राम्य सड़कों के लिये कोई योजना प्रस्तुत की है। मैं समझता हूं कि वह हमें प्रस्तुत भी नहीं करेंगे।

†**श्री हेम राज** : क्या पंजाब सरकार ने पंजाब के पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिये कोई अतिरिक्त आवंटन करने के लिये कहा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री राज बहादुर : उनके मांगने पर भी परिवहन मंत्रालय में पर्वतीय क्षेत्रों के लिये अलग धन नहीं है ।

गैर-सरकारी अभिकर्ताओं के प्रबंधाधीन इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के स्टेशन

†*४११. **श्री बसुमतारी :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के कितने और किन किन स्टेशनों का प्रबन्ध गैर-सरकारी अभिकर्त्ताओं के हाथों में है ; और

(ख) गैर-सरकारी अभिकर्त्ताओं को रखने के क्या कारण हैं तथा उन मार्गों पर, जहां इंडियन एयर लाइंस कारपोरेशन की उड़ानें साधारणतया भरी होती हैं और लम्बी प्रतीक्षा सूचियां होती हैं, यातायात तथा माल को उठाने में सहायता करने के लिये गैर-सरकारी विमान संचालकों को अनुमति देने में जो हिचकिचाहट है उसके क्या कारण हैं ?

†**असैनिक उड्डयन उप-मंत्री (श्री मुहीउद्दीन) :** (क) इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ने ग्यारह छोटे स्टेशनों पर गैर-सरकारी अभिकर्त्ता नियुक्त किये हैं—जैसे इलाहाबाद, जोधपुर, उदयपुर, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, चण्डीगढ़, कुल्लू, कांडला, रांची और जमशेदपुर ।

(ख) निगम ने इन अभिकर्त्ताओं को इन स्टेशनों पर इसलिये नियुक्त किया है क्योंकि इन स्थानों पर यह स्वयं काम नहीं कर सकते हैं । विमान सेवाओं को गैर-सरकारी संचालकों को चलाने की अनुमति देने का प्रश्न ही अलग है ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच है कि कलिंग एयरलाइन्स को बम्बई और बड़ौदा के बीच विमान सेवा चलाने की अनुमति दे दी गई है ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : इस सम्बन्ध में एक अलग प्रश्न अभी आ रहा है ।

†**श्री हेम बरुआ :** परन्तु मेरे इस प्रश्न का भी उत्तर दिया जा सकता है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** जी नहीं ।

†**श्री बसुमतारी :** क्या यह सच है कि गैर-सरकारी संचालकों को चालन की अनुमति न दिये जाने के कारण बहुत सी अत्यावश्यक सामग्री रुकी पड़ी है क्योंकि आई ए सी के पास इस सामग्री को ले जाने के लिये पर्याप्त विमान नहीं हैं ?

†**श्री मुहीउद्दीन :** गैर-सरकारी संचालक बिल्कुल ही भिन्न रूप में प्रयुक्त हुआ है । गैर-सरकारी संचालक उसको कहते हैं जो गैर-सरकारी विमान चलाता है । संभवतया माननीय सदस्य गैर-सरकारी संचालकों तथा गैर-सरकारी अभिकर्ताओं में वैभिन्न्य नही समझ पा रहे हैं । गैर-सरकारी अभिकर्त्ता हवाई अड्डे से नगर तक परिवहन की व्यवस्था करते हैं । वह परिवहन के लिये बस आदि की व्यवस्था करते हैं जो यात्रियों को नगर से हवाई अड्डे तक तथा हवाई अड्डे से नगर तक समय पर पहुंचा दे । वह स्थानीय रूप से टिकट भी बेचते हैं ।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी :** इन गैर-सरकारी अभिकर्ताओं को कितना कमीशन दिया जाता है और १९६०-६१ में कितना दिया गया है ?

†**श्री मुहीउद्दीन :** मेरे पास आंकड़े नहीं हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

चितरंजन के इंजनों की लागत

†*४१४. श्री सूपकार : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या चित्तरंजन में तैयार किये गये बिजली के इंजनों की उत्पादन लागत आयात किये गये इंजनों की लागत की तुलना में कम है ; और

(ख) क्या चित्तरंजन में निकट भविष्य में ए० सी० और डी० सी०, दोनों प्रकार के, इंजन तैयार किये जायेंगे ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री से० वें० रामस्वामी) : (क) चित्तरंजन में बनाये गये बिजली के इंजनों की सही लागत उपलब्ध नहीं है और आयात किये गये इंजनों से उनकी तुलना नहीं की जा सकती है ।

(ख) जी हां ।

†श्री सूपकार : विदेशों से आये बिजली के इंजनों तथा निर्मित इंजनों में क्या अनुपात है ? विदेशों में आये पुर्जों तथा निर्मित पुर्जों के मूल्य में क्या अनुपात है ।

†अध्यक्ष महोदय : स्थानीय रूप से बनी वस्तुओं तथा आयात की गयी वस्तुओं की लागत में क्या प्रतिशतता है ?

†रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम) : इस समय हमने चित्तरंजन इंजन कारखाने में बिजली के इंजनों का निर्माण किया है । यांत्रिक पुर्जे वहां पर बनाये जाते हैं तथा बिजली के पुर्जे भोपाल के हैवी इल्लैक्ट्रिकल्स में बनेंगे । जब भोपाल में हैवी इलैक्ट्रिकल्स का काम चालू हो जायेगा और निर्माण आरम्भ हो जायेगा तब यह समझा जायेगा कि शत प्रतिशत देशी उत्पादन होने लगा है । परन्तु इस समय बिजली के पुर्जों का अयात किया जाता है । इस प्रकार देशी पुर्जे लगभग ४० प्रतिशत है ।

†श्री रंगा : आयात किये गये बिजली के इंजनों की तुलना में इन बिजली के इंजनों की लागत क्या है ?

†श्री जगजीवन राम : इसका उत्तर अभी दिया जा चुका है ।

†अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न पूछा गया था और उन्होंने उत्तर दे दिया कि इस समय यह बताना संभव नहीं है ।

†श्री रंगा : उन्होंने बताया है कि इस समय वह उसकी वास्तविक लागत नहीं बता सकते हैं । परन्तु यदि इन वस्तुओं के निर्माण के लिये उनकी कोई योजना है तो उनको लागत का प्राक्कलन अवश्य लगाना चाहिये ।

†अध्यक्ष महोदय : उनको आयात किये गये इंजनों की लागत मालूम होगी ।

†श्री से० वें० रामस्वामी : यह डी०सी० १५०० अश्वशक्ति के संबंध में है । पहले हमने जापान से ८.६५ लाख रुपये तथा ब्रिटेन से १०.६४ लाख रुपये के मूल्य पर इनको अयात किया था ।

†श्री त० ब० विट्ठल राव : कब ?

श्री से० वें० रामस्वामी : जब हमने कुछ वर्ष पहले आयात किया था ।

†मूल अंग्रेजी में

श्री त० ब० विट्ठल राव : इस प्रकार अब वह मूल्य नहीं रहे हैं।

श्री सें० वें० रामस्वामी : इसीलिये मैं आयात किये गये इंजनों के मूल्य पहले बता कर चित्तरंजन के इंजन की लागत बताने लगा हूं। पहला आर्डर दस का था। अनुमानित प्राक्लन लगभग १०.३२ लाख पये होगा। उत्पादन बढ़ने पर लागत कम होती जायेगी।

†**श्री मं० रं० कृष्ण :** प्रत्येक इंजन के लिये कितने मूल्य के पुर्जों का आयात किया जाता है और स्थानीय रूप से उत्पादन पर कितना व्यय होगा ?

†**अध्यक्ष महोदय :** अभी बताया गया ४० प्रति शत।

†**श्री मं० रं० कृष्ण :** मैं लागत जानना चाहता हूं। उन्होंने बताया कि पुर्जे ४० प्रतिशत होंगे। आयात किये गये पुर्जे कितने मूल्य के होंगे।

†**अध्यक्ष महोदय :** १० लाख के ४० प्रतिशत। चित्त जन में बने भारतीय इंजन की प्राक्कलित लागत १० लाख रुपये हैं। इस प्रकार १० लाख रुपये के ४० प्रतिशत के पुर्जे हुये।

†**श्री त्यागी :** मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री यह कह रहे थे कि वह अभी तक इसकी प्राक्कलित लागत को गणना नहीं कर पाये हैं। क्या इसका कोई विशेष कारण है ? कुछ समय पहले से कारखाना चालू है। आप सचमुच हो प्राक्कलन नहीं बना पाये हैं अथवा व्यापारिक कारणों से इसको गुप्त रखना चाहते हैं ?

†**श्री जगजीवन राम :** मेरे मित्र समझ नहीं पाये हैं। यह भाप के इंजन के बारे में नहीं है। यह बिजली के इंजन के बारे में हैं। हमने यह पहला इंजन बनाया है। सच यह है कि हमने इसके पुर्जे जोड़कर सको तैयार किया है जब कुछ और तैयार कर लेंगे तभी प्राक्कलन बता सकेंगे।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** चित्तरंजन कारखाने में ए० सी० का इंजन कब तक बन जायेगा ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** हमने बड़ी लाइन के ६२, २५ किलोवाट ए० सी० के इंजनों और १६, २५ किलोवाट ए०सी० के मीटर गेज के इंजनों का चित्तरंजन कारखाने को आर्डर दिया है।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** ए० सी० इंजनों का निर्माण कब से शुरू होने जा रहा है।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** अगले वर्ष आरम्भ हो जायेगा।

†**श्री सूपकार :** क्या विद्युतीकरण के विस्तार कार्यक्रम के द्वारा हम निकट भविष्य में बिजली के इंजनों के निर्माण में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर लेंगे और यदि हां, तो कब तक ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** आत्मनिर्भरता प्राप्ति में अभी समय लगेगा। अभी आरम्भ हुआ है। हमने चित्तरंजन कारखाने को लगभग ९९ इंजनों के आर्डर दिये हैं। उत्पादन बढ़ने पर हम आत्मनिर्भर हो जायेंगे।

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के लिये 'फोकर' विमान

\+

†*४१५. { **श्री मुरारका :**
श्री प्र० गं० देव :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डियन एयरलाइन्स कारपो शन ने और अधिक 'फोकर' विमान खरीदने का निश्चय किया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या इस खरीद के लिये किसी दूसरी फर्म से पूछताछ की गयी थी; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) :** (क) इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ने केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति से फोकर फ्रेंडशिप विमानों के निर्माताओं से वस्तु विनिमय व्यवस्था पर पांच फोकर फ्रेंडशिप विमान खरीदने के ठेके पर हस्ताक्षर किये हैं।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री मुरारका :** फोकर फ्रेंडशिप का आयात करने के बदले में हम किस चीज का निर्यात करेंगे तथा यह निर्यात कुल कितने मूल्य के होंगे ?

†**श्री मुहीउद्दीन :** निर्यात की बहुत सी वस्तुयें हैं ।

†**कुछ माननीय सदस्य :** मुख्य मुख्य वस्तुयें क्या हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** निर्यात के बारे में इन से पूछना उचित नहीं।

†**श्री मुरारका :** यह वस्तु विनिमय का समझौता है ।

†**श्री नाथ पाई :** हम वस्तु विनिमय पर इनको ख ीद रहे हैं इसलि े हमें पूरा अधिकार है कि हम वस्तुविनियम की शर्तों को जा ें।

†**श्री मुहीउद्दीन :** वस्तु विनिमय समझौता राज्य व्यापार निगम तथा फोकर्स के बीच हुआ था ।

†**श्री वाजपेयी :** इससे क्या फर्क पड़ता है ।

†**श्री मुहीउद्दीन :** मेरे पास पूरे ब्यौरे नहीं हैं ।

†**कुछ माननीय सदस्य :** मुख्य मुख्य वस्तुयें ।

†**अध्यक्ष महोदय :** यदि किसी विभाग को किसी वस्तु की जरूरत होती है तो उसको वित्त मंत्री ही खरीद कर देते हैं। यह उन पर निर्भर करता है कि वह विदेशी मुद्रा दें अथवा उद्योग मंत्री से इस प्रकार की व्यवस्था करें। उसके बदले में राज्य व्यापार निगम कुछ वस्तुओं का निर्यात करे। क्या यह सभी बातें माननीय मंत्री जान सकते हैं।

†**कुछ माननीय सदस्य :** इन पर उसका भार है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** उनको कैसे मालूम हो सकता है कि यह कहां से आया। माननीय मंत्री जितना संभव है उतने विमान की देश के लिये व्यवस्था कर रहे हैं। जब विदेशी मुद्रा का प्रश्न पूछा जाता है तो वह बताते हैं कि यह वस्तु विनिमय समझौता हैं। परन्तु उनको वस्तु विनिमय के ब्यौरे संभवतया ज्ञात नहीं हों। यदि उनको ज्ञात है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

†**श्री त्यागी :** जब उनके अधीन निगम ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं तो उनको जानना चाहिये कि फोकर फ्रेंडशिप के लिये कितने मूल्य की वस्तुओं का निर्यात किया जायेगा। हम केवल निर्धारण करना चाहते थे कि वह बाजार भाव पर मिल रहे हैं अथवा नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री मुहीउद्दीन : मैं ने बताया कि इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन ने फोकर्स से समझौता किया है कि भारत में रुपये के भुगतान पर ५ विमान दें। इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन ने फाकर्स से यह ठेका किया है।

†कुछ माननीय सदस्य : कितना रुपया देना होगा।

†श्री मुहीउद्दीन : फाकर्स ने राज्य व्यापार निगम से एक और समझौता किया जिसके अनुसार वस्तु विनिमय के आधार पर नियमित आयात, निर्यात होगा। फाकर्स विमान मिल जाने जाने पर इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन भारत में रुपयों में उसके लिये भुगतान कर देगी।

†अध्यक्ष महोदय : इनका कितना मूल्य होगा ?

†श्री मुहीउद्दीन : पुर्जों, इंजनों आदि के लिये २८४ लाख रुपया देना होगा।

†श्री मुरारका : रुपये में भुगतान करने के कारण क्या हमको विदेशी मुद्रा में भुगतान से अधिक मूल्य देना होगा। तथा यदि हां, तो प्रति विमान मूल्य क्या अन्तर है ?

†अध्यक्ष महोदय : उनके द्वारा रुपये में भुगतान लेने पर क्या हम अधिक रुपया दे रहे हैं ?

†श्री मुहीउद्दीन : हम ने उसी मूल्य पर विमानों को खरीदा है जिस मूल्य पर वह किसी भी देश को सोना लेकर देते हैं।

†अध्यक्ष महोदय : अधिक धन नहीं दिया गया है।

†श्री च० द० पांडे : आज कल एयर लाइन्स कारपोरेशन के यातायात में गड़बड़ी हो जाने के कारण मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का विचार वाइकाउन्ट विमानों के स्थान पर अन्य विमानों को लगाने का है। यदि वह फाकर्स नहीं खरीदे जा रहे हैं तो किस प्रकार के विमानों को खरीदने का उनका विचार है ?

†श्री मुहीउद्दीन : यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

†अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

†श्री त्यागी : एवरो का इस्तेमाल क्यों न करें।

नौवहन दरों में वृद्धि

+

†*४१६. { श्री रघुनाथ सिंह :
श्री प्र० गं० देव :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी नौवहन समवायों के प्रतिनिधि केन्द्रीय नौवहन मंत्री से मिले थे और उन्होंने निर्यात पर माल भाड़ा दर में, जो पहले ही १० प्रतिशत बढ़ाया जा चुका है वृद्धि करने का आग्रह किया था ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) हां, श्रीमान । फिर भी, भारत/ब्रिटेन/महाद्वीप सम्मेलन द्वारा की गई १० प्रतिशत वृद्धि पूर्व की ओर जाने वाले माल के बारे में है (अर्थात, हमारे आयात पर न निर्यात पर) ।

(ख) भारत सरकार ने इस समय माल भाड़े में कोई वृद्धि करने पर गह ी चिन्ता और विरोध व्यक्त किया है ।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : माननीय मंत्री से किसी विदेशी नौवहन समवाय के अधिकारी मिले थे और मालभाड़ा बढ़ाने के लिये आग्रह करने के क्या कारण थे ?

†**श्री राज बहादुर** : भारत-ब्रिटेन-महाद्वीप सम्मेलन के प्रतिनिधि हम से मिले थे और उन्होंने ने अपना माल भाड़ा बढ़ाने का यह कारण बताया था कि संचालन के व्यय में वृद्धि हो गई है ।

देश में डाक्टरों की कमी

†*४१७. **श्री हेम बरुआ** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अभी हाल में विभिन्न राज्यों से प्राप्त जानका ी से यह पता चलता से कि संपूर्ण देश में विभिन्न औषधालय चलाने के लिये डाक्टरों की भा ी कमी है ; और

(ख) यदि हां, तो यह कितनी है और इस स्थिति को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ख) उपरोक्त भाग (क) की दृष्टि से यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । मैं यह और कहना चाहूंगा कि प्राय बंगाल के अतिरिक्त सरका ी सेवा के लिये डाक्ट ों की कमी रही है । परन्तु, ठीक कितनी कमी है, इसकी मैं पूर्व सूचना चाहता हूं ।

†**श्री हेम बरुआ** : स बात को ध्यान में रख कर कि माननीय मंत्री कहते हैं कि प्राय डाक्टरों की कमी है, परन्तु उन्हें संख्या का पता नहीं है, मैं जानना चाहता हूं कि स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार सेवा निवृति की आयु बढ़ाकर या डिप्लोमा पाठ्य-क्रम आरम्भ करने जैसी क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

†**श्री करमरकर** : प्रत्यक्ष कार्यवाही यह है कि चिकित्सा कालिजों की संख्या बढ़ाई जाये । ये कालिज १९४७ में १७ थे और अब ६४ हैं । मुझे बताया गया है कि इनमें प्रति वर्ष ९,००० विद्यार्थी प्रवेश पाते हैं । अतः कुछ वर्षों में डाक्टरों की अधिकता हो जायेगी ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि क्या उपाधि पाठ्य-क्रम के स्थान पर डिप्लोमा पाठ्य-क्रम आरम्भ करने का कोई उपबन्ध किया जा रहा है ।

†**श्री करमरकर** : नहीं, हमारा कोई उपबन्ध नहीं है । यह आवश्यक नहीं है ।

†मूल अंग्रेजी में

†श्री हेम बरुआ : मैसूर सरकार ने पुनः डिप्लोमा पाठ्यक्रम आरम्भ करने का निश्चय किया है। क्या भारत सरकार को इसका पता है या नहीं?

†श्री करमरकर : हां, मैसूर सरकार ने डिप्लोमा पाठ्यक्रम आरम्भ किये हैं। इसके बारे में हमें पता है। इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है और न ही इसमें हमारी कोई राय है।

†श्री नाथ पाई : यदि मैंने माननीय मंत्री को ठीक समझा है तो मेरा विचार है कि उन्होंने बहुत पहले कहा था कि डाक्टरों की अधिकता हो जायेगी। उनके विचार का क्या आधार है, क्योंकि आंकड़ों से पता लगता है कि भारत में प्रति हज़ार व्यक्तियों के लिये डाक्टरों व नर्सों की व्यवस्था संसार में सब से कम है। अतः माननीय मंत्री इस अधिकता की गणना कैसे करते हैं ?

†श्री करमरकर : प्रथम, यह बात कि कम से कम जन संख्या के लिये कोई डाक्टर हो, प्रगति का चिन्ह नहीं है। हम भारत में वैसी प्रगति नहीं चाहते। मैं आशा कर रहा हूं कि छूत के रोग के समापन से हम कम से कम डाक्टर रखेंगे। मैं चाहता हूं कि विरोधी पक्ष के मेरे माननीय मित्र समस्याओं का वर्तमान की अपेक्षा अधिक अध्ययन करें। मेरे माननीय मित्र भूल जाते हैं कि कभी भारत सब से अधिक स्वस्थ देशों में से एक था और मैं आशा कर रहा हूं कि इन छूत के रोगों का निवारण होने पर, हमारे देश का स्वास्थ्य संसार में सर्वोत्तम होगा। यह पहिली बात है।

द्वितीय, जब कि हम जनता को १०,००० डाक्टर प्रति वर्ष देते हैं, तो यह स्थिति आ गई है कि जिले के मुख्य स्थानों में डाक्टरों की भरमार है। हो सकता है कि मेरे विपक्षी माननीय सदस्य को इसका बोध न हो, परन्तु मैंने पूना में डाक्टरों के बारे में यह शिकायत सुनी है कि स्वास्थ्य मंत्रालय को पूना से आने वाले डाक्टरों को रोकने की कार्यवाही करनी चाहिये।

मूल स्वास्थ्य केन्द्रों के विस्तार से मुझे पूर्ण विश्वास है कि उतने डाक्टरों की आवश्यकता नहीं होगी जितनी कि मेरे माननीय मित्र श्री नाथ पाई समझते हैं। प्रति वर्ष १०,००० डाक्टरों के बढ़ने से अगले दस वर्षों में एक लाख डाक्टर हो जायेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि दस वर्ष बाद हमारे पास मांग आयेगी कि इंग्लैंड में चिकित्सा कालिजों की संख्या कम की जाये।

†श्री हेम बरुआ : इंगलैंड में . . . .

†अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। यह बड़ी ही गम्भीर बात है। माननीय मंत्री प्रत्यक्षतः कहते हैं कि इसके बाद प्रति ३०,००० की जन संख्या के लिये एक डाक्टर हो, वह एक लाख की जन संख्या के लिये एक डाक्टर होगा। क्या यही जांच है ?

†श्री करमरकर : मैंने यह नहीं कहा था। या मैं अपनी बात बिल्कुल नहीं समझा जा सका, या अति सम्मान पूर्वक मैं कहूंगा कि अध्यक्षपीठ ने मेरी बात ठीक से नहीं सुनी।

बात इस प्रकार है कि कभी कभी गलत ढंग से तर्क रखा जाता है कि क्योंकि रूस में प्रति ५०० व्यक्तियों के लिये एक डाक्टर है या अमरीका में प्रति ६०० व्यक्तियों के लिये एक डाक्टर है, इस लिये हमें भी वैसा ही करना चाहिये। वास्तव में, मैं ने अमरीकनों के साथ इस बात पर विचार-विमर्श किया है। वे मेरे साथ सहमत थे कि वे इस होड़ में केवल यह कह सकते हैं कि शायद उन्हें भी प्रति ३०० व्यक्तियों आदि को एक डाक्टर रखना पड़े : परन्तु औसत रूप में प्रति ३०० व्यक्तियों

†मूल अंग्रेजी में

के लिये एक डाक्टर रखना ठीक नहीं है। आजकल का सर्वोत्तम और स्वीकृत विचार यह है कि हम छूत के सारे रोगों का निवारण करना चाहिये और उत्तम स्वास्थ्य शिक्षा, आदि की व्यवस्था करनी चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि प्रति ३०० व्यक्तियों के लिये एक डाक्टर नहीं होगा तो कितने व्यक्तियों के लिये एक डाक्टर होगा।

†**श्री करमरकर:** साधारण रूप में, हम ने अपने देश में यह संख्या निश्चित की है कि लगभग ३,००० व्यक्तियों के लिये एक सुसज्जित डाक्टर हो, और हमारे देश के लिये यह काफी है। अब भी प्रति ४,००० व्यक्तियों के लिये देश में एक डाक्टर है। आशा है कि मेरे माननीय मित्र इस बात पर विचार करेंगे।

यदि कोई जिला नगर में जाये और किसी से पूछे कि वहां काफी डाक्टर हैं या नहीं, तो उसे पता लगेगा कि यहां वहां कुछ जिलों को छोड़ कर सारे जिला नगरों में डाक्टर हैं।

गांवों में हम मूल स्वास्थ्य केन्द्र खोल रहे हैं। यह प्रयोग रूस के अतिरिक्त अन्य किसी भी देश के लिये नया प्रयोग है। अम हम ६०,००० की जनसंख्या के लिये एक पूर्ण सज्जित मूल स्वास्थ्य केन्द्र खोल रहे हैं। यथासमय हम उस का विकास करेंगे और मुझे आशा है कि यथासमय हम प्रति २०,००० व्यक्तियों के लिए एक मूल स्वास्थ्य केन्द्र खोलेंगे। ये बातें केवल आंकड़ों की गणना से नहीं हो सकतीं। मानलो कि कोई व्यक्ति यह कहता है कि प्रति १०० या २०० व्यक्तियों के लिए एक डाक्टर हो, तो वह कोई प्रगति नहीं है। समूची चिकित्सा व्यवस्था को फैलाना है। मेरी इच्छा है कि मेरे माननीय मित्र इस बात का अध्ययन करें। यदि आप इस मामले पर चर्चा करने के लिये एक घंटा दे सकें तो मुझे प्रसन्नता होगी। यह बहुत अच्छी बात होगी।

†**श्री त्यागी :** क्या माननीय मंत्री को विदित है कि सरकार ने सरकारी धन से बहुत बड़ी संख्या में ऐसे औषधालय खोले हैं जिन में कोई डाक्टर नहीं है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं ने अपने जिले में तेरह औषधालय खुलवाये थे। उन औषधालयों के लिये डाक्टर पाना कठिन है ; वहां कोई भी डाक्टर एक मिनट को भी नहीं ठहरता। क्या यह बहुत चिन्ताजनक बात है .

†**श्री करमरकर :** यह बहुत ही चिन्ताजनक बात है . . . .

†**अध्यक्ष महोदय :** पहिला प्रश्न यह पूछा गया था 'डाक्टरों की कितनी कमी है?' माननीय मंत्री ने यह बात नहीं बताई है। परन्तु जब माननीय सदस्य कुछ कहते हैं तो वह सरलता से कह देते हैं कि 'नहीं, मैं अन्य लोगों का अनुसरण नहीं करूंगा। गांवों में प्रति २०,००० व्यक्तियों के लिए एक डाक्टर रखूंगा।' हो सकता है कि आजकल नगरों में अधिक डाक्टर हों, परन्तु गांवों के बारे में माननीय मंत्री कहते हैं कि ६०,००० व्यक्तियों के लिए एक स्वास्थ्य केन्द्र होगा। कहां ६,००० और कहां ६०,००० ? किसी गम्भीर विषय को निपटाने का यह ढंग नहीं है। यदि माननीय मंत्री के पास तथ्य नहीं हैं तो उन्हें यह कहना चाहिये कि उन के पास आंकड़े नहीं हैं और वह उन्हें प्राप्त करेंगे। यह बहुत ही गम्भीर बात है। यह कहने का क्या अर्थ होता है 'नहीं, मेरी आशा है कि मैं छूत के सारे रोगों का निवारण कर दूंगा और किसी डाक्टर की आवश्यकता नहीं है?' इस प्रकार के उत्तर पर वास्तव में मुझे आश्चर्य होता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री करमरकर :** क्या मैं उत्तर दे सकता हूं? वर्तमान स्थिति इस प्रकार है। आजकल देश में लगभग ८०,००० अंग्रेज़ी डाक्टर हैं। आधुनिक चिकित्सा के डाक्टरों के अतिरिक्त लगभग ४००,००० से ५००,००० तक गैर-अंग्रेज़ी डाक्टर हैं। वर्तमान योजना यह है कि हम ६०,००० व्यक्तियों के लिये नहीं अपितु ६०,००० के क्षेत्र के लिये एक मूल स्वास्थ्य केन्द्र खोलेंगे। अन्त में यह यहीं तक सीमित नहीं रहेगा। एक मूल स्वास्थ्य केन्द्र अधिक से अधिक १०,००० व्यक्तियों की सेवा कर सकता है। इन केन्द्रों की संख्या फिर बढ़ाई जायेगी। इसके बारे में मुझे कोई सन्देह नहीं है।

†**श्री त्यागी :** क्या इन औषधालयों में डाक्टर होंगे ?

†**श्री करमरकर:** हमने इस बारे में गणना की है और शिकायत को सचाई से बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है। ३,००० स्वास्थ्य केन्द्रों में से कुछ राज्यों में केवल लगभग ४०० केन्द्र ऐसे हैं जिनमें डाक्टर नहीं हैं। अन्य सब में डाक्टर हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे माननीय मित्र उन गांवों में जायें जहां केन्द्र काम कर रहे हैं और मुझे से कहें कि क्या स्थिति है। मेरा अनुभव है कि जहां कहीं मैं मूल स्वास्थ्य केन्द्र में जाता हूं लोग प्रसन्न हैं। अतः यह कोई निराधार बात नहीं है। हम कमी पूरा करने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। देश में दुःखद वातावरण उत्पन्न करने से कोई लाभ नहीं।

†**श्री नाथ पाई :** उनके इस लम्बे भाषण से मुझे कोई लाभ नहीं हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं इस पर आधे घंटे की चर्चा की अनुमति दे सकता हूं।

†**श्री करमरकर :** इसके लिये एक घंटा रहने दीजिये क्योंकि मैं भी उत्तर देने के लिये कुछ समय चाहता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय :** अच्छा यह चर्चा कल शाम को होगी।

अगला प्रश्न। श्री याज्ञिक। माननीय सदस्य अनुपस्थित ह।

†**श्री ब्रजराज सिंह :** उस प्रश्न का उत्तर मिलना चाहिये क्योंकि वह महत्वपूर्ण प्रश्न है।

†**अध्यक्ष महोदय :** ठीक है।

कलिंग एयरलाइन्स द्वारा बड़ौदा-बम्बई विमान सेवा

†*४१८. **श्री याज्ञिक :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलिंग एयरलाइन्स को बड़ौदा और बम्बई के बीच विमान सेवा चालू करने का लाइसेंस मंजूर किया गया ; और

(ख) यदि हां, तो अहमदाबाद और बम्बई के बीच इंडियन एयरलाइन्स की विमान-सेवा रहते हुए भी इस गैर-सरकारी समवाय को लाइसेंस देने का क्या कारण ह ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री अहमद मुहीउद्दीन) :** (क) और (ख). नहीं, श्रीमान्। कलिंग एयर लाइन्स को बड़ौदा और बम्बई के बीच नियमित विमान सेवा चालू करने के लिये कोई लाइसेंस नहीं दिया गया है। परन्तु इन दो नगरों के बीच वे अनानुसूचित उड़ान कर सकते हैं क्योंकि उन के पास अन-अनुसूचित परमिट हैं जो असैनिक उड्डयन के महा निदेशक ने उन्हें दिया है इससे उन्हें उन नगरों के बीच विमान सेवा चालू करने का अधिकार मिल जाता है जिनके बीच अनुसूचित विमान सेवा नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

मैं यह और बता दूं कि आपने इस पर आधे घंटे की चर्चा की अनुमति दे दी है।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या ऐसा है ?

†**श्री नाथपाई :** हां, मैं ने अपने स्थगन प्रस्ताव के अस्वीकार होने पर दो घंटे की चर्चा की पूर्वसूचना दी थी।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या वह स्वीकार हो गई है ?

†**श्री नाथपाई :** हां, आपने उसे स्वीकार कर लिया है।

†**श्री मुहीउद्दीन:** मेरा सुझाव है नीति के मामलों के बारे में प्रश्न काल में प्रश्न न पूछे जायें।

†**अध्यक्ष महोदय :** बहुत अच्छा। इस मामले पर उस समय चर्चा होगी।

मद्रास हवाई अड्डा

†*४१६. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **परिवहन तथा सचार** मंत्री २४ अगस्त, १६६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ८६५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मद्रास हवाई अड्डे में सुधारों की प्रस्तावित योजना को इस बीच अन्तिम रूप दे दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री अहमद मुहीउद्दीन):** (क) और (ख). योजना के विस्तृत प्राक्कलन लगभग तैयार हो गये हैं।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त :** इस योजना पर लगभग कितना धन व्यय होगा और यह कब पूरी होगी ?

†**श्री मुहीउद्दीन :** लगभग एक करोड़ रुपये व्यय होंगे परन्तु मैं यह नहीं कह सकता कि निर्माण कार्य कब पूरा होगा।

†**श्री तंगामणि :** चालू वर्ष और अगले वर्ष, अर्थात् १६६२-६३ में निर्माण-कार्य के लिये कितनी राशि आवंटित की गई है ?

†**श्री मुहीउद्दीन :** मेरे पास आंकड़े नहीं हैं। परन्तु योजना को सरकार की अन्तिम अनुमति मिलते ही, उस पर यथाशीघ्र कार्यवाही की जायेगी, क्योंकि आवश्यकता महत्वपूर्ण है। जहां तक मुझे विदित है, पिछले वर्ष के आय व्ययक में कुछ लाख रुपये की व्यवस्था की गई थी।

†**श्री तंगामणि :** पिछली बार, हमें बताया गया था कि हवाई पट्टी को बढ़ाने और इसे अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने का प्रस्ताव था। पिछले वर्ष के आय व्ययक में भी उपबन्ध किया गया था। मैं जानना चाहता हूं कि उसमें से कितना व्यय होगा और क्या सरकार सभा में अनुपूरक मांग रखेगी या वे कम से विद्यमान स्वीकृत राशि ही व्यय करेगी।

†**श्री मुहीउद्दीन :** मैं इस बात का प्रयत्न करूंगा कि योजना को अन्तिम रूप मिलते ही और सरकार की अनुमति मिलते ही उस पर यथाशीघ्र कार्यवाही आरम्भ हो जाये। हमें ठेके आदि करने होंगे। परन्तु इस योजना के लिये कोई वित्तीय कठिनाई नहीं होगी। मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दे सकता हूं कि उन्हें इस संबंध में कोई सन्देह करने की आवश्यकता नहीं है।

———

†मूल अंग्रेजी में

प्रश्नों के लिखित उत्तर

भारत-अमरीका विमान सेवा वार्ता

†*४००. { श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्रीमती इला पालचौधरी :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री ११ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ४११ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत और अमरीका के बीच असैनिक विमान यातायात सेवाओं के सम्बन्ध में दोनों देशों के बीच हुई बातचीत का क्या परिणाम निकला ?

†असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : बातचीत पूरी नहीं हुई थी और क्योंकि बातचीत अभी पुन आरम्भ नहीं हुई है, अतः स्थिति में अभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ।

उष्ण प्रदेशीय अन्तरिक्ष विज्ञान की राष्ट्रीय संस्था

†*४०१. { श्री भक्त दर्शन :
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री २४ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २२०३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि ट्रौपिकल मैटीरियोलोजी (उष्ण प्रदेशीय अन्तरिक्ष विज्ञान) की राष्ट्रीय संस्था स्थापित करने की दिशा में क्या प्रगति हुई है ?

नागर विमानन उपमंत्री (श्री अहमद मोइउद्दीन) : मामला अभी ज़ेरे ग़ौर है ।

राष्ट्रीय राजपथ संख्या ८

†*४०४. श्री मो० ब० ठाकुर : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री २२ मार्च, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २०८१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई से दिल्ली को मिलाने वाले राष्ट्रीय राजपथ संख्या ८ पर उभारदार रास्ते (कौजवे) तथा पानी भर जाने वाले पुलों के स्थान पर अन्य रास्ते तथा पुल बनाने और महाराष्ट्र राज्य में घोड़बन्दर तथा मनोरक के बीच सीधा मार्ग बनाने का काम पूरा हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो कुल कितना व्यय हुआ ; और

(ग) यदि नहीं, तो यह काम कब तक पूरा हो जायेगा ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) नहीं, श्रीमान्

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) राष्ट्रीय राजपथ संख्या ८ पर आजकल बन रहे पुल तथा घोड़बन्दर व मनोरक के बीच का सीधा मार्ग सभवतः तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक पूरे हो जायेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली के लिये वृहद् योजना (मास्टर प्लान) का मसौदा

*४०९. { **श्री सरजू पांडेय :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
सरदार इकबाल सिंह : }

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री ८ अगस्त १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ९१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली के लिये मास्टर प्लान (वृहद् योजना) के मसौदे को अन्तिम रूप देने में इस बीच और क्या प्रगति हुई ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : दिल्ली विकास प्राधिकार ने दिल्ली के लिये मास्टर प्लान को अब अन्तिम रूप दे दिया है। भूमि-उपयोग-नक्शा, जो मास्टर प्लान की आधार शिला है, छप रहा है। आशा है कि दिसम्बर १९६१ में सरकार को यह संशोधित मास्टर प्लान मिल जायेगा।

राष्ट्रमंडलीय चीनी समझौता

*४१०. { **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री दामानी : }

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन शूगर मिल्स एसोसियेशन ने भारत सरकार से यह अनुरोध किया है कि वह राष्ट्रमंडलीय चीनी समझौता (कौमनवैल्थ शूगर ऐग्रीमेंट) का सदस्य बनने के लिये आवेदन करे ताकि भारत अधिक मात्रा में चीनी का निर्यात कर सके ; और

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार ने इस बारे में क्या निर्णय किया है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी, हां, ऐसा एक सुझाव प्राप्त हुआ था।

(ख) ब्रिटिश सरकार के साथ मामला उठाया गया था। उन्होंने भारत को राष्ट्रमण्डलीय चीनी समझौते में सम्मिलित करने में अपनी असमर्थता प्रकट की है।

पंचायत राज

†*४१२. { **श्री कोडियान :**
श्री पहाड़िया :
श्री प्र० गं० देव : }

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंचायत राज संस्थाओं के लिये कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के लिये प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की सरकार की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो योजना का मुख्य ब्योरा क्या है ; और

(ग) उस के बारे में केन्द्रीय सरकार के द्वारा कितना व्यय किया जायेगा ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्त्ति)** : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) तथा (ग). विस्तृत योजना की प्रति सभा पटल पर रखी जाती है। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए एल० टी० संख्या ३३६३/६१]**

---

†मूल अंग्रेजी में

मध्य प्रदेश के लिए रिहान्ड से बिजली

†*४१३. **श्री विद्या चरण शुक्ल** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री ११ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ३९४ के उत्तर के सम्बन्ध, में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिहान्ड बांध से मिलने वाली बिजली के बारे में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच के झगड़े को निबटाने के सम्बन्ध में इस बीच कोई प्रगति हुई है ; और

(ख) रिहान्ड बांध से मध्य प्रदेश को वास्तव में कब तक बिजली मिल जाने की आशा है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) यह बात निश्चित रूप से नहीं बताई जा सकती कि मामला कब निबटेगा ।

गुलाटी आयोग

†*४२०. **श्री प्र० गं० देव :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री अगाड़ी :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री ८ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ९६ के उत्तर के संबंध में यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कृष्णा और गोदावरी नदियों में जल की सुलभता के संबंध में गुलाटी आयोग का प्रतिवेदन मिल गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

कैन्सर

†*४२१. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री ८ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १४४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कैन्सर के एक विशेषज्ञ, स्वर्गीय डा० सुबोध मित्रा के एक वक्तव्य की ओर आकर्षित हुआ है कि बढ़ते हुए औद्योगीकरण के साथ फेफड़े के कैन्सर में वृद्धि होने की संभावना है ;

(ख) क्या सरकार यह समझती है कि अत्यधिक उद्योगीकरण वाले केन्द्रों में इस कारण विशेष खोज की जानी चाहिये ; और

(ग) औद्योगिक संस्थाओं के चिकित्सा अधिकारियों ने श्रमकों को कैन्सर से बचाने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) स्वर्गीय डा० सुबोध मित्रा का वक्तव्य का आधार यह था कि रोग का पता लगाने की उन्नत प्रविधि का विकास से कैन्सर के मामलों का, फेफड़े के कैन्सर के मामलों सहित, बड़ी संख्या में पता लगेगा, और इस के लिये कोई विशेष जांच पड़ताल करने की आवश्यकता नहीं है ।

(ग) (१) समय समय पर डाक्टरी परीक्षा और एक्स-रे परीक्षा ;

(२) कारखानों में दूषित वातावरण का विश्लेषण ;

(३) स्वच्छ इमारत (सराउन्डिग) गन्दी हवा बाहर निकालने वाले पंखों और रोशनदानों की व्यवस्था ;

(४) समय समय पर मजदूरों के हालों और कमरों की जांच ; और

(५) संरक्षात्मक साधनों जैसे ऊपरी कपड़े की व्यवस्था ।

कृष्णा और गोदावरी के पानी का वितरण

†*४२२. **श्री मो० ब० ठाकुर** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री १७ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १५७५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और मैसूर राज्यों ने कृष्णा और गोदावरी के पानी के वितरण के लिये आगे कोई पग उठाये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो समझौता होने में कितना समय लगेगा और भारत सरकार ने इस संबंध में क्या हग उठाये हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)**: (क) से (ग). भारत सरकार ने कृष्णा और गोदावरी नदियों में पानी की उपलब्धता, उन से विभिन्न परियोजनाओं की आवश्यकताओं और गोदावरी का पानी कृष्णा में पहुंचाने की संभावना की जांच करन के लिये १ मई, १९६१ को तीन सदस्यों का एक आयोग बनाया था । तत्पश्चात् आयोग ने इन नदियों से संबंधित विभिन्न राज्यों की यात्रा की है ; उन के प्रतिनिधियों और विशेषज्ञों से विचार विमर्श किया है और काफी तत्संबंधी जानकारी एकत्रित की है । आयोग की रिपोर्ट आने पर भारत सरकार स्वीकार्य फैसला करने के लिये आगे कार्यवाही करेगी ।

पंचायती राज

†*४२३. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय मंत्रालय ने पंचायती राज में स्थानीय निकायों के अध्यक्षों को भत्ते और मानदेय देने के प्रश्न पर अग्रेतर विचार किया है और क्या सभी सरकारों को स्वीकार्य किन्हीं निष्कर्षों पर पहुंचा गया है ;

(ख) कौन कौन सी राज्य सरकारें भत्ते देना चाहती हैं ; और

(ग) क्या ये भत्ते और मानदेय केन्द्र द्वारा उपलब्ध कराये गये संसाधनों में से दिये जाते हैं ?

†मूल अंग्रेजी में

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्त्ति)**: (क) और (ख). ६-९-१९६१ को तारांकित प्रश्न संख्या १२५४ का उत्तर देने के बाद आन्ध्र प्रदेश और मैसूर की सरकारों ने उत्तर दिया है कि मामला विचाराधीन है। राजस्थान सरकार ने बताया है कि आजकल दिया जाने वाला पारिश्रमिक ज़ेब-खर्च पूरा करने के लिये प्रतिकर भत्ता की किस्म का है। मद्रास, मध्य प्रदेश और पंजाब की सरकारों ने उत्तर दिया है कि पंचायती राज संस्थाओं के कर्मचारियों को कोई वेतन/पारिश्रमिक देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विभिन्न राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं के कमचारियों को पारिश्रमिक देन की वर्तमान स्थिति बताने वाला एक तथ्यपूर्ण नोट भी सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिए परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १]**

(ग) नहीं, श्रीमान्।

भारत का नौवहन निगम

†*४२४. **श्री प्र० चं० बरूआ :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री रा० चं० माझी :
श्री नेक राम नेगी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत का नौवहन निगम (शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया) का निर्माण कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस निगम की रूपरेखा क्या है ; और

(ग) इस निगम के निर्माण का कुल आय और व्यय पर, पहले दो निगम—पूर्वी और पश्चिमी नौवहन निगम (ईस्टर्न एण्ड वेस्टर्न शिपिंग कारपोरेशन्स) जिन का कि विलय कर के एक नये निगम की स्थापना की गई है—की आय और व्यय की तुलना में क्या प्रभाव पड़ेगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) हां।

(ख) निगम की प्राधिकृत पूंजी ३५ करोड़ रुपये और प्रदत्त पूंजी २३ करोड़ रुपये है। इस का प्रबन्ध एक संचालक मण्डल के हाथ में है जिस में सभापति और प्रबन्ध-संचालक सहित ग्यारह सदस्य हैं।

(ग) इस निगम के बनने से, पिछले दोनों पूर्वी और पश्चिमी नौवहन निगमों की तुलना में इस की कुल आय तथा व्यय में कोई परिवर्तन होने की आशा नहीं है। प्राक्कलन समिति की सिफारिशों के फलस्वरूप समन्वय किया गया है। इस से दोहरी कागजी कार्यवाही समाप्त होती है और सरकारी क्षेत्र में नौवहन के उत्तम प्रशासन में सुविधा होती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

रूस से रेल की पटरियों का आयात

†*४२५. { श्री कोडियान :
श्री वारियर :

क्या **रेलवे** मंत्री ८ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १५१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत रूस से रेल की पटरियों के आयात की प्रस्थापना पर सरकार ने विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या निर्णय किया गया है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी हां ।

(ख) ६०,००० मीट्रिक टन की रेल पटरियों को सप्लाई के लिये आर्डर २६-८-१९६१ को दिया गया है ।

छात्रों को दी गयी रियायत

†*४२६. श्री विभूति मिश्र : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छुट्टियों में अपने घर को जाने और वहां से वापिस आने के लिये रेल के किराये में जिन छात्रों को रियायत मिलती है, उन्हें, यदि यात्रा ३०० मील से कम हो तो मेल और एक्प्रैस से यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाती; और

(ख) यदि हां, तो इस रोक के क्या कारण हैं ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी हां ।

(ख) यह रोक इस कारण लगायी गयी है कि मेल और एक्सप्रैस गाड़ियों में अत्याधिक भीड़ न हो और लंबी दूरी वाले यात्रियों को असुविधा न हो । खास खास मामलों में रेलवे प्रशासन को यह अधिकार दिया गया है कि आवश्यकता के अनुसार यह रोक हटा दी जाये ।

जयन्ती शिपिंग कम्पनी

†*३४२८. श्री रघुनाथ सिंह : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जयन्ती शिपिंग कम्पनी, नई दिल्ली और जापान की मितसुविशी पोत निर्माण कम्पनी के बीच ९ नवम्बर, १९६१ को यह समझौता हुआ है कि उक्त कम्पनी जयन्ती कम्पनी को जून १९६४ तक ८ मालवाही जहाज, जिन की कुल क्षमता २,५६,००० टन होगी, निर्मित कर के देगी ; और

(ख) यदि हां, तो समझौते की मुख्य बातें क्या हैं ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां ।

(ख) ८ मालवाही जहाज जिसमें प्रत्येक जहाज ४,४६१,००० अमरीकी डालर की लागत का और ३२,२५० डी० डब्ल्यू० टी० का होगा, तैयार करने के लिये ठेका दिया गया है ये जहाज ठेका चालू होने की तारीख से दो साल की अवधि के अन्दर दिये जायेंगे और वे स्थगित भुगतान की

---

†मूल अंग्रेजी में

शर्तों पर बनाये जायेंगे जिनके अधीन अंतिम मूल्य का १० प्रतिशत जहाजों के दिये जाने पर दिया जायेगा और शेष ९० प्रतिशत बाद में सात बराबर बराबर वार्षिक किश्तों में, सालाना ५.५ प्रतिशत ब्याज के साथ, अदा किया जायेगा। यह ठेका भारत सरकार की स्वीकृति पर निर्भर है और वह स्वीकृति इस बात पर निर्भर है कि नौवहन विकास निधि समिति जयन्ती शिपिंग कम्पनी द्वारा मांगा गया आवश्यक रुपया ऋण मंजूर करने के लिये सहमत हो जाये।

ग्रामीण विश्वविद्यालय

†*४२९. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री दी०चं० शर्मा :
श्री सरजू पांडेय :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री ८ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १३६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण विश्वविद्यालयों की संख्या एवं उनकी स्थापना के स्थानों के बारे में अंतिम निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) अभी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

वेतन से बीमा किश्तों की कटौती

†*४३०. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे सहकारी जीवन बीमा संस्थाओं को इस बात की छूट है कि वे उन रेलवे कर्मचारियों के वेतन से, जोकि बीमाशुदा हैं, बीमा की किश्तों की कटौती करा सकें ;

(ख) क्या इस प्रकार की सुविधा उन कर्मचारियों को प्राप्त नहीं जिनका बीमा जीवन बीमा निगम द्वारा किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो इस भेद-भाव का क्या कारण है ; और

(घ) क्या यह सुविधा जीवन बीमा निगम को भी देने का विचार है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** (क) जी हां, रेलवे सहकारी जीवन बीमा संस्थाओं द्वारा जारी की गयी उन्हीं कुछ पालिसियों के संबंध में जिनके लिये यह व्यवस्था जीवन बीमा व्यापार के राष्ट्रीकरण से पहले भी मौजूद थी। इन्हीं पुरानी पालिसियों के संबंध में यथा स्थिति बनाये रखने के लिये ऐसा किया गया था।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता क्योंकि यह सुविधा उन नयी पालिसियों के लिये नहीं दी गयी है जो इन संस्थाओं से जीवन बीमा निगम में उनके राष्ट्रीकरण के बाद की गयी हैं और न ही जिनके लिये यह सुविधा निगम की स्थापना से पहले मौजूद थी।

(घ) जी, नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

मंगलौर पत्तन

†*४३१. श्री कोडियान : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंगलौर में सभी मौसमों के लिये उपयुक्त पत्तन बनाने का काम कब से शुरु होने की आशा है ; और

(ख) क्या यह कार्य तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में पूरा हो जायेगा ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ;

विवरण

(क) मंगलौर में बन्दरगाह बनाने के लिये स्थान निश्चित करने के लिये प्रयोग और जांच पड़ताल अभी हाल में पूरी हो गयी है। बन्दरगाह की अंतिम रूपरेखा निश्चित करने के लिये और विस्तृत छिद्रण तथा पेनेट्रोमीटर परीक्षण किये जा रहे हैं। यह जांच पड़ताल और आवश्यक सर्वेक्षण पूरे हो जाने के बाद ब्यौरेवार रूपांकन और अनुमान तैयार किये जायेंगे। उसके बाद निर्माण कार्य आरम्भ किया जायेगा।

(ख) पत्तन परियोजना का काम तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में पूरा हो जाने की संभावना नहीं है लेकिन आशा है कि काफी प्रगति हो जायेगी।

आउट एजेन्सियां

†७८९. श्री दी० चं० शर्मा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६०–६१ में पंजाब में कितनी रेलवे आउट एजेन्सियां खोली गयीं ; और

(ख) वर्ष १९६१–६२ में कितनी नयी आउट एजेन्सियां खोली जायेंगी ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) (क) ६।

(ख) १९६१–६२ में अबतक दो आउट एजेन्सियां खोली गयी हैं। और अधिक आउट एजेन्सियां खोलने का कोई प्रस्ताव अभी विचाराधीन नहीं है।

पंजाब के गुरदासपुर जिले में परिवार नियोजन केन्द्र

†७९०. श्री दी० चं० शर्मा : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब के गुरुदासपुर जिले मे १९५६––६१ के दौरान कुल कितने परिवार नियोजन केन्द्र खोले गये और वे कहां कहां खोले गये ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : १९५६––६१ के दौरान गुरुदासपुर में निम्नलिखित संस्थाओं में दो परिवार नियोजन केन्द्र खोले गये :––

(१) प्रसूति अस्पताल, गुरुदासपुर

(२) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, फतेहगढ़ चूड़िया।

नयी दिल्ली नगरपालिका को दी गयी रकम

†७९१. श्री दी० चं० शर्मा : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नयी दिल्ली नगरपालिका के लिये दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कितनी रकम नियत की गयी थी ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) किन किन मदों के अधीन यह रकम दी गयी थी ; और

(ग) क्या सभी लक्ष्य पूरे हो गये हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) १४५ लाख रुपये ।

(ख) बिजली सप्लाई और रोशनी ।

(ग) जी, नहीं ।

अमृतसर में दर्ज की गयी शिकायतें

†७६२. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०-६१ में अमृतसर जंकशन स्टेशन पर शिकायतों की किताब में कितनी और **किस** किस तरह की शिकायतें दर्ज की गयीं ; और

(ख) उन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गयी या करने का विचार है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख) विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) १ अप्रैल, १९६० से ३१ मार्च, १९६१ की अवधि में ६४ शिकायतें अमृतसर जंकशन पर रखी हुई शिकायत पुस्तिका में दर्ज की गयी थीं ।

शिकायतों की संख्या और उनका ब्यौरा इस प्रकार है :—

शिकायतों का ब्यौरा	संख्या
(१) उदंडता	५
(२) घूसखोरी तथा भ्रष्टाचार	२
(३) वाणिज्यिक कर्मचारियों के अनियमित कार्य जैसे टिकटघर देर से खोलना, ड्यूटी से गैरहाजिरी, टिकट जारी करने से इन्कार कर देना इत्यादि . .	१४
(४) अनियमित रेल सेवा . . .	२
(५) मशीन संबंधी दोष अर्थात् पंखे या रोशनी का ठीक से काम न करना . .	२
(६) सुविधाओं का अभाव	१०
(७) विविध शिकायतें . . .	२५
(८) लाइसेंस शुदा भारवाहकों के विरुद्ध शिकायतें	४
कुल	६४

(ख) केवल ८ शिकायतों की पुष्टि हुई है और जिन **दोषों** के कारण शिकायतें पैदा हुई हैं उन्हें दूर करने के लिये कार्यवाही की गयी है और जिन कर्मचारियों को इसके लिये जिम्मेदार पाया गया है उनके विरुद्ध **भी** उचित कार्यवाही की गयी है ?

†मूल अंग्रेजी में

होटलों, प्रदर्शकों और यात्रा अभिकर्ताओं के लिए विधान

†७६३. { श्री दी० च० शर्मा :
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १२ अप्रैल, १६६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३१७५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि यात्रा अभिकर्त्ताओं (ट्रैवेल एजेंट्स) एक्सकर्शन एजेंट्स, शिकार एजेंट्स, प्रदर्शकों (गाइड्स) और होटल चलाने वालों (होटेलियर्स) का पर्यटकों के साथ व्यवहार के संचालन के लिये विधान प्रस्तुत करने में और क्या प्रगति हुई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : प्रस्तावित विधान संबंधी प्रस्ताव जो केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के परामर्श से तैयार किये गये हैं, अभी अंतिम रूप से निर्धारित किये जा रहे हैं। प्रस्तावित विधान के, जिसके अन्तर्गत यात्रा उद्योग के अनेक पहलु आ जायेंगे, व्यापक स्वरूप को देखते हुए अखिल भारतीय विधान अधिनियमित करने में स्वाभाविक ही कुछ और समय लगेगा।

उत्तर रेलवे के स्टेशनों पर बिजली लगाना

†७६४. **श्री दी० च० शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १६६०–६१ में उत्तर रेलवे के कितने स्टेशनों पर बिजली लगायी गयी ; और

(ख) वे स्टेशन कौन कौन से हैं और प्रत्येक स्टेशन पर उपर्युक्त कार्य के लिये कितनी कितनी रकम खर्च की गयी ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री से० वे० रामस्वामी)** : (क) ४५ स्टेशनों पर।

(ख) विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २]**

रेलवे संरक्षण सैनिकों की संख्या

†७६५. **श्री दी० च० शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ मार्च, १६६१ को उत्तर रेलवे संरक्षण सेना में प्रत्येक श्रेणी के कतने कितने कर्मचारी थे ;

(ख) उनमें अनुसूकित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कितने कर्मचारी थे ;

(ग) यदि उनकी संख्या शून्य थी, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इस सेना में भरती होने के लिये अनुसूचित जातियों था अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों को क्या खास रियायत दी जाती है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री से० वे० रामस्वामी)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३]**।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) ऊंचाई में १ इंच, सीने के फैलाव में १ इंच और वजन में १० पौंड की छूट अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों को दी गई है। आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिये ऊंचाई में २ इंच की छूट दी गयी है।

गाड़ी का पटरी पर से उतर जाना

†७९६. श्री मो० ब० ठाकुर : क्या रेलवे मंत्री ६ मार्च, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १०३७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गाड़ी के पटरी पर से उतर जाने की क्या वजह थी ; और

(ख) क्या दोषी व्यक्तियों को दंड दिया गया था ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) (क) और (ख). दुर्घटना पटरी के टूट जाने के कारण हुई, जो अपनी कमी के कारण हुआ था। इस दुर्घटना के लिये कोई कर्मचारी जिम्मेदार नहीं ठहराया गया था।

दिल्ली में बसों और ट्रकों का अवसानस्थान (टर्मिनल)

†७९७. श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१–६२ में दिल्ली में बसों और ट्रकों के कितने आधुनिक अवसानस्थान (टर्मिनल्स) बनाये जाने वाले हैं ; और

(ख) उनके लिये कौन कौन से स्थान चुने गये हैं ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) दिल्ली में एक ट्रक-अवसान स्थान तथा एक अन्तर्राज्यीय बस अवसान स्थान बाने की योजायें हैं। यह बताना संभव नहीं है कि ये अवसान स्थान १९६१–६२ में बनाये जायेंगे या नहीं।

(ख) दो अवसान-स्थान बनाने के लिये निम्नलिखित स्थान चुने गये हैं:—

बस अवसान-स्थान . . .	कश्मीरी गेट के उत्तर पूर्व में १० एकड़ जमीन
ट्रक अवसान स्थान . . .	रिंग रोड़ और जमना नदी के बीच २५ एकड़ जमीन ।

महाराष्ट्र में बागवानी का विकास

†७९८. श्री पांगरकर : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में बागवानी के विकास के लिये केंद्रीय सरकार ने महाराष्ट्र राज्य को कितनी राजसहायता और अनुदान दिया; और

(ख) किन किन मुख्य योजनाओं के लिये यह राजसहायता अथवा अनुदान दिया गया ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में फल तथा काजू के विकास के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा महाराष्ट्र राज्य को दिये गये अनुदान और ऋण इस प्रकार हैं :—

फल का विकास

	१९५८–५९*	१९५९–६०*	१९६०–६१
	रुपये	रुपये	रुपये
अनुदान . . .	३०,६०७	७८,६६३	५०,६९८
ऋण . . .	—	३,६६,३२१	६,२७,६७२

काजू का विकास

	१९५८–५९*	१९५९–६०*	१९६०–६१
	रुपये	रुपये	रुपये
अनुदान . . .	—	६१,६०१	८१,०२६
ऋण . . .	—	१,८४,३११	२,७०,२३२

(ख) अनुदान और ऋण निम्नलिखित योजनाओं के लिये दिये गये थे :—

(१) फल उत्पादन के विकास की योजना

(२) (रत्नागिरी, कोलाबा और कोल्हापुर जिलों में काजू की खेती के विकास तथा विस्तार की योजना

बिहार में चीनी के कारखाने

†७९९. श्री पांगरकर : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बिहार में चीनी के कारखानों में १९६० के मौसम में चीनी की औसत प्राप्ति कितनी हुई ?

†खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस): १९६०–६१ के मौसम में बिहार के चीनी कारखानों में चीनी की औसत प्राप्ति ९.२२ प्रतिशत थी।

महाराष्ट्र में पेड़ लगाना

†८००. श्री पांगरकर: क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने महाराष्ट्र में वर्ष १९६० और १९६१ में अब तक, पेड़ लगाने पर कितनी कितनी रकम खर्च की ?

---

*अविभक्त बम्बई राज्य के लिय

†मूल अंग्रेजी में

†कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : राज्य सरकारों की अपनी अपनी विकास योजनाओं के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता देने की संशोधित प्रक्रिया के अनुसार, "वन विज्ञान तथा भूमि संरक्षण योजनाओं" के लिए इकट्ठी रकमें नियत कर दी जाती हैं। इस प्रकार महाराष्ट्र राज्य के लिये नियत की गई रकमें इस प्रकार हैं :—

	ऋण	अनदान
	रु०	रु०
*१९५९–६० . . .	१,२९,६६,०००	२५,५१,०००
१९६०–६१ . . .	५०,२२,०००	१६,५१,०००

इन रकमों में से, राज्य सरकार ने पेड़ लगाने पर वास्तव में कितनी कितनी रकम खर्च की यह मालूम नहीं हुआ है।

टिकट कलेक्टरों और टिकट एग्जामिनरों की वरिष्ठता

†८०१. श्री चुनी लाल : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करें कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान से विस्थापित कई टिकट कलेक्टर और टिकट-एग्जामिनर दक्षिण रेलवे में नौकरी पर रख लिये गये थे और बाद में उत्तर रेलवे के बीकानेर डिविजन में उन का दबादला कर दिया गया ;

(ख) क्या रेलवे बोर्ड ने उन की वर्तमान वरिष्ठता के लिये कोई आश्वासन दिया है ;

(ग) क्या उत्तर रेलवे के जनरल मैनेजर ने वरिष्ठता के प्रयोजन के लिये दक्षिण रेलवे के जनरल मैनेजर द्वारा बताई गई नियुक्ति की तारीखें मंजूर कर ली हैं ;

(घ) क्या रेलवे बोर्ड तथा उत्तर रेलवे के जनरल मैनेजर के निर्णय पर इतने लंबे समय के बाद फिर विचार किया जा रहा है ; और

(ङ) यदि हां, तो उस के कारण क्या हैं ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां।

(घ) और (ङ). दक्षिण रेलवे से उत्तर रेलवे के बीकानेर डिविजन में स्थानान्तरित टिकट कलेक्टरों और ट्रेवेलिंग टिकट एग्जामिनरों की वरिष्ठता उन तारीखों से गिनी गई है जब वे प्रशिक्षण के लिये हाजिर हुए थे जबकि बीकानेर डिविजन के तत्कालीन कर्मचारियों की वरिष्ठता इस प्रकार नहीं गिनी गई थी। दक्षिण रेलवे के कर्मचारियों तथा भूतपूर्व बीकानेर राज्य रेलवे के कर्मचारियों के हित में न्यायपूर्ण हल निकालने के लिये अब यह फैसला किया गया है कि ऐसे कर्मचारियों को अपनी वर्तमान वरिष्ठता कायम रखते हुए उत्तर रेलवे के अन्य डिविजनों में स्थानान्तरित कर दिया जाये जहां प्रशिक्षण की अवधि सहित नियुक्ति की तारीख के आधार पर वरिष्ठता निश्चित की गयी थी।

*संयुक्त बम्बई राज्य के लिये मंजूर की गई रकम।

†मूल अंग्रेजी में

क्रिश्चियन मेडिकल कालेज, लुधियाना, में नर्सें

†८०२. **श्री चुनीलाल** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्रिश्चियन मेडिकल कालेज अस्पताल, लुधियाना, में जिन दाइयों (नर्सेज़) को प्रशिक्षित किया जा रहा है क्या उन का प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उन्हें जनरल नर्स या पब्लिक हेल्थ नर्स के तौर पर मान्यता दे दी जायेगी ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : इन दाइयों (नर्सेज़) का प्रशिक्षण पूरा हो जाने के बाद उन्हें 'नर्सेज़' के तौर पर न कि "पब्लिक हेल्थ नर्सेज़" के तौर पर, माना जाता है ।

उस का उद्देश्य यह है कि सभी नर्सों को लोक स्वास्थ्य संबंधी प्रशिक्षण दे कर लोक स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में, कार्य करने के लिये तैयार किया जाये ।

मूंगफली के आटे की मिल

†८०३. **श्री चुनीलाल : क्या खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने मूंगफली का आटा तैयार करने का प्लांट, जो उन्हें संयुक्त राष्ट्र बाल सहायता निधि की ओर से मिला था, टाटा आयल मिल्स कम्पनी लिमिटेड को स्थानान्तरित कर दिया है और उन्होंने कम्पनी द्वारा तैयार किये गये आटे का ७५ प्रतिशत खरीदने का वायदा किया है और यह आटा देश की आटा मिलों को एक मूल्य फार्मूला के आधार पर दिया जायेगा जो मूंगफली के बीजों की कीमत के उतार-चढ़ाव को रोक लेगा ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार और कम्पनी के बीच हुए समझौते का विस्तृत ब्यौरा क्या है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) और (ख). माननीय सदस्य की जानकारी के लिये स्थिति निम्न प्रकार समझाई गई है :

यूनिसेफ ने मूंगफली को तेल के लिये घानी में पेरने के पूर्व ही मूंगफली को तैयार करने के लिये उपकरणों के दो सेट दिये हैं । उस पूर्व तैयारी के फलस्वरूप जो खली निकलेगी वह साफ और भक्षणयोग्य होगी । यह खली चर्बी तत्व में कम और प्रोटीन में समृद्ध होने से उच्च कोटि युक्त प्रोटीन खाद्य के लिये मूल्यवान सिद्ध होगी । यूनिसेफ उपकरण की सहायता से दो संयंत्र स्थापित करने का विचार किया गया है एक बम्बई में और दूसरा मद्रास राज्य (कोयम्बटूर) में—खाने योग्य खली के उत्पादन के लिये । प्रत्येक संयंत्र की उत्पादन क्षमता प्रति दिन खाने योग्य खली की दस टन उत्पादन क्षमता है । उपरोक्त वर्णन से यह स्पष्ट है कि यूनिसेफ द्वारा प्रस्तुत उपकरण तेल मिलों के साथ मिल कर काम करेंगे । मूंगफली के बीजों से तेल निकालने और इस तेल को बाजार में बेचने के लिये सुविधाओं की आवश्यकता होगी । अतः यह निर्णय किया गया था कि यूनिसेफ द्वारा दिये गये उपकरण को प्रयुक्त करने का सब से अच्छा उपाय यह है कि इस तेल उद्योग में पहले से संलग्न किन्हीं दो सुविख्यात फर्मों की शर्तों और अवस्थाओं का समझौता कर यह सौंप दिया जाये । संयुक्त रूप से काम करने वाली दो पार्टियों में से एक मैसर्स टाटा आयल मिल्स कम्पनी लिमिटेड, बम्बई को चुना गया है और सरकार के कहने पर यूनिसेफ ने उन को उपकरण का एक सेट सौंप दिया है ।

खाने योग्य दर्जे का मूंगफली का आटा देश में वाणिज्यकीय दृष्टि से उत्पादित नहीं हो रहा है और सरकार का विचार उस के वाणिज्यिक उत्पादन को प्रोत्साहन प्रदान करना है क्योंकि यह स्वदेशी संसाधनों से उत्पादित उच्च प्रोटीनयुक्त मूल्यवान खाद्य अनुपूरक होगा और सामान्य भारतीय

---

†मूल अंग्रेजी में

खुराक में प्रोटीन के अभाव को दूर कर देगा । तथापि नया उत्पादन होने से इस के लिये निर्धारित मंडी नहीं है । अतः सरकार के लिये यह आवश्यक है कि मिल कर काम करने वाली तेल मिलों को उत्पादन की बिक्री के लिये प्रारम्भिक अवस्था में सहायता प्रदान की जाये । इसलिये सरकार ने इन मिलों का ७० प्रतिशत उत्पादन उठाने के लिये सहमति प्रकट कर दी है । खाने योग्य खली के आटे को समृद्ध बनाने, बहुप्रयोजनीय खाद्य और उच्च प्रोटीन बिस्कुट इत्यादि में मिलाने का विचार है। आशा है कि एक या दो वर्ष में उपभोग का सिलसिला प्रारम्भ हो जायेगा और फिर सामान्य व्यापारिक प्रणालियों से इस वस्तु को बाजार में प्रस्तुत किया जायेगा ।

सरकार के कथन पर मैसर्स टाटा आयल मिल्स कम्पनी लिमिटेड बम्बई खाने योग्य मूंगफली की खली उत्पादन कर रहे हैं और उस कार्य में सामान्य पूंजी विनियोग एवं वाणिज्यिक तेल पैरने के लिये आवश्यक प्रक्रिया से पृथक पूंजी विनियोग और प्रक्रिया चाहिये । अतः यह आवश्यक समझा गया कि उपयुक्त फार्मूले के माध्यम से खाने योग्य मूंगफली की खली की कीमत निर्धारित की जाये । एक लागत फार्मूला तैयार किया गया है जिस के अनुसार मूंगफली के बीज और तेल के बाजार भाव के आधार पर टाटा द्वारा उत्पादित मूंगफली की खली की कीमत निकाली जायेगी । खाने योग्य मूंगफली की खली पर स्वभावतः बीज और तेल उतरते चढ़ते बाजार भाव का मिला जुला प्रभाव पड़ेगा ।

परिवहन अभिकरण

†८०४. **श्री मो० ब० ठाकुर:** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत के सब राज्यों में, जिन में जम्मू तथा काश्मीर राज्य भी सम्मिलित है, कितनी परिवहन एजेंसियां और पब्लिक कैरियर्स चल रही हैं ;

(ख) यह प्रति वर्ष देश में कितना भार ढोती हैं ;

(ग) इस परिवहन के परिणामस्वरूप रेलवे को कितनी हानि हुई है अथवा उस पर क्या प्रभाव पड़ा है ;

(घ) क्या यह सच है कि कितनी ही अनधिकृत एजेंसियों के पास प्रमुख रास्तों के लिये लाइसेंस नहीं हैं ;

(ङ) इस किस्म के प्रायवेट व्यापार को बढ़ावा देने के क्या कारण हैं ; और

(च) इस स्थिति का सामना करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर):** (क) से (च). अपेक्षित जानकारी राज्य सरकारों तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त की जा रही है । उन से प्राप्त जानकारी बताने वाला विवरण लोक सभा के पटल पर रख दिया जायेगा ।

सड़क दुर्घटनायें

†८०५. **श्री मो० ब० ठाकुर:** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में सड़क दुर्घटनाएं, जिन के परिणामस्वरूप बच्चों की मत्यु होती है, आजकल बढ़ रही हैं ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो स १९५७ के पश्चात् इस प्रकार की घटना प्रतिवर्ष कितनी हुई ;

(ग) यदि नहीं, तो सन् १९५६ के पूर्व प्रतिवर्ष दुर्घटना में मरने लों की कुल संख्या कितनी है और न्यायालयों में कितने फौजदारी मामले दायर किये गये थे ;

(घ) स प्रकार के कितने प्रतिशत मामलों में सजा ोती है ; और

(ङ) क्या सरकार राजधानी तथा अन्य नगरों में तेज ड्राइव करने वालों के लिये कठोर दण्ड की व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) से (ङ). अपेक्षित जानकारी प्राप्त की जा रही है और उपलब्ध होने पर यथासंभव शीघ्र लोक सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

पंजाब में परिवार नियोजन केन्द्र

†८०६. **श्री दलजीतसिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में १९६१-६२ में कितने परिवार नियोजन केन्द्र खोले गये हैं; और

(ख) उन केन्द्रों को अभी तक कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) पंजाब में लोहरू, उमरा, घराय, उकलाना मंडी, कालका और संतोखगढ़ में प्रत्येक स्थान पर एक एक--कुल छह ग्रामीण परिवार योजना केन्द्र १९६०-६१ में अभी तक स्थापित किये गये हैं ।

(ख) इन केन्द्रों के लिये २१,२५० रुपये का अनुदान स्वीकार किया गया है ।

रेवाड़ी में स्टाल को आगे किराया पर उठाना

†८०७. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **रेलवे** मंत्री २४ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २३५३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेवाड़ी स्टेशन पर ठेकेदारों द्वारा स्टालों को आगे किराये पर उठाने के मामलों की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण है; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** (क) से (ग). जांच अधिकारी की रिपोर्ट पर उत्तर रेलवे हेडक्वार्टर्स विचार कर रहा है और उसके पूरा होने पर उपयुक्त कार्यवाही की जायेगी।

परिवहन निगम और कोयला

†८०८. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री कोयला ढोने के लिये परिवहन निगम की स्थापना के अन्तिम निर्णय की वर्तमान स्थिति बताने की कृपा करेंगे ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : कोयला ले जाने के लिये किसी निगम की स्थापना का विचार नहीं है क्योंकि विद्यमान जहाज समवाय और उनका टन सामर्थ्य यथासंभव अधिकतम कोयला ढोने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

†मूल अंग्रेजी में

हवाई अड्डों पर घोषणायें

†८०९. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस आशय की प्रार्थना मिली है कि भारत में हवाई अड्डों पर घोषणायें हिन्दी तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं में भी की जायें; और

(ख) यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) और (ख). इस आशय की कोई प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई है किन्तु इंडियन एयर लाइंस कारपोरेशन ने यह व्यवस्था की है कि कुछ हवाई अड्डों पर घोषणाएं अंग्रेजी, हिन्दी तथा अन्य भाषाओं में की जायें ।

हिमाचल प्रदेश में सहकारी संस्थाओं के रजिस्ट्रार

†८१०. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री ११ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या के उत्तर में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १०३.४४ रुपये की प्रदर्शित वस्तुओं की कमी, जिन्हें विभाग को नहीं लौटाया गया था, के बारे में जांच पूरी हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम हैं ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सु० मूर्त्ति)** : (क) और (ख). वस्तुओं के वापस न करने से समितियों को जो हानि हुई है उसकी पूर्ति करने का विचार है । इसका उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिये जांच पूरी होने वाली है ।

भोजन व्यवस्था विद्यालय

†८११. { **श्री राम कृष्ण गुप्त** :
श्री कोडियान :
श्री वारियर :
श्री प्र० गं० देब :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री २४ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २२०१ के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना व्यवस्था विद्यालयों की स्थापना और विशेष रूप से उनकी स्थापना, प्रशिक्षण कार्यक्रम और प्रशिक्षित किये जाने वाले व्यक्तियों के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी विवरण क्या है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) और (ख). भोजन व्यवस्था और इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट कालेज, बम्बई का पुनर्संगठन कर उसे स्थायी रूप प्रदान किया जायेगा । उसके अतिरिक्त दिल्ली, कलकत्ता और मद्रास में भी उसी प्रकार की समान संस्थाएं स्थापित करने का निर्णय किया गया है । मोटे रूप में, यह संस्थाएं इसलिये बनाई गई हैं कि वे वैज्ञानिक और स्वच्छ भोजन व्यवस्था को स्थायी पोषक स्तर पर स्थापित करने के लिये प्रशिक्षण प्रदान करें । आशा है

---

†मूल अंग्रेजी में

कि आगे चल कर यह विस्तार केन्द्रों का रूप धारण कर लेंगे और पोषण, संतुलित खुराक, वैज्ञानिक, स्वच्छता और भोजन की मितव्ययतापूर्ण व्यवस्था आदि के सम्बन्ध में नवीन विचारों को उद्भुत करेंगे। प्रशिक्षित किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या इत्यादि का ब्यौरा ऐसे विषय हैं जिन पर योजना की यथार्थ कार्यान्विति के समय विचार किया जायेगा।

पंजाब में टेलीफोन कनेक्शन

†८१२. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पंजाब में चर्खी दादरी, मोहिन्द्रगढ़ और नारनौल में इस समय टेलीफोन कनेक्शनों के लिए कितने प्रार्थनापत्र विचारार्थ पड़े हुए हैं; और

(ख) कनेक्शनों की मंजूरी की गति बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : प्रत्येक स्थान में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए विचारार्थ पड़े हुए प्रार्थनापत्रों की संख्या निम्न प्रकार है :

चर्खी दादरी	मोहिन्द्रगढ़ सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय	**नारनौल**
६	२	३

(ख) स्थिति निम्न प्रकार है :—

चर्खी दादरी : समस्त प्रार्थियों को 'डिमान्ड नोट' जारी किये गये हैं। उनके भुगतान पर कनेक्शन दिये जा रहे हैं।

मोहिन्द्रगढ़ सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय : चाहे गये कनेक्शन सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय के एक्सटेन्शन हैं जिन के लिए बहुत अधिक सामान की आवश्यकता है जो प्राप्त किया जा रहा है

नारनौल : कनेक्शन देने का कार्य भूमि के अन्दर डाले जाने वाले केबिल के कारण रुका पड़ा है। उसके प्राप्त किये जाने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं।

राजधानी में सड़क दुर्घटनायें

†८१३. { **श्री श्रीनारायण दास** :
श्री राधा रमण :
श्री मो० ब० ठाकुर : }

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजधानी के विभिन्न भागों से पिछले जून से अब तक कितनी सड़क दुर्घटनाओं की सूचनायें मिली हैं; और

(ख) उन में घातक, गंभीर और साधारण चोटों के मामलों की अलग अलग संख्या कितनी है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) दिल्ली में १-६-१९६१ और १५-१०-१९६१ के बीच २,३६३ सड़क दुर्घटनायें हुईं।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इन दुर्घटनाओं में ७१ व्यक्ति मरे ६५ गंभीर रूप से घायल हुए और ८२६ को मामूली चोटें आईं।

बिना टिकट यात्रा

†८१४. { श्री श्री नारयण दास :
श्री राधा रमण :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर-पूर्व रेलवे में उठाये गये विभिन्न कदमों से बिना टिकट यात्रा में कहां तक कमी हुई है;

(ख) चालू वर्ष में ऐसी यात्रा के कितने मामले पकड़े गये; और

(ग) यह संख्या गत वर्ष की संख्या की तुलना में कैसी है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) यह कहना सम्भव नहीं है कि उत्तर-पूर्व रेलवे में बिना टिकट यात्रा कम हुई है या नहीं परन्तु बिना टिकट यात्रा का जनवरी-सितम्बर, १९६१ में की गई जांचों के परि ामों पर आधारित प्रतिशत १.४९ था जब कि पिछले वर्ष की उसी अवधि में वह १.८५ था।

(ख) और (ग). जनवरी, ६१ से सितम्बर, ६१ तक ७,४८,५१८ बिना टिकट यात्री पकड़े गये जब कि पिछले व की उसी अवधि में ७,४२,७१७ पकड़े गये थे।

डाक तथा तार विभाग के मुअत्तल कर्मचारी

†८१५. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री ६ सितम्बर, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३६१२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता के डिवीजनल इंजीनियर टेलीग्राफ के कार्यालय के मुअत्तल क्लर्क के मामले में अन्तिम निर्णय किया जा चुका है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) क्लर्क को सेवा से हटाने के आदेश जारी किये गये है।

(ग) उत्पन्न नहीं होता।

उड़ीसा के पटसन उगाने वाले

†८१६. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा को १९६१-६२ में उड़ीसा के पटसन उत्पादकों की सहायता करने के लिए कितनी वित्तीय सहायता दी गई; और

(ख) उड़ीसा के पटसन उत्पादकों को दी गई सहायता किस प्रकार की है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) उड़ीसा को चालू वित्तीय वर्ष में उड़ीसा के पटसन उत्पादकों की सहायता करने के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता का निर्णय वर्ष के अन्त में राज्य सरकार द्वारा सम्बन्धित योजनाओं पर किये गये वास्तविक व्यय के आधार पर किया जायेगा। राज्य सरकार का अनुमान है कि वर्ष १९६१-६२ के लिये भारत सरकार से ३,३३,२७२ रुपये के अनुदान की आवश्यकता होगी।

(ख) उड़ीसा में पटसन उत्पादकों को निम्नांकित मदों के लिए सहायता दी जाती है :

(१) मेस्टा के बीजों पर राज सहायता।

(२) पटसन के बीजों पर राज सहायता।

(३) क्षेत्र प्रदर्शन।

(४) भिगोने की सुविधाओं का सुधार।

(५) औजारों पर राज सहायता।

(६) पटसन उत्पादकों का पथ-प्रदर्शन करने और योजनाओं के प्रशासन के लिए प्रविधिक और प्रशासकीय कर्मचारी रखना।

दिल्ली में यमुना नदी पर पुल

८१७. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
श्री राम कृष्णा गुप्त :
श्री बलराज मधोक :

क्या **परिवहन तथा संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में यमुना नदी पर बन रहे पुलों के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) इन में से पहले पुल को यातायात के लिये कब तक खोले जाने की संभावना है ; और

(ग) इन पुलों के निर्माण के लिये कितनी राशि नियत की गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) इस मंत्रालय का सम्बन्ध जमुना पर वज़ीराबाद में और हुमायूं मकबरे के पास बनने वाले पुलों से है।

वजीराबाद के पुल के ऊपरी भाग की डिजाइन अनुमोदित की जा चुकी है और इसके लिये ज्यादा खिंच सकने वाली तारें (हाई टेंसाइल स्टील) प्राप्त कर ली गयी है तथा पुल के स्थलों पर पहुंचा दी गयी है। ठेकेदार ने काम शुरू कर दिया है।

हुमायूं मकबरे के पास के पुल के निर्माण का कार्य ठेकेदार को दे दिया गया है और पुल की नींव रखने के लिए जमीन में परीक्षण के लिए छेद किये जा रहे हैं।

(ख) वजीराबाद का पुल यातायात के लिए सभवत: १९६३ के शुरू में खोल दिया जायगा।

(ग) वजीराबाद के पुल और हुमायूं मकबरे के पुल की लागत के लिए क्रमश: १०.७४ लाख रुपये तथा ५४.६४ लाख रुपये मंजर किये गये हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

मोतियाखान, दिल्ली के व्यापारी

८१८. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :** क्या स्वास्थ्य मंत्री २१ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १८०८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मोतियाखान, दिल्ली के व्यापारियों को हटा कर उस स्थान पर नई बस्ती बसाने के सम्बन्ध में अब तक और क्या प्रगति हुई है तथा कितने व्यापारियों को सरकार वहां से हटाना चाहती है ;

(ख) क्या यह सच है कि वहां के व्यापारियों ने पीछे सरकार को एक ऐसा आवेदन पत्र भी दिया था कि इस बस्ती को निवास और व्यापार की सम्मिलित बस्ती बना दिया जाए ;

(ग) यदि हां, तो सरकार का उस सम्बन्ध में क्या निर्णय है ; और

(घ) क्या यह भी सच है कि यहां के अधिकांश व्यापारी पाकिस्तान से उजड़ कर आये हैं और उन्हें वहां से हटाने पर उनका व्यापार सर्वथा अस्त-व्यस्त हो जायेगा ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) इस विषय में अब तक कोई प्रगति नहीं हुई है ।

(ख) और (ग). जी नहीं । किन्तु दिल्ली की मास्टर योजना के प्रारूप में इस प्रस्ताव के विरोध में मोतियाखान क्षेत्र में फ्लैट वाली फैक्टरियां खड़ी करने के लिये दिल्ली विकास प्राधिकार को मुहल्ला-सुधार समिति तथा सहकारी गृह-निर्माण सोसाइटी से कुछ आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं । फेडरेशन आफ एसोसियेशन आफ ट्रेडर्स एण्ड इन्डस्ट्रियलिस्ट्स तथा मोतियाखान के अलग-अलग एसोसियेशनों से भी इस प्राधिकार के पास आवेदन पत्र आये हैं जिनमें यह अनुरोध किया गया है कि मोतियाखान और झण्डेवालान की भूमि फैक्टिरियों तथा कारखानों के लिये उद्योगपतियों को दे दी जायें और इस क्षेत्र में फ्लैट वाली फैक्टरियों को भूमि को छोड़ दिया जाये । इन विभिन्न आपत्तियों को दृष्टि में रखते हुए प्राधिकार दिल्ली की मास्टर योजना प्रारूप में अब यह सिफारिश कर रहा है कि निवास क्षेत्र बढ़ा दिया जाए और फ्लैट वाली फैक्टरियों के लिये निर्धारित क्षेत्र में निचली मंजिल पर व्यापारिक प्रदर्शन कक्ष तथा ऊपरी मंजिली पर फ्लैट वाली फैक्टरियां हों ।

(घ) जी हां, मोतियाखान क्षेत्र के अधिकांश व्यापारी पाकिस्तान से आये हुए शरणार्थी हैं किन्तु इस क्षेत्र के अत्यधिक घने बसे हुए होने के कारण तथा कुछ व्यवसायों के अप्रिय एवं आग पकड़ने वाले होने के कारण सरकार के लिये यहां के वर्तमान सभी व्यवसायों एवं व्यापार एककों को वहां नियमित करना तथा स्थान देना संभव नहीं होगा । फिर भी समनुरूप व्यापारियों को मोतियाखान की पुनर्विकास योजना में स्थान दिया जायेगा और दूसरे व्यापार एककों को जिन्हें इस विकास क्षेत्र में स्थान नहीं दिया जा सकेगा, वहां से हटा कर विभिन्न प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रों में अथवा उद्योग के अनुकूल नागर-ग्रामों में बसा दिया जायेगा ।

भारत–जापान माल सेवा

†८१९. **श्री वी० चं० शर्मा :** क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के पश्चिमी तट और जापान के बीच ३० मई, १९६१ को चालू की गई माल परिवहन सेवा सन्तोषजनक रूप से चल रही है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी हां।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

कृषि योग्य परती भूमि

८२०. { श्री भक्त दर्शन :
श्री बर्मन :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री रा० चं० माझी :
श्री स० चं० सामन्त : }

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री २१ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १७२८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर की कृषि योग्य परती भूमि के बारे में जो विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई थी, उसने अपने कार्य में इस बीच और क्या प्रगति की है ;

(ख) उस समिति ने जिन राज्यों के बारे में अभी तक अपनी रिपोर्ट दी है, उन पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) देश भर की कृषि योग्य परती भूमि को भूमिहीन व्यक्तियों द्वारा आबाद कराने के कार्य में प्रत्येक राज्य में अब तक कहां तक सफलता मिली है ?

कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) समिति ने मद्रास और जम्मू तथा काश्मीर के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट दे दी है। यू० पी०, उड़ीसा और महाराष्ट्र सम्बन्धी रिपोर्टें भी प्रारूप अवस्था में तैयार हैं और उन पर राज्य सरकारों के साथ शीघ्र ही विचार विनिमय होगा और फिर अन्तिम रूप दिया जायेगा। गुजरात सम्बन्धी प्रारूप रिपोर्ट अभी तैयार की जा रही है, क्योंकि समिति द्वारा मांगा हुआ विवरण अभी हाल ही में प्राप्त हुआ है। राजस्थान के सम्बन्ध में रिपोर्ट समिति के उस राज्य का दौरा करने के बाद तैयार की जायेगी। आसाम से अभी तक पूरा विवरण प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) जहां तक व्यावहारिक हो सकता है, तीसरी पंचवर्षीय योजना में उन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के विचार से राज्य सरकारों द्वारा समिति की रिपोर्टों में दी गई सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है।

(ग) दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान में १९५९-६० तक राज्य सरकारें भूमिहीन व्यक्तियों के ५,१५० परिवारों को बसा सकी हैं। इसके अतिरिक्त ३१ मार्च, १९६१ तक बिहार में ११,४९२ परिवारों को भूदान की जमीनों पर पुनर्वासित किया गया। यह भी बताया गया है कि पिछले लगभग १० वर्षों में राज्य सरकारों द्वारा दूसरों के साथ भूमिहीन कृषि व्यक्तियों को लगभग ७८ लाख एकड़ कृषि योग्य परती जमीन बांटी गई। भूदान के अन्तर्गत बांटी गई भूमि भी उन्हीं आंकड़ों में शामिल है।

---

†मूल अंग्रेजी में

राष्ट्रीय पक्षी

८२१. **श्री भक्त दर्शन :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री २९ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २६५६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के किसी पक्षी को राष्ट्रीय पक्षी मानने के बारे में इस बीच अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ;

(ग) वह निर्णय किस आधार पर किया गया है ;

(घ) यदि नहीं, तो इसमें देरी होने का क्या कारण है ; और

(ङ) कब तक इस बारे में अन्तिम निश्चय हो जाने की आशा की जाती है ?

कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं होते ।

(घ) और (ङ). इंडियन बोर्ड आफ वाइल्ड लाइफ की पिछली बैठक में जो कि फरवरी, १९६१ में हुई थी, बोर्ड ने सिफारिश की थी कि इस विषय पर जनता और राज्य सरकारों के विचारों को इकट्ठा करना चाहिये और उनको इस बोर्ड की आगामी बैठक में रखना चाहिये । जनता के विचार प्रेस रिपोर्टों और अन्य संचार साधनों से इकट्ठे कर लिये गये हैं । । कुछ राज्य सरकारों के विचार अभी आने बाकी हैं । ये बोर्ड की उस आगामी बैठक में विचार करने के लिये रख दिये जायेंगे, जो कि १९६२ में किसी समय होने वाली है । इस सम्बन्ध में सरकार का निर्णय बोर्ड की सिफारिशों के प्राप्त होने के बाद किया जायेगा ।

वन संसाधन

८२२. **श्री भक्त दर्शन :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री २४ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २२१३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि देश भर के वन साधनों का सर्वेक्षण करने के लिए जो १.२७ करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत की गई है, क्या उसके विस्तार की बातों पर प्रकाश डालने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा ?

कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : यू० एन० स्पेशल फंड से सहायता के लिये भेजी गयी परियोजना की एक प्रति संसद् के पुस्तकालय में रखी जा रही है । वित्तीय ब्यौरे को विशेष कर रुपये सम्बन्धी व्यय जो कि भारत सरकार और राज्य सरकारें करेंगी, अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

दिल्ली-लन्दन बस सेवा

८२३. { **श्री भक्त दर्शन :**
श्री बी० चं० शर्मा :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री २९ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १०२१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली व लन्दन के मध्य सीधी बस सर्विस चलाने के जिस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा था उस के बारे में क्या निश्चय किया गया है ;

(ख) कब तक उसके चालू हो जाने की आशा है ; और

(ग) इसमें इतनी देरी होने के क्या कारण हैं ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) :(क) से (ग). भारत सरकार को भारत से लन्दन और दूसरे देशों तक नियमित व्यापारिक बस सर्विस चलाने के बारे में कुछ संगठनों से आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। परन्तु इन आवेदनों पर कोई भी कार्यवाही करना तब तक संभव नहीं है जब तक रास्तों में पड़ौस वाले देशों के साथ सरकार द्वारा पारस्परिक समझौते नहीं कर लिये जाते हैं। इन समझौतों के लिये नियमादि तय किये जा रहे हैं।

लन्दन तक जाने वाली कोई भी सर्विस पाकिस्तान से हो कर जायेगी। पाकिस्तान के साथ अमृतसर और लाहौर के बीच यातायात के लिये समझौते की दिशा में अब तक किये गये प्रयत्न ही सफल नहीं रहे हैं। इससे दिल्ली और लन्दन के बीच सर्विस शुरू करने में निहित कठिनाइयां जाहिर हो जाती हैं। इसलिए यह कहना संभव नहीं है कि कब वह सर्विस शुरू की जा सकेगी।

संयुक्त स्टीमर समवाय

†८२४. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या परिवहन तथा संचार मन्त्री ८ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ९९ और १०४ के उत्तरों के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार संयुक्त स्टीमर समवायों द्वारा केन्द्रीय और राज्य सरकारों से अनुदानों के रूप में और केन्द्र से ऋणों के रूप में प्राप्त राशियों के व्यय पर कोई नियंत्रण रखती है ;

(ख) समवायों के १९५६, १९५७, १९५९ और १९६० में हुए नुकसान के क्या कारण हैं;

(ग) क्या भाड़े की दरों में ५ प्रतिशत वृद्धि से समवायों को लाभ होने लगने की आशा है ; और

(घ) समवायों की विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत कितनी रक्षित राशियां हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (घ). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४]।

विमान सेवायें

८२५. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या परिवहन तथा संचार मन्त्री ११ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ४२६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत को अथवा भारत होकर जाने वाली प्रति सप्ताह १०८ सेवाओं में से कितनी अमेरिकन एयर लाइन्स द्वारा संचालित की जाती है ; और

(ख) एयर इण्डिया इण्टर नेशनल द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका को प्रति सप्ताह कितनी उड़ानें संचालित की जाती हैं ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) पांच सेवायें प्रति सप्ताह अमेरिकन एयर लाइन्स द्वारा संचालित की जा रही हैं, चार पैन अमेरिकन एयरवेज़ द्वारा और एक ट्रान्स वर्ल्ड एयर लाइन्स द्वारा।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) एयर इंडिया इण्टरनेशनल ने १९६१ के गर्मी के महीनों में संयुक्त राज्य अमेरिका को प्रति सप्ताह पांच सेवायें संचालित की थीं और १ अक्तूबर, १९६१ से तीन सेवायें संचालित कर रही है।

वाइस फ्रीक्वेंसी, टेलीग्राफ उपकरण

†८२६. { **श्री चन्द्र शंकर :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री रा० चं० माझी :
श्री स० चं० सामन्त : }

क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा 'वाइस फ्रीक्वेंसी' टेलीग्राफ उपकरणों का निर्माण किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो अभी तक कितने उपकरण निर्मित किए गए हैं ; और

(ग) इस कार्य से कितनी विदेशी मुद्रा की बचत हुई है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां।

(ख) अभी तक १२० टारमीनल पेनलों, जो ६० टेलीग्राफ चैनेल देंगे, का निर्माण एवं डाक तथा तार विभाग को सम्भरण किया गया है।

(ग) उत्पादन की वर्तमान दर पर प्रतिवर्ष १० लाख रुपए से अधिक।

दूसरा सवारी डिब्बा कारखाना

†८२७. { **श्री रा० चं० माझी :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा : }

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में दूसरा सवारी डिब्बा कारखाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उसके सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब किया जाएगा; और

(ग) वह कहां स्थापित किया जाएगा ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) देश में दूसरा सवारी डिब्बा कारखाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इस समय सवारी डिब्बों के निर्माण के तीन एकक हैं, अर्थात पेराम्बूर का कारखाना, हिन्दुस्तान एयर क्रैफ्ट लिमिटेड, बंगलौर और मेसर्स जेसप एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता।

(ख) और (ग). उत्पन्न नहीं होते।

---

†मूल अंग्रेजी में

सिद्धपुर में पैदल चलने वालों के लिये ऊपरी पुल

†८२८. **श्री मो० ब० ठाकुर :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे प्रशासन को पश्चिम रेलवे के सिद्धपुर रेलवे स्टेशन पर पैदल चलने वालों के लिये ऊपरी पुल बनाने के लिये अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) क्या भारत सरकार को इस सम्बन्ध में गुजरात सरकार से कोई उत्तर प्राप्त हुआ है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) हां, श्रीमान ।

(ख) और (ग). राज्य सरकार को ऊपरी पुल का खर्च वहन करने के लिये लिखा गया है राज्य सरकार से अभी तक कोई उत्तर नहीं प्राप्त हुआ है ।

दिल्ली में विस्थापित व्यक्तियों के लिये स्टाल

†८२९. **श्री बलराज मधोक :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पचकुइयां रोड और इरविन रोड पर विस्थापित व्यक्तियों के लिये निर्मित प्रिफैब्रिकेटेड स्टालों की अवधि समाप्त हो गई है और वे बहुत खराब हालत में हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन स्टालों के आवण्टीयों को स्थायी दुकानें देने के लिये क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) जी, हां ।

(ख) आवण्टीयों को सरकारी बस्तियों में नवनिर्मित बाजारों में स्थायी दुकानें दी गई थीं परन्तु ७ स्टॉल-होल्डरों को छोड़ कर शेष सबने वहां से हटने से इंकार कर दिया है ।

रेलगाड़ी की टक्कर के संबन्ध में रेलवे इंस्पेक्टर का प्रतिवेदन

†८३०. **श्री मो० ब० ठाकुर :** क्या रेलवे मंत्री १७ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १५६३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे इंसपेक्टर ने अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन का ब्यौरा क्या है और यदि कोई सिफारिशें की गई हो तो वे क्या हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) और (ख). रेलवे सुरक्षा के अतिरिक्त आयुक्त का अन्तिम प्रतिवेदन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है ।

उर्वरकों का वितरण

†८३१. **श्री मो० ब० ठाकुर :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री ४ अप्रैल १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २७३२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्यों को उर्वरकों का आवण्टन राज्य विशेष की आवश्यकताओं के आधार पर किया जाता है अथवा किसी अन्य विचार से ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : नाइट्रोजनयुक्त उर्वरक सामान्यतः विभिन्न राज्यों से प्राप्त मांगों और उपलब्ध सम्भरणों के आधार पर अनुपात के अनुसार आवण्टित किये जाते हैं। पिछले अपक्रय और सूखे अथवा अतिवृष्टि की स्थितियों, किसानों की उर्वरकों का प्रयोग करने की क्षमता आदि जैसे विशेष कारणों का भी विचार किया जाता है।

सिद्धपुर स्टेशन पर जुर्मानों की वसूली

†८३२. **श्री मो० ब० ठाकुर** : क्या **रेलवे** मंत्री ६ मार्च, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १३१७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे के सिद्धपुर, उन्झा और रेलवे स्टेशनों पर रेलवे मजिस्ट्रेट द्वारा बाहर के लोगों से, जो यात्री नहीं थे, कोई जुर्माना वसूल किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष १९५९-६० में कुल कितना जुर्माना वसूल किया गया था और कितने व्यक्तियों पर जुर्माने किये गये थे ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी, हां।

(ख) वसूल किया गया कुल जुर्माना . . . १८,४३० रुपए।
जुर्माना किए गए व्यक्तियों की संख्या . . ८,१०५।

रेलवे की १९६१ की आय

†८३३. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत रेलों को १ अप्रैल, १९६१ से १५ नवम्बर, १९६१ तक कुल कितनी आय हुई और पिछले वर्ष की उस अवधि में कितनी आय हुई थी; और

(ख) वृद्धि अथवा कमी, जैसी भी स्थिति हो, के क्या कारण हैं ?

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) :

(आंकड़े लाखों में)

	१ अप्रैल, १९६१ से ३० सितम्बर १९६१ तक	१ अप्रैल, १९६० से ३० सितम्बर, १९६० तक	अन्तर
सकल आय . .	२,४२,९३	२,१७,११	(+)२६,८२

(ख) वृद्धि के मुख्य कारण ये हैं:

(१) यात्री यातायात में वृद्धि।

(२) १-४-१९६१ से रेलवे यात्री भाड़े पर कर का यात्री भाड़े में मिला दिया जाना यद्यपि इसके कारण होने वाली वृद्धि भ्रामक है क्योंकि रेलवे राजस्व को राज्यों को ही

†मूल अंग्रेजी में

हस्तान्तरण के लिए सामान्य राजस्व के बदले में पिण्ड राशि का भुगतान करना होगा ।

(३) (क) छोटे बंडलों पर भाड़े पर अतिभार का १-४-६१ से १० प्रतिशत से बढ़ाकर २० प्रतिशत कर दिया जाना (ख) १-७-१९६१ से ३३५ किलोमीटर से अधिक की दूरी के लिए कोयले के भाड़े की दरों का बढ़ाया जाना ।

रेलवे की आय का लेखा पूरे महीने का रखा जाता है, महीने के किसी भाग का नहीं । यहां दिए गए आंकड़े अप्रैल, १९६१ से सितम्बर, १९६१ तक और अप्रैल, १९६० से सितम्बर, १९६० तक की अवधियों की वास्तविक आय बताते हैं । अक्टूबर और नवम्बर १९६१ के लेखे अभी समाप्त नहीं हुए हैं अतः वास्तविक आय के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं ।

रेलवे पर भोजन-व्यवस्था के ठेके

†८३४. **श्री मो० ब० ठाकुर:** क्या रेलवे मंत्री २८ अप्रैल, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३६२५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी भोजन-व्यवस्था ठेकेदार के किसी रेलवे स्टेशन अथवा स्टेशनों पर अपने नाम में अथवा अपने संबंधियों के नाम में एक से अधिक ठेके हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं तो वे कौन से ठेकेदार और समवाय हैं जिन्होंने रेलों पर पांच वर्ष से अधिक समय तक कार्य किया है और जिनके रेलों पर एक से अधिक ठेके हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) ठेकेदारों पर एक स्टेशन अथवा अनेक स्टेशनों पर एक से अधिक ठेके लेने के संबंध में कोई प्रतिबन्ध नहीं है यदि उनके सब ठेके मिलाकर वर्तमान आदेशों के अन्तर्गत निर्धारित सीमाओं के अन्दर हों ।

(ख) और (ग). यह सूचना नहीं रखी जाती है ।

एक महिला द्वारा आत्महत्या

†८३५. **श्री मो० ब० ठाकुर:** क्या रेलवे मंत्री १२ अप्रैल, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३१८० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस संबंध में अग्रेतर पुलिस जांच की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उस महिला द्वारा अपने पुत्र के साथ आत्महत्या किए जाने का क्या कारण था ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) पुलिस जांच से यह ज्ञात हुआ है कि मृत महिला रेलवे लाइन पर गई और अपने ४ वर्षीय पुत्र के साथ दिल्ली एक्सप्रेस के सामने कूद पड़ी और उसने इस प्रकार अपने पुत्र के जीवन को भी समाप्त करके आत्महत्या कर ली ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) पति ने मृत महिला और उसकी बड़ी बहन, जो उसके बड़े भाई की विधवा थी, दोनों से विवाह किया था। दोनों बहनों की घरेलू मामलों में लड़ाई रहती थी। इस दुर्घटना के पूर्व मृत महिला का अपनी बहन (दूसरी पत्नी) के साथ गंभीर झगड़ा हुआ था और उसने क्रोध में आकर अपने लड़के को स्कूल से लाकर यह अपराध किया।

जीरे का मूल्य

†८३६. **श्री मो० ब० ठाकुर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष १९६०–६१ में जीरे के मूल्यों में लगभग ५० प्रतिशत गिरावट आई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो जीरे का १९५७ से प्रतिवर्ष प्रतिमन मूल्य क्या है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) जी, नहीं। मूल्य जुलाई, १९६० से स्थिर है।

(ख) उत्पन्न नहीं होता।

(ग) एक विवरण, जिसमें जीरे के जनवरी, १९५७ से लेकर आज तक के महीने के अन्त के थोक मूल्य दिए हुए हैं, संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५]**।

स्वर्गीय श्री चन्दन सिंह के परिवार को प्रतिकर

†८३७. **श्री मो० ब० ठाकुर** : क्या **रेलवे** मंत्री १८ फरवरी, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या २३० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे प्रशासन ने टी० टी० चन्दन सिंह की मृत्यु हो जाने के कारण उन के परिवार को प्रतिकर दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम के अन्तर्गत ३५०० रुपये का एक चैक श्री चन्दन सिंह के वैध उत्तराधिकारियों को देने के लिये मथुरा के जिला मिजस्ट्रेट को भेजा गया है। मृत व्यक्ति की विधवा स्त्री को, राशि दिये जाने की व्यवस्था करने के लिये, न्यायालय से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र लेने को कहा गया है।

(ग) सवाल पैदा नहीं होता।

डाक व तार मंडल, गुजरात

†८३८. **श्री मो० ब० ठाकुर** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने गुजरात के लिये डाक व तार सर्कल स्थापित करने का अन्तिम फसला कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)**: (क) जी हां, यह १-७-६१ को बनाया गया था।

(ख) ब्यौरा अनुबंध में दिया जाता है।

विवरण

गुजरात डाक व तार मंडल ने १ जुलाई १९६१ से अहमदाबाद मुख्यालय में पोस्ट मास्टर जनरल के प्रचाराधीन काम आरंभ कर दिया था। गुजरात मंडल मोटे तौर पर गुजरात राज्य की सीमा के साथ मिलता है और इस में निम्न डाक, रेलवे डाक सेवा, और तार इकाइयां हैं :—

(क) **डाक**: गुजरात राज्य के सभी डाक डिवीजन अर्थात् अहमदाबाद, बड़ौदा, भावनगर, कच्छ, जूनागढ़, कैरा, मैहसाना, राजकोट और सूरत ;

(ख) **रेलवे डाक सेवा** : "डब्ल्यू०" और "आर जे" डिवीजन

(ग) **तार तथा तार इंजीनियर**: राजकोट और अहमदाबाद इंजीनियरी डिवीजन। (जी० एम० टी० बम्बई) से अहमदाबाद फोन डिवीजन को बदलने का प्रश्न विचाराधीन है।

(घ) **तार यातायात** : गुजरात राज्य के अन्दर पड़ने वाले अराजपत्रित अफसरों के प्रभारी सभी टेलीग्राफ दफ्तरों के अतिरिक्त राजकोट और अहमदाबाद के दो राजपत्रित डी० टी० ओ०।

गुजरात के गांवों में शाखा डाकघर

†८३९. **श्री मो० ब० ठाकुर**: क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात के गांवों में शाखा डाकखाने खोलने के लिये जनता की बड़ी मांग है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले ८ महीनों में कितने शाखा डाकघर खोले गये हैं ; और

(ग) सरकार उक्त मांग को पूरा करने के लिये क्या कदम उठा रही है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) जी हां।

(ख) २९४।

(ग) सरकार की उदार नीति के अनुसार यथाशीघ्र नये डाकघर खोलने के प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है। धन की उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाले स्थानों पर नये डाकघर खोले जाते हैं।

कच्छ का मरुस्थल

†८४०. **श्री मो० ब० ठाकुर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात सरकार ने तीसरी योजना में कच्छ के मरुस्थल का विकास करने के बारे में भारत सरकार को प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार निकट भविष्य में उसका विकास करना चाहती है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) से (ग). कछ की छोटी कान के विकास के बारे में भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच कुछ पत्र व्यवहार हुआ है परन्तु मामले के बारे में अभी कुछ तय नहीं हुआ है। राज्य की तीसरी योजना में पांच वर्षों के लिये कछ की छोटी कान को कृषि योग्य बनाने के लिये २० लाख रुपये का उपबंध शामिल किया गया है। योजना का ब्यौरा अभी राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है।

गुजरात में पर्वतीय स्थानों का विकास

†८४१. **श्री मो० ब० ठाकुर** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार तीसरी योजना में गुजरात राज्य में किसी पर्वतीय स्थान का विकास करने का विचार करती है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि उपरोक्त (क) का उत्तर 'नहीं' है तो क्या राज्य सरकार ने इस मामले में केन्द्रीय सरकार को सहायता करने को कहा है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) भारत सरकार का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। पर्वतीय स्थानों का विकास प्रधानतया राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता।

(ग) जी नहीं।

(घ) सवाल पैदा नहीं होता।

गुजरात राज्य में नलकूप

†८४२. **श्री मो० ब० ठाकुर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तीसरी योजना में गुजरात राज्य में ४०० नलकूप खोदे जायेंगे ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इनमें से कितने नलकूप तीसरी योजना के पहले वर्ष में खोदे जायेंगे ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वे० कृष्णप्पा)** : (क) और (ख). राज्य सरकार निम्न प्रदेशों में तीसरी योजना में ५४० नलकूप लगाने का विचार करती है :

(१) गुजरात प्रदेश	४००
(२) सौराष्ट्र प्रदेश . . .	४०
(३) कछ प्रदेश	१००
योग .	५४०

(ग) ५०

†मूल अंग्रेजी में

भाखड़ा नांगल परियोजना

†८४३. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किस तिथि तक भाखड़ा या भाखड़ा नांगल के सभी काम पूरे हो जायेंगे ;

(ख) जल कब छोड़ा जाएगा और पश्चिम जमना नहर की शाखाओं को भाखड़ा बांध से जल कब दिया जाएगा ;

(ग) उन शाखाओं के क्या नाम हैं ; और

(घ) सभी कामों पर कितनी लागत आएगी ?

†**सिंचाई तथा विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) भाखड़ा बांध तथा इस के मुख्य संबंधी काम १९६२ में पूरे हो जाएंगे । शेष काम जिन में अधिकतर कुछ ट्रांसमिशन लाइनें हैं, १९६३–६४ तक पूरे हो जाएंगे ।

(ख) और (ग). जल भाखड़ा जलाशय में जमा है । जलाशय १९६३ के मौनसून में पूर्व-रूपेण भर जाएगा ऐसी आशा है । पश्चिम जमना नहर की सरसा शाखा को ही भाखड़ा जलाशय से जल दिया जाएगा । इस को जलाशय से पहले ही वर्षा ऋतु में जल मिला रहा है । सदा बहने वाला जल १९६३–६४ से दिये जाने की आशा है ।

(घ) भाखड़ा नांगल परियोजना की कुल अनुमानित लागत १७५·६ करोड़ रुपये है ।

दिल्ली और गुड़गांव से नहर

†८४४. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और गुड़गांव से प्रस्तावित नहर के निर्माण के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) इसका निर्माण कब तक हो जाने की सम्भावना है ;

(ग) उक्त नहर के बन जाने के पश्चात् कितने एकड़ भमि को सिंचाई और सुविधाओं का लाभ प्राप्त होगा ;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस नहर के सम्बन्ध में पंजाब सरकार को कोई वित्तीय सहायता दी है ; और

(ङ) यदि हां, तो कितनी राशि दी गई है ?

†**सिंचाई तथा विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) दिल्ली या गुड़गांव से शरू होने वाली कोई नहर नहीं है । हां, पंजाब के गुड़गांव जिले की भूमि की सिंचाई के लिये निर्माणगत एक स्कीम अवश्य है जिसका नाम गुड़गांव नहर योजना है । ३४ मील की कुल लंबाई के मुकाबले २३ मीलों की लंबाई में इस स्कीम का काम ज़ोर-शोर से हो रहा है और मिट्टी के कुल अनुमित ४०.५ करोड़ घन फुट काम के मुकाबले २ करोड़ घनफुट काम पूरा किया जा चुका है ।

(ख) चौथी पांचसाला योजना के अन्त तक इसके पूरा हो जाने की संभावना है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) पंजाब के लगभग ४.४३ लाख एकड़ खेतीलायक कमांडेड क्षेत्रफल को, और राजस्थान के १.६५ लाख एकड़ खेतीलायक कमांडेड क्षेत्रफल को सिंचाई-लाभ मिलेंगे। पीने के लिये तथा अन्य विविध कामों के लिये भी पानी दिये जाने की संभावना है।

(घ) जवाब 'नहीं' में है।

(ङ) सवाल ही नहीं पैदा होता।

उत्तर प्रदेश में बिजली का संभरण

†८४५. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने गैर-सरकारी समवायों से उत्तर प्रदेश के पांच नगरों में बिजली संभरण अपने हाथ में लेने के अपने इरादे के बारे में केन्द्रीय सरकार से परामर्श किया है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र ने क्या सलाह दी है ?

†**सिंचाई तथा विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) भारतीय बिजली अधिनियम, १९१० के अन्तर्गत इसके लिये भारत सरकार से पूर्व अनुमति लेने की जरूरत नहीं है।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता।

सहकारिता आंदोलन

†८४६. { **श्री विभूति मिश्र :**
श्री प्र० चं० बरुआ : }

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी क्षेत्र में सहकारिता आन्दोलन की प्रगति सन्तोषजनक नहीं है।

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार इस के बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार करती है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :** (क) जी, हां।

(ख) मुख्य कारण ये हैं :—

(१) विभिन्न स्तरों पर सहकारी संस्थाओं की संगठनात्मक कमजोरी;

(२) संख्या और किस्म की दृष्टि से पर्याप्त कर्मचारियों की कमी; और

(३) गैर-सरकारी नेतृत्व का अभाव।

(ग) इन राज्यों को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उनका अध्ययन भारत सरकार एवं रिजर्व बैंक के द्वारा भेजे गये अफसरों के दलों ने किया है। उनके निष्कर्षों पर रिजर्व बैंक द्वारा आयोजित सहकारी ऋण सम्बन्धी सम्मेलन में और भारत सरकार द्वारा आयोजित सहकारी विपणन तथा परिष्करण सम्बन्धी सम्मेलन में सरकारी स्तर पर चर्चा की गई थी। इन सम्मेलनों में जो सुझाव माने गये उन पर १ नवम्बर, १९६१ को इन राज्यों के सहकार मंत्रियों के सम्मेलन में चर्चा की

---

†मूल अंग्रेजी में

गई । यह तय हुआ है कि (१) संस्थाओं पर से सरकारी नियंत्रण हटाया जाये, जिससे गैर- सरकारी लोग उत्तरदायी पद संभाल सकें ।

(२) उचित उपायों के द्वारा संस्थाओं की संगठनात्मक कमजोरी को दूर किया जाये ।

(३) कर्मचारियों की कुशलता बढ़ाई जाये, और

(४) इन उपायों के साथ साथ, उचित अवधि के लिये संस्थाओं को अधिक वित्तीय सहायता दी जायेगी । ताकि वे संतोषजनक ढंग से काम कर सकें ।

ये निर्णय अब कार्यान्वित किये जायेंगे ।

जामनगर कालेज

८४७. { **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली के प्रशिक्षण के लिये जामनगर में जो विद्यालय १९५६ में खोला गया था, उस में कितने विद्यार्थियों के लिये स्थान है, और कितने विद्यार्थी शिक्षा पा रहे हैं;

(ख) इस विद्यालय से जो व्यक्ति प्रशिक्षित होते हैं क्या उन्हें सरकारी नौकरी के लिये प्राथमिकता दी जाती है;

(ग) क्या इस विद्यालय के स्नातकों को एलोपैथी के विद्यालयों के स्नातकों के समान वेतनक्रम दिये जाने की व्यवस्था है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) आवुर्वेद अधिस्नातक प्रशिक्षण केन्द्र जामनगर में कुल ५० विद्यार्थियों के लिये स्थान है और इस समय शिक्षा भी इतने ही विद्यार्थी पा रहे हैं ।

(ख), (ग) और (घ). इस पर कार्यवाही करना मुख्यत: राज्य सरका ों का काम है, फिर भी उन से अनुरोध किया गया है कि वे आयुर्वेदिक कालेजों में नियुक्ति करते समय जामनगर केन्द्र से योग्यताप्राप्त विद्यार्थियों को प्राथमिकता दें ।

अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना

८४८. { **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना में कितनी स्वायत्त-शासी और अर्द्ध-स्वायत्तशासी संस्थायें शामिल की गई हैं ;

(ख) क्या उपरोक्त संस्थाओं के कर्मचारियों द्वारा दिये जाने वाले और केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों द्वारा दिये जाने वाले अंशदान में कुछ अन्तर है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) इस योजना के सभी राज्यों, विशेषकर संघ राज्य क्षेत्रों में प्रसार की क्या व्यवस्था की जा रही है; और

(ङ) इसके क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं और किस ढ़ंग से काम आरम्भ किया जायेगा ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६ ।]**

(ख) जी, नहीं ।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) और (ङ). अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के सभी राज्यों अथवा संघ राज्य-क्षेत्रों में प्रसार करने का फिल्हाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

प्रादेशिक मत्स्यपालन केन्द्र

८४९. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर में मछली के बच्चों की आवश्यकता पूरी करने के लिये कितने प्रादेशिक मत्स्यपालन केन्द्र स्थापित किये गये हैं;

(ख) इन केन्द्रों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) तृतीय पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम को बढ़ाने के लिये कितनी राशि की व्यवस्था की गई है ?

कृषि उपमंत्री (श्री मों० व० कृष्णप्पा) : (क) और (ख). पूछी हुई जानकारी का एक विवरण नत्थी है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ७ ।]**

(ग) इस कर्यक्रम को और अधिक विकसित करने के लिये राज्यों ने लगभग १४४.५० लाख रुपयों का उपबन्ध किया है ।

कार्मिक संघों को मान्यता

†८५०. **श्री प्र० गं० देव :**
डा० राम सुभग सिंह :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परिवहन तथा संचार मंत्रालय के अन्तर्गत कितने कार्मिक संघों को पुनः मान्यता दी गई है; और

(ख) क्या अन्य संघों को पुनः मान्यता दी जानी है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) :** (क) १२ कार्मिक संघ तथा सेवा संस्थायें ।

(ख) जी नहीं ।

†मूल अंग्रेजी में

कैरेज एण्ड वैगन वर्कशाप आलमबाग, लखनऊ

८५१. **श्री सरजू पांडेय :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कैरेज एण्ड वैगन वर्कशाप आलमबाग, लखनऊ के कर्मचारियों की बस्ती में प्रस्तावित उद्यान लगाने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ख) क्या यह सच है कि उक्त बस्ती में कर्मचारियों के लिये पानी की उचित व्यवस्था नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे उपमंत्री (श्री स० वें० रामस्वामी) : (क) धन उपलब्ध होने पर रेलवे कालोनी, आलमबाग, लखनऊ में १९६२-६३ में एक पार्क बनाने का विचार है।

(ख) और (ग). कालोनी में पानी सप्लाई करने का उचित प्रबन्ध है।

वेयरहाउसमैनों का अखिल भारतीय सम्मेलन

†८५२. **श्री झूलन सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्दौर में वेयरहाउसमैनों के अखिल भारतीय सम्मेलन के सुझावों पर सरकार ने ध्यान दिया है; और

(ख) यदि हां, तो वहां जिन उपायों का सुझाव दिया गया था, उन के अनुसार क्या कार्यवाही की गई है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) :** (क) सम्मेलन में किये गये सुझावों में से केवल दो को छोड़ कर अन्य सुझाव या तो कार्यान्वित किये जा चुके हैं या कार्यान्वित किये जा रहे हैं। ये दो सुझाव (क) परिवहन सेवाओं को उपलब्ध करने; और (ख) माल के अनिवार्य बीमा के स्थान पर हानि पूर्ति योजना को लागू करने के बारे में हैं जिन के प्रभावों के बारे में अग्रेतर परीक्षण किया जा रहा है।

दिल्ली में यमुना के घाट

८५३. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में यमुना नदी के किनारे और इसके घाटों पर कुछ पार्क और मनोरंजन केन्द्र बनाने की कोई योजना विचाराधीन है;

(ख) क्या यह भी सच है कि यमुना बाजार बस्ती के निवासियों को वहां से किसी दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो उन्हें कहां पर बसाया जायेगा;

(घ) क्या उस क्षेत्र में रहने वालों ने सरकार को कोई ज्ञापन भेजा है; और

(ङ) यदि हां, तो उस में क्या लिखा है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री करमरकर) : (क) जी, हां। दिल्ली की मास्टर योजना के प्रारूप के अनुसार जमुना नदी के किनारों को शहर के एक बड़े एवं अत्यधिक विकसित विनोद-क्षेत्र के रूप में विकसित करने का विचार है।

(ख) और (ग). जमुना बाजार एक बहुत ही गन्दी बस्ती है और इसकी सफाई की आवश्यकता है। कुछ समय पूर्व दिल्ली विकास प्राधिकार ने यहां के अनधिकृत रूप से बसे हुए लोगों को हटाकर झिलमिला ताहिरपुर और किलोकड़ी की बस्तियोंमें उनके लिये बनाये गये साहाय्यित मकानों में बसाने का प्रयत्न किया है। प्राधिकार ने यह प्रस्ताव रखा है कि दाह-संस्कार एवं स्नान करने के घाटों से सम्बन्धित लोगों के लिये इस क्षेत्र में दो से तीन मंजिल के मकान बनाये जायें, घाटों के नजदीक जलाने की लकड़ी आदि रखने के लिये दुकानें तैयार की जाएं और शेष क्षेत्र में स्नान तथा दाह-संस्कार के लिये घाट तैयार किये जाएं। और पार्कों की व्यवस्था की जाए। उसने यह भी सिफारिश की है कि इस क्षेत्र के अतिरिक्त लोगों को यहां से हटा कर बांध के उस पार ग्राण्ड ट्रक रोड से शाहदरा तक विकसित किये जाने वाले क्षेत्र में बसा दिया जाय।

(घ) और (ङ). स्वास्थ्य मन्त्रालय के पास ऐसे कोई आवेदन पत्र नहीं आये।

अंडा चूर्ण फैक्टरी

†८५४. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री २९ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २६३० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उक्त अण्डा चूर्ण फैक्टरी की स्थापना के बारे में फैसला कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कहां ; और

(ग) फैक्टरी की उत्पादन क्षमता क्या होगी और सके लिये कितनी विदेशी पूंजी मांगी जा रही है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) जी, नहीं।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता।

(ग) स समय कहा नहीं जा सकता। जैसा कि २९-८-६१ के अतारांकित श्न संख्या २६३० के उत्तर में कहा गया है, यह योजना १९६३-६४ में कार्यान्वित की जायेगी।

पंजाब में राष्ट्रीय राजपथ और पुल

†८५५. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीस ी योजना में पंजाब में राष्ट्रीय राजपथों और पु ों के निर्मा के लिये आवंटित की जाने वाली राशि का फैसला किया जा चुका है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि; और

(ग) किन परियोजनाओं के लिये यह राशि आवंटित की गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय म राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी, हां।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) २८२·६८ लाख रुपये के खर्च वाले नये काम दूसरे योजना से बचे हुए और तीसरी योजना में किये जाने वाले कामों पर खर्च की जाने वाली ११५·३९ लाख रुपये की राशि के अतिरिक्त मंजूर किये जायेंगे ।

(ग) मंजूर किये जाने वाले नये कामों की सूची संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबंध संख्या ८ ।]**

केरल में ग्रामीण जल संभरण

†८५६. **श्री कोडियान :** क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने तीसरी योजना में राज्य के देहाती क्षेत्रों में पीने के जल के सम्भरण की कोई विस्तृत योजना पेश की है ;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य रूपरेखा क्या है ; और

(ग) योजनाओं की कार्यान्विति के लिये राज्य को कितनी वित्तीय सहायता देने का विचार है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी, हां ।

(ख) निम्नलिखित योजनाएं केरल सरकार द्वारा राष्ट्रीय जल सम्भरण तथा स्वच्छता कार्यक्रम (देहाती) के अन्तर्गत अनुमोदन के लिये भेजी गई हैं :—

(१) कोट्टाथुरुपी जल सम्भरण योजना—
(अनुमानित लागत ०·१४६ लाख पये—अनुमोदित हो चुकी है)

(२) वारकला पचायत जल सम्भरण योजना—
(अनुमानित लागत ४·९८ लाख पये—विचाराधीन)

(३) पारास्साला जल सम्भरण योजना—
(अनुमानित लागत ३·४८६ लाख पये—अनुमोदित हो चुकी है)

(४) कुमिली जल सम्भरण योजना—दूसरा प्रक्रम—
अनुमानित लागत ३.११ लाख रुपये—अनुमोदित नहीं हुई ।

(ग) सहायता के बारे में स्थिति यह है कि योजनाओं की ५० प्रतिशत अनुमोदित लागत राज्य सरकार को सहाय्य अनुदान के तौर पर दी जाती है । तथापि केन्द्रीय सहायता प्रत्येक वर्ष के लिये केन्द्र में किये गये समूचे बजट उपबन्ध तथा इस सम्बन्ध में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार इन योजनाओं पर राज्य सरकार के द्वारा किये गये यथार्थ व्यय के अनुसार होगा ।

स्वास्थ्य शिक्षा

†८५७. { **श्री कोडियान :**
श्री वारियर :
श्री दी० चं० शर्मा : }

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी योजना अवधि में स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा को फैलाने के लिये क्या कार्रवाई की गई है या करने का विचार है; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस सम्बन्ध में केन्द्र कितनी राशि खर्च करेगा ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा विभाग के लिये स्वास्थ्य मन्त्रालय की तीसरी योजना में २५ लाख रुपये का उपबन्ध किया गया है।

इसके अतिरिक्त, ५५.९८ लाख रुपये का उपबन्ध भी तीसरी योजना अवधि में स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा के लिये राज्य की योजनाओं में शामिल किया गया है।

(ख) केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा विभाग का कुल व्यय केन्द्रीय सरकार देगी।

इसके अलावा, केन्द्रीम सरकार तीसरी योजना अवधि में राज्य स्वास्थ्य शिक्षा विभाग पर राज्य सरकारों के द्वारा किये जाने वाले अनावर्त्तक व्यय का ७५ प्रतिशत (अधिक से अधिक १०,००० रुपये तक) और आवर्त्तक व्यय का ५० प्रतिशत (४५,००० रुपये की सीमा तक) देगी।

मैसूर में ग्रामीण कृषि विश्वविद्यालय

†८५८. **श्री अगाड़ी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर राज्य में ग्रामीण कृषि विश्वविद्यालय चालू करने की कोई योजना है ;

(ख) क्या तुंगभद्रा नदी के किनारे पर रायचूर जिला ग्रामीण क्षेत्र या मैसूर राज्य में अन्य किसी स्थान पर यह विश्वविद्यालय चालू करने की कोई योजना है ;

(ग) इस योजना के लिये अनुमानित कुल अनावर्त्तक और वार्षिक आवर्त्तक व्यय में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार की कितनी-कितनी रकमें होंगी ; और

(घ) वह सम्भवतः कब चालू किया जायगा ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) जी हां।

(ख) कृषि विश्वविद्यालय हेब्बल में खोलने का सरकार का विचार है।

(ग) यदि कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने की योजना भारत सरकार मंजूर कर लेती है और वह राज्य सरकार की तीसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल कर ली जाती है तो उसके लिये केन्द्रीय सहायता मिल सकती है, जिसकी रकम और जिसका स्वरूप राज्य सरकार की वास्तविक योजनाओं पर निर्भर होगा।

(घ) अभी इस समय कुछ नहीं कहा जा सकता।

भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद्

†८५९. **श्री दामानी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् द्वारा किये गये अनुसन्धान के परिणाम का उसके व्यावहारिक प्रयोग से कोई सम्बन्ध नहीं है ; और

(ख) इस बात के लिये क्या तरीके अपनाये जा रहे हैं कि इस अनुसन्धान के फल का लाभदायक ढंग से और शीघ्र लाभ उठाया जा सके ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) और (ख). अनुसन्धान के नतीजे सम्भावित हिताधिकारियों तक पहुंचाने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं। भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् द्वारा वित्तपोषित अनुसन्धान योजनाओं के अधीन, फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिये अनुसन्धान के परिणामों पर आधारित वैज्ञानिक जानकारी किसानों को बताने के अपने कर्तव्य के तौर पर राज्य कृषि विभाग तथा कृषि विस्तार अभिकरण प्रत्येक मौसम में किसानों के खेतों पर प्रदर्शन करते हैं। ऐसी जानकारी और भी कई तरीकों से किसानों को दी जाती है, जैसे विस्तार ढंग के साहित्य का प्रकाशन, फार्मिंग प्रसारण और ग्राम सहायक प्रशिक्षण शिविर।

गंडक और कोसी परियोजनाएं

†८६०. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **सिंचाई और विद्युत् मंत्री** २९ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १०४२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेपाल ने गण्डक और कोसी परियोजना के सम्बन्ध में जिसके लिये भारत मदद दे रहा है, इस बीच क्या प्रगति की है ; और

(ख) अब तक कितनी और किस प्रकार की सहायता दी गयी है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) गण्डक और कोसी परियोजनाएं भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं, न कि नेपाल सरकार द्वारा। इन दो परियोजनाओं से भारत और नेपाल दोनों को ही लाभ होगा। इन परियोजनाओं के सम्बन्ध में अब तक हुई प्रगति संलग्न विवरण में बतायी गयी है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ९]**

(ख) दोनों ही परियोजनाओं पर अभी विचार हो रहा है। उनके पूर्ण हो जाने के बाद ही नेपाल को पूरा पूरा लाभ मिल सकेगा। फिर भी कोसी परियोजना अभी तक जितनी पूरी हुई है उससे पूर्वी नेपाल तराई में लगभग एक लाख एकड़ जमीन की सालाना बाढ़ से रक्षा होगी और उससे कोसी नदी के पश्चिमी तट पर उपजाऊ जमीनों की मिट्टी का बह जाना रुक जायेगा। इस परियोजना को कार्यान्वित करने के लिये नेपाली कर्मचारियों, मजदूरों और ठेकेदारों के नियोजन तथा सभी मौसमों में संचार की सुविधायें भी दी गयी हैं।

रेल-दुर्घटनायें

†८६१. **श्री अनिरुद्ध सिंह:**
पंडित द्वा० ना० तिवारी:
श्री न० म० देव:
श्री वारियर:
श्री प्र० चं० बरुआ:

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहली जनवरी, १९६१ से ३० सितम्बर, १९६१ तक विभिन्न रेलवे महाखण्डों में कितनी रेल दुर्घटनायें (माल तथा यात्री गाड़ियों की) हुईं;

(ख) इन दुर्घटनाओं की संख्या गत वर्ष इसी अवधि के अन्दर हुई दुर्घटनाओं की संख्या की तुलना में कैसी रही;

(ग) इन दुर्घटनाओं के फलस्वरूप धन-जन की कितनी हानि हुई; और

(घ) रेलवे प्रशासन को कितना मुआवजा धन-जन की हानि के लिये देना पड़ा ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): (क) जनवरी, १९६१ से सितम्बर, १९६१ तक भारत की सरकारी रेलों में १५६३ दुर्घटनायें हुईं। इन में गाड़ियों आदि की टक्कर, उन का पटरी से उतर जाना, समपार पर गुजरते हुए सड़क यातायात से भिड़न्त और गाड़ियों में आग लग जाना शामिल हैं।

(ख) १९६० में इसी अवधि में इस तरह की १६०७ दुर्घटनायें हुई थीं।

(ग) (१) दुर्घटना में मारे गये व्यक्तियों की संख्या--९०।

(२) रेल सम्पत्ति का लगभग ४८,४६,८०० रुपये का नुकसान हुआ।

(घ) दुर्घटनाओं में जन-धन की हानि के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में २४,१५७.९८ रुपये दिये गये। इस रकम में अनुग्रह के रूप में दिये हुए १८,६००.०० रुपये शामिल नहीं हैं।

किसानों की अमरीका यात्रा के लिये दी गयी विदेशी मुद्रा

†८६२. **श्री कुन्हन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री १ सितम्बर, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३०६३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सेवक समाज द्वारा प्रस्तुत १२ किसानों के एक दल को अमरीका जाने के लिए कितनी विदेशी मुद्रा जारी की गयी है; और

(ख) प्रत्येक सदस्य को दी गयी रकम का ब्यौरा क्या है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) केवल २,८८० रुपये की विदेशी मुद्रा दी गयी है।

(ख) दल के प्रत्येक सदस्य के लिए २४० रुपये दिये गये हैं। १२ किसानों के अलावा, भारत कृषक समाज के सचिव भी वहां कुछ दिनों के लिये गये थे और खड (क) में उल्लिखित रकम के अतिरिक्त २४० रुपये की विदेशी मुद्रा भी ली थी।

टेलीफोन संबंध

†८६३. **श्री अरविन्द घोषाल** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक तार विभाग के पदाधिकारियों के घरों पर लगाये गये टेलीफ़ोन के लिए टेलीफोन तार की अधिकतम दूरी तथा टेलीफोन पाइन्ट्स की संख्या के सम्बन्ध में डाक तार महानिदेशालय ने कोई विभागीय आदेश जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न श्रेणियों के पदाधिकारियों के लिए उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या डाक तार महानिदेशालय के कार्यालयों तथा दिल्ली टेलीफोन जिले में काम करने वाले पदाधिकारियों को इस बात से रोकने के लिए कि वे अपने अपने घरों में एक से अधिक टेलीफोन पाइन्ट रखें और नमनीय तार (फ्लेक्सिबल केबल्स) की लम्बाई सामान्य मामलों में दूसरे ग्राहकों के लिए निर्धारित लम्बाई से अधिक हो, क्या कार्यवाही की गयी है;

(घ) उन मामलों में जहां एक से अधिक पाइन्ट लगाया जाता है और फ्लेक्सिबल तार की लम्बाई स्वीकृत लम्बाई से अधिक होती है, क्या कोई खातों में समायोजन (बुक एडजस्टमेंट) किया जाता है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० पं० सुब्बारायन)** : (क) टेलीफोन तथा तत्सम्बन्धी सुविधाएं डाक तार पदाधिकारियों को उनकी हैसियत और नौकरी की जरूरतों के मुताबिक जिलों और मंडलों के प्रमुखों के स्वविवेक से दी जाती हैं। उन्हें दी गयी सुविधाएं वही हैं जो सामान्य जनता के लिए उपलब्ध हैं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) जो सुविधाएं दी गयी हैं वे ग्राहकों की सेवा सम्बन्धी आवश्यकताओं के अनुसार ही हैं।

(घ) निःशुल्क टेलीफोन सुविधाएं केवल तभी दी जाती हैं जब कि वे सेवा के हित में आवश्यक होती हैं। टेलीफोन से अतिरिक्त अन्य शाखाओं के मामलों में, शाखाओं में परस्पर समायोजन (इन्टर ब्रान्च एडजस्टमेन्ट्स) किया जाता है।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

डाक-तार पदाधिकारियों का विशेष वेतन

†८६४. **श्री अरविन्द घोषाल** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मंडल कार्यालयों में काम करने वाले, टेलीफोन और तार इंजीनियरी विभागों के पदाधिकारियों और डाक तार महानिदेशक को कोई विशेष वेतन मंजूर किया गया है;

(ख) यदि हां, तो सहायक इंजीनियरों, क्षेत्रीय (डिविजनल) इंजीनियरों और निदेशकों के लिए, अलग अलग, किन किन दरों पर और किन किन तारीखों से वह मंजूर किया गया है;

(ग) ऐसा विशेष वेतन दिये जाने के लिए क्या आधार है;

(घ) क्या रेलवे हेडक्वार्टर्स के दफ्तरों तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में उन्हीं के जैसा काम करने वालों को भी ऐसा कोई विशेष वेतन दिया जा रहा है;

(ङ) यदि नहीं, तो डाक तार इंजीनियरी पदाधिकारियों के साथ ऐसा खास बर्ताव क्यों किया जा रहा है;

(च) महानिदेशक, डाक तार के तथा मंडल-कार्यालयों में नियुक्त किये जाने के लिए ऐसे पदाधिकारियों का किस प्रकार चुनाव किया जाता है; और

(छ) उन सहायक इंजीनियरों तथा क्षेत्रीय इंजीनियरों की संख्या कितनी है जिन की सेवा पांच साल से अधिक की नहीं है लेकिन जिन्हें ३१ जुलाई, १९६१ को समाप्त होने वाले पिछले छै महिनों में डाक तार महानिदेशक के कार्यालयों में तैनात किया गया था जिस से वे अतिरिक्त उपलब्धियों के अधिकारी हो गये हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बारायन)** : (क) से (छ). [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबंध संख्या १०**]

---

†मूल अंग्रेजी में

स्थानांतरित होने वाले पदाधिकारियों के घर पर टेलीफोन कनेक्शन्स

†८६५. **श्री अरविन्द घोषाल :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात के लिये कोई समय सीमा निर्धारित की गयी है कि डाक तार विभाग के किसी ऐसे पदाधिकारी के, जिस का एक जगह से दूसरी जगह तबादला होने के आदेश जारी किये जा चुके हों, घर पर कितने समय तक टेलीफोन कनेक्शन रहने दिया जाये;

(ख) दिल्ली टेलीफोन जिले में ऐसे मामलों की संख्या कितनी है जहां १-१-६१ से ३०-६-६१ की अवधि में स्थानान्तरण आदेश के अधीन पदाधिकारियों के घर पर सरकारी खर्च से टेलीफोन रहने दिया गया; और

(ग) उसके कारण क्या थे ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बारायन)**: (क) साधारणतया टेलीफोन तभी तक रखे जाते हैं जब तक स्थानान्तरण प्रभावी होता है।

(ख) कुछ नहीं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

डाक तार क्वार्टर्स

†८६६. **श्री अरविन्द घोषाल :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली टेलीफोन जिले के लिए क्वाटरों का एक अलग संग्रह (पूल) है;

(ख) यदि हां तो डाक-तार विभाग के विभिन्न श्रेणियों के ऐसे कितने पदाधिकारी हैं जो डाक तार महानिदेशक के कार्यालय में, जो कि राजसम्पत्ति महानिदेशालय (डायरेक्टरेट ऑफ इस्टेट्स) में शामिल है, काम करते हुए दिल्ली टेलीफोन जिले के संग्रह में शामिल इन क्वार्टरों में अभी भी रह रहे हैं;

(ग) क्या यह सच है कि इन में से अधिकतर पदाधिकारियों को डाक तार महानिदेशक के कार्यालय में काम करने के कारण विशेष वेतन मिल रहा है; और

(घ) इन पदाधिकारियों को निकाल बाहर करने तथा दिल्ली टेलीफोन जिले में काम करने वाले कर्मचारियों को ये क्वार्टर देने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है या करने का विचार है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बारायन) :** (क) जी हां, उसे सम्पूर्ण डाक तार संग्रह में से क्वार्टर दिये जाते हैं।

(ख) जनरल मैनेजर टेलीफोन्स, डाक सेवाएं निदेशक और डाक तार निदेशालय के संग्रहों में क्वार्टर्स हैं। डाक तार बोर्ड की स्वीकृति से बनाये गये नियमों के अधीन ये क्वार्टर दिये जाते हैं और इन नियमों में विभिन्न संग्रहों में क्वार्टरों के परस्पर फेर बदल के लिये भी व्यवस्था की गयी है, जो मंजूरी में परिवर्तन तथा विभिन्न कार्यालयों के बीच आवंटित व्यक्तियों के स्थानान्तरण के कारण करना होता है।

†मूल अंग्रेजी में

(ग) जी, हां ।

(घ) सभी क्वार्टरों में उचित अधिकार से लोग रह रहे हैं । इसलिए, निकाल बाहर करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

दिल्ली-लखनऊ एक्सप्रेस में सोने के लिए जगह

८६७. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जो यात्री ५०० मील से अधिक के टिकट खरीदते हैं उन्हें दिल्ली-लखनऊ एक्सप्रेस में २५ नये पसे देने पर तृतीय श्रेणी के डिब्बों में सोने के लिये जगह नहीं दी जाती है; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) और (ख). ऊपर-नीचे दो शायिकाओं वाले डिब्बे जिन में सफर के लिये दूरी का ध्यान न रख कर अधि-प्रभार लिया जाता है, आमतौर पर दिल्ली-लखनऊ एक्सप्रेस में लगाये जाते हैं । अभी कुछ समय पहले ये डिब्बे मरम्मत के लिये इस गाड़ी में से हटा दिये गये थे और उन की जगह ऊपर-नीचे तीन शायिकाओं वाले डिब्बे लगाये गये थे जिन के लिये दो शायिकाओं वाले डिब्बे के समान अधि-प्रभार लिया जाता रहा । चूंकि इन शयन-यानों में ऊपर-नीचे तीन शायिकाओं वाले डिब्बे लगाये जा रहे हैं इसलिये रेलवे ने हिदायत जारी की है कि जिन यात्रियों के पास ८०० किलोमीटर या अधिक दूरी के टिकट हों, उनसे अधि-प्रभार न लिया जाये ।

बहुप्रयोजनीय खाद्य

†८६८. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकीय अनसन्धानशाला (सेन्ट्रल फूड टेक्नोलाजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट) मैसूर, बड़े पैमाने पर बहुप्रयोजनीय खाद्य का उत्पादन आरम्भ नहीं कर रही है जबकि इस प्रकार के बहुप्रयोजनीय खाद्य की उपयोगिता तथा महत्व मान लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो बड़े पमाने पर उत्पादन शुरू न करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि बहुप्रयोजनीय खाद्य ग्रामीण जनता में लोकप्रिय नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो ग्रामीण क्षेत्रों में बहुप्रयोजनीय खाद्य को लोकप्रिय बनाने के लिये क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) और (ख). सेन्ट्रल फूड टेक्नोलाजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, मैसूर, केवल एक अनुसन्धानशाला है और उस का उद्देश्य नयी प्रक्रियायें निकालना और उन की वांछनीयता प्रदर्शित करना है । यह संस्था बड़े पैमाने पर उत्पादन करने का काम नहीं करती । फिर भी उस ने एक गैर-सरकारी तेल मिल द्वारा कोयम्बटूर में प्रति दिन दो या तीन टन पैदा करने के लिये एक अग्रिम संयंत्र की स्थापना में मदद की है ।

(ग) अभी तक ऐसी कोई सूचनायें नहीं मिली हैं ।

(घ) देश में, चाहे ग्रामीण क्षेत्रों में अथवा नगरीय क्षत्रों में बड़े पैमाने पर बहुप्रयोजनीय खाद्य के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिये घने प्रयत्नों की जरूरत है । अन्य कार्यवाहियों के साथ साथ अधिक बड़े पैमाने पर उत्पादन को भी प्रोत्साहन देना होगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

काकिनाड़ा रेलवे यात्री संघ

†८६९. **श्री रामम्** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे उपमंत्री ने १५ अक्तूबर, १९६१ को काकिनाड़ा में काकिनाड़ा नगर रेलवे यात्री संघ द्वारा आयोजित एक सभा में भाषण दिया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या उस सभा में वक्ताओं ने किन्हीं शिकायतों का उल्लेख किया था;

(ग) यदि हां, तो उन का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). जी हां ।

(ग) और (घ). विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबंध संख्या ११]**

अमरीका से खाद्य उपहार

†८७०. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका द्वारा दिये गये खाद्य उपहार दूकानों पर बेचे गये हैं जैसा कि त्रिवेन्द्रम में अमरीकी राजदूत ने अपने बयान में बताया है;

(ख) क्या इस मामले में कोई जांच की गयी है, और

(ग) यदि हां, तो उस का क्या नतीजा निकला ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)**: (क) से (ग). जी हां, कई बार ऐसी खबरें मिली हैं कि अमरीका से प्राप्त खाद्य उपहार बाजार में आ गये थे । फिर भी ऐसे मामलों की संख्या बहुत थोड़ी थी । जब कभी ऐसा समाचार मिलता है तो यह मालूम करने के लिये जांच की जाती है कि वह वस्तु कहां से प्राप्त हुई और संबंधित प्राप्तिकर्ता के परामर्श से कार्यवाही की जाती है कि संबंधित वितरणकर्ता को वितरण के लिये और अधिक उपहार प्राप्त करने के लिये अयोग्य करार कर दिया जाये । यह देखा गया है कि साधारणतया ऐसी बातें अमरीकी प्राप्तिकर्ता-अभिकरणों के वितरण-कर्ताओं की ओर से होती है जो उन अभिकरणों की मार्फत उपहार बांटते हैं ।

सब से अधिक लंबा प्लैटफार्म

†८७१. **श्री सुबिमन घोष** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे का किसी स्टेशन पर दुनिया में सब से अधिक लंबा कोई प्लैटफार्म है;

(ख) यदि हां, तो वह कहां है ;

(ग) शैड तथा उस पर छत सहित वह कितनी लागत से बनाया गया था; और

(घ) उस स्टेशन पर १९६० और १९६१ में अब तक कितने यात्री आये-गये ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). जहां तक भारत का संबंध है, सब से अधिक लम्बा प्लैटफार्म उत्तर रेलवे के कुरुक्षेत्र में है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

जहां तक भारत से बाहर के रेलवे प्लेटफार्मों के बारे में जानकारी का संबंध है, ब्यौरा तुरन्त उपलब्ध नहीं है ।

(ग) लगभग १ लाख रुपये ।

(घ) यात्रियों की संख्या :—

	(लाख में)	
	आने वाले	जाने वाले
१९६० में	४.०७	३.९९
केवल अक्तूबर तक १९६१ में	४.५८	३.४२

दामोदर घाटी निगम नहर

†८७२. { श्री सुबिमन घोष :
श्री न० म० देव :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री २४ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ९१५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार से यह मालूम कर लिया है कि वह दामोदर घाटी निगम नहरों के रख-रखाव तथा उन के संचालन के लिये कब सहायक इंजीयनरों को नियुक्त कर सकेगी; और

(ख) वे लगभग किस समय तक नहरों पर तैनात हो सकेंगे ?

†सिंचाई और विद्यूत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) पश्चिम बंगाल सरकार ने बताया है कि सहायक इंजीनियरों की कमी ही एकमात्र कारण नहीं था जिसकी वजह से वह नहरों के संचालन और रख-रखाव का काम अपने हाथ में नहीं ले सकती थी । कुछ बाढ़ग्रस्त निर्माण कार्य दामोदर घाटी निगम इस आशा से अपने हाथ में नहीं ले सका कि उन नहरों का वास्तविक हस्तान्तरण ३०–११–१९६० को होगा । इस लिये राज्य सरकार ने दामोदर घाटी निगम को निर्माण कार्य पूरा करने के लिये कहा क्योंकि सहायक इंजीनियरों की कमी के कारण अगले कुछ महीनों में उन नहरों को अपने हाथ में ले लेना उस सरकार के लिये संभव नहीं था । यद्यपि हस्तान्तरण की शर्तें बाद में तय की जा सकती हैं ।

(ख) यह पश्चिम बंगाल सरकार तथा दामोदर घाटी निगम के बीच शर्तों के बारे में, जिन में से अभी कुछ तय करनी हैं, किये जाने वाले करार पर निर्भर होगा ।

नल्ली स्टेशन पर रेलगाड़ी का पटरी पर से उतर जाना

†८७३. श्री दी० चं० शर्मा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या २० अक्तूबर, १९६१ को प्रातः १–२५ बजे दक्षिण रेलवे के विरुधुनगर मनियाछी सेक्शन में नल्ली स्टेशन पर मदुराई जाने वाली ७१६ शेनकोट्टाई-मदुराई सवारी गाड़ी का इंजन और तीन डिब्बे पटरी पर से उतर गये थे ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उस दुर्घटना का कारण क्या था ; और

(ग) उस का ब्यौरा क्या है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री से० वें० रामस्वामी)**: (क) से (ग). २०–१०–६१ को लगभग १–२८ बजे प्रातः काल जब दक्षिण रेलवे के विरुधुनगर-मनियाछी सेक्शन में नल्ली स्टेशन पर गाड़ी संख्या ७१६ शेनकोट्टाई-मदुराई सवारी गाड़ी लूपलाइन पर आ रही थी तब इंजन और उस के बाद के तीन डिब्बे पटरी पर से उतर गये। उस में कोई हताहत नहीं हुआ। अनुमान है कि रेलवे सम्पत्ति को केवल तीन सौ रुपये की हानि हुई। रेलवे प्रशासन जांच समिति की रिपोर्ट का परीक्षण कर रहा है और उस की छानबीन पूरी हो जाने के बाद ही दुर्घटना का कारण तय किया जा सकता है।

छोटी सिंचाई योजनायें

†८७४. { **श्री अगाड़ी:**
श्री रामपुरे:
श्री सुगन्धि: }

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण राज्यों ने बंगलौर में हाल के सम्मेलन में तीसरी पंच वर्षीय योजना में छोटी सिंचाई योजनाओं तथा क्षतिग्रस्त जलाशयों की मरम्मत के बारे में कोई संकल्प पारित किया है और केन्द्र सरकार से अतिरिक्त धन आवाटित करने को कहा है।

(ख) यदि हां, तो मैसूर, आंध्र तथा मद्रास राज्य की राज्यवार मांगें क्या हैं; और

(ग) किस प्रकार का निर्णय किया गया है ?

†**कृषि-उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) सभी राज्य सरकारों को मालूम है कि तथा उनको हाल के क्षेत्रीय सम्मेलन में दोबारा बता दिया गया है कि भारत सरकार छोटी सिंचाई योजनाओं के लिए अतिरिक्त रकम दे देगी यदि वह तीसरी योजनावधि के पहले तीन अथवा चार वर्षों में छोटी सिंचाई योजनाओं के लिए उपबन्धित राशि का पूरा पूरा प्रयोग करने में समर्थ हों।

(ख) और (ग). राज्यों द्वारा योजना की पूरी राशि और अन्य शीर्षों के अधीन उपलब्ध बचत व्यय करने के बाद योजनावधि के अन्तिम भाग के लिए अनुपूरक मांगों तथा उसके लिए आवंटनों का प्रश्न उठता है।

सोमपुर में अर्जित की गई भूमि के लिए मुआवजा

†८७५. **श्री अगाड़ी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण रेलवे के हुबली गुन्तकल मीटर गाज विभाग पर हाल्लीगुडी तथा बन्नीकोपा के बीच सोमपुर में गाड़ियों का मेल कराने वाला रेलवे स्टेशन बनाने के लिए लगभग ४ एकड़ भूमि का अर्जन किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो यह भूभाग कब अर्जित किया गया था और निर्माण कब आरम्भ किया गया था तथा कब पूरा किया गया था ;

(ग) क्या किसानों को कोई मुआवजा दिया गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) यदि हां, तो कितनी रकम दी गई है और किस तिथि को दी गई है ; और

(ङ) यदि रकम का भुगतान नहीं किया गया है तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उप-मंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). जी नहीं । भूमि का अभी अर्जन नहीं किया गया है परन्तु भूमि के मालिकों की अनुमति से मार्च, १९६० में आवश्यकता हो जाने पर भूमि पर हम पहुंच गये थे । ३ एकड़ १० गुन्टाज भूमि का अर्जन किया गया था ।

हुबली-गुन्तकल विभाग पर हरला पुर तथा बन्नाकोपा के बीच सोमपुर नामक स्थान पर गाड़ियों का मेल कराने वाले स्टेशन के निर्माण का कार्य अप्रैल, १९६० में शुरू हुआ था और अप्रैल, १९६१ में पूरा हो गया था । स्टेशन को १२-४-१९६१ को यातायात के लिए खोल दिया गया था ।

(ग) अभी नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ङ) विलम्ब राजस्व अधिकारियों से भूमि की संयुक्त जांच न होने के कारण हुआ था ।

बंगलौर मद्रास लाइन का विद्युतीकरण

†८७६. { **श्री अगाड़ी :**
श्री रामपुरे :
श्री सुगन्धि : }

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे के बंगलौर मद्रास बड़ी लाइन के विद्युतीकरण का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो यह काम कब आरम्भ होगा और कब पूरा होगा ?

†**रेलवे उप-मंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

मध्य प्रदेश को हीराकुद से बिजली

†८७७. **श्रीमती मैमूनासुलतान** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हीराकुद परियोजना से बिजली के संभरण के बारे में मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा राज्य सरकारों के बीच विवाद को सुलझाने के लिए केन्द्रीय सरकार का हस्तक्षेप चाहा था ; और

(ख) यदि हां, तो विवाद किस प्रकार निबटाया गया ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†सिचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) उड़ीसा सरकार ने हीराकुद बांध परियोजना का क्रम लगभग ३१ मार्च, १९६३ तक पूरा हो जाने पर हीराकुद बिजली प्रणाली से मध्य प्रदेश को ५,००० किलोवाट बिजली देना स्वीकार कर लिया है ।

सितम्बर में रेल गाड़ियों का चलना रोक देना

†८७८. **श्रीमती मैमूना सुलतान** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाढ़ के पानी से रेलवे लाइनें टूट जाने के कारण सितम्बर, १९६१ में लगभग एक सप्ताह के लिए देश के अधिकांश भाग में लम्बी दूरी का रेलवे यातायात ठप्प पड़ गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इसका किन लाइनों पर प्रभाव पड़ा था ?

†**रेलवे मंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) और (ख). जी नहीं । परन्तु मध्य रेलवे के अमला-नागपुर अमला-इटारसी तथा भुसावल-इटारसी विभागों पर अभूतपूर्व बाढ़ तथा रेल पटरी के टूट फूट जाने के कारण मध्य रेलवे के दिल्ली तथा मद्रास और दिल्ली तथा बम्बई के बीच लम्बी दूरी का रेल यातायात बन्द हो गया था : यातायात १५ से २२ सितम्बर, १९६१ के बीच बन्द हुआ था ।

लोकल सैल्फ गवर्नमेंट की केन्द्रीय परिषद्

†८७९. **श्रीमती मैमूना सुलतान** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोकल सैल्फ गवर्नमेंट की केन्द्रीय परिषद् की त्रिवेन्द्रम में अक्तूबर, १९६१ में बैठक हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या परिषद् ने राज्य सरकारों के अधिकारों तथा कर्त्तव्यों को स्थानीय संस्थाओं को प्रतिस्थापन के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक समिति नियुक्त करने का निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो समिति के निर्देश पद क्या हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)**: (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

अलीगढ़ मस्लिम विश्वविद्यालय का मैडिकल कालिज

†८८०. { **श्रीमती मैमूना सुलतान**:
श्री प्र० गं० देव:

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अलीगढ़ विश्वविद्यालय के अधीन अलीगढ़ में एक मडिकल कालिज खोलने की योजना बनाई गई है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो योजना प्राक्कलित व्यय क्या है ; और

(ग) योजना की क्रियान्विति के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर):** (क) जी हां ।

(ख) (क) **मडिकल कालिजः**

१. अनावर्त्तक	. .	८० लाख रुपये
२. आवर्त्तक		८ लाख रुपये वार्षिक

(ख) संबद्ध अस्पतालः

१. अनावर्त्तक	. . .	६० लाख रुपये
२. आवर्त्तक	. . .	१२ लाख रुपये वार्षिक

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ को परामर्श दिया है कि कालिज की स्थापना के लिये क्या १९६२–६३ में अध्यापन अस्पताल बनाने के लिए प्रारम्भिक कार्यवाही करे ।

सेवानगर, नई दिल्ली में नाले पर पुल

८८१. **श्री बलराज मधोक :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेवा नगर के रेलवे क्वार्टरों में रहने वाले लोगों की यह मांग है कि क्वार्टरों के सामने पड़ने वाले नाले पर पुल बनाया जाये ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उन्होंने यह सुझाव दिया है कि जब तक ऐसा पल नहीं बन जाता तब तक नाले पर बने रेल पुल के दोनों ओर पैदल चलने वालों के लिये पटरी बना दी जाये ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने उनकी मांग को पूरा करने के लिये अभी तक क्या पग उठाये हैं ?

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें रामस्वामी): (क) और (ख). जी हां ।

(ग) नाले के ऊपर रेलवे पुल पर पगडंडी बनाने की संभावना पर अभी भी विचार किया जा रहा है । साथ ही इस सुझाव पर भी विचार किया जा रहा है कि लाजपतनगर रेलवे स्टेशन को हटा कर नाले के पास कर दिया जाये ताकि डिफेंस कालोनी में रहने वालों को भी सहूलियत हो । यदि यह सुझाव मान लिया जाता है, तो नाले के ऊपर सेवानगर क्षेत्र को स्टेशन से मिलाते हुए एक उपयुक्त सड़क-पुल बनाना होगा । इस सड़क पुल से सेवा-नगर रेलवे कालोनी में रहने वाले रेल कर्मचारियों की जरूरतें पूरी हो जायेंगी ।

ग्राम सड़क निधि

†८८२. **श्री प्र० गं० देव :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्राम क्षेत्रों में सड़कों के विकास के लिए ग्राम्य सड़क निधि का निर्माण करने का निर्णय कर लिया गया है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो कार्य-क्रम कब तक आरम्भ हो जाने की आशा है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी नहीं मामला अभी विचाराधीन है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

माल गाड़ी का पटरी से उतर जाना

†८८३. **श्री कोडियान** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोट्टयम से एरणाकुलम जाने वाली मालगाड़ी ४ अक्तूबर, १९६१ को त्रिपुनित्तुरा के निकट पटरी से उतर गई थी ;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना के कारण कितनी क्षति हुई थी ; और

(ग) दुर्घटना का क्या कारण था ?

†**रेलवे उप-मंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी हां ।

(ख) रेलवे सम्पत्ति की १०,००० रुपये की हानि का अनुमान है ।

(ग) रेलवे प्रशासन जांच कर रहा है ।

रेलगाड़ियों में आवश्यक वस्तुओं का लगाया जाना

†८८४. **श्री कुन्हन** : क्या **रेलवे** मंत्री १ नवम्बर, १९६१ के इंडियन एक्सप्रेस (दिल्ली) में प्रकाशित पत्र के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस शिकायत की जांच की गई है कि इस रेल गाड़ी के लिये संभरण के लिए स्टोर में बल्ब नहीं थे ; और

(ख) सभी गाड़ियां आवश्यक वस्तुओं से लगी हुई हीं स्टेशनों से चलें इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

†**रेलवे उप-मंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी हां । बाज़ार में गाड़ियों में रोशनी करने के लिए बल्बों की उपलब्धि न होने के कारण इनका संभरण नहीं हो पाया था ।

(ख) चलने वाले स्टेशनों से तथा मार्ग में यात्री गाड़ियों के सभी वस्तुओं की नियमित जांच करने की सभी रेलों पर व्यवस्था है । मरम्मत की जाती है तथा कमी दूर की जाती है ।

संचार साधनों का विकास

†८८५. **श्री हेम राज** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में तीसरी योजना में संचार के विकास के लिए कितनी रकम निश्चित की गई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि पंजाब पहाड़ियों तथा कांगड़ा और शिमला में कुछ तराई का इलाका है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने पंजाब पहाड़ियों में संचार के विकास के लिए पंजाब सरकार को केन्द्रीय सरकार ने कोई विशेष सहायता अथवा अनुदान अथवा ऋण देने का विचार किया है ; और

(घ) क्या पंजाब सरकार ने किसी अनुदान अथवा सहायता के लिए अनुरोध किया है और यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया हुई ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) हिमाचल प्रदेश की तीसरी पंच वर्षीय योजना में सड़कों के विकास के लिए ८०० लाख रुपये की व्यवस्था है ।

(ख) जी हां ।

(ग) और (घ). पंजाब सरकार ने तीसरी पंचवर्षीय योजनावधि में पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क विकास के लिए केन्द्रीय सरकार को लगभग १२० लाख रुपये की योजनायें प्रस्तुत की हैं जो विचाराधीन हैं ।

१९६०–६१ में निर्मित ऊपरी पुल

†८८६. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०–६१ में कौन कौन ऊपरी पुलों का निर्माण होगा अथवा निर्माणाधीन हैं;

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजनावधि में कौन कौन से नये ऊपरी पुल बनेंगे, और

(ग) यह स्थान **कौन-कौन** से हैं ?

†**रेलवे उप-मंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) संबद्ध अनुबन्ध (क) में विवरण है **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १२]**

(ख) और (ग). विभिन्न राज्य सरकारों ने अब तक २१८ योजनाओं की सिफारिश की है तथा इनमें से २१ योजनायें १९६१–६२ के रेलवे निर्माण कार्यक्रम में शामिल कर ली गई हैं । उनकी सूची संबद्ध अनुबन्ध (ख) में है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १३ ।]** शेष योजनाओं के लिए राज्य सरकारों से कहा गया है कि तीसरी योजना अवधि में जितनी योजनाओं पर धन व्यय कर सकें उनकी क्रियान्विति के लिए संबंधित रेलों का समन्वित कार्यक्रम बना लें ।

पंजाब में रेलवे हाई स्कूल

†८८७. **सरदार इक़बाल सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में कितने रेलवे हाई स्कूल हैं ; और

(ख) यह स्कूल कहां कहां पर हैं तथा इनमें शिक्षा का माध्यम क्या है ?

†**रेलवे उप-मंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) कोई नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†**मूल अंग्रेजी में**

नई दिल्ली की रिंग रोड पर बिजली की व्यवस्था

८८८. **श्री बलराज मधोक** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि धौला कुंआ से सफदरजंग हस्पताल तक रिंग रोड पर दोनों ओर आबादी हो जाने के बावजूद बिजली नहीं लगाई गयी है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस के कारण वहां पर कई दुर्घटनायें हुई हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि रिंग रोड जहां पर कोई आबादी नहीं है बिजली की व्यवस्था कर दी गई है ; और

(घ) यह भेद भाव कहां तक उचित है और आबादी वाले क्षेत्र में रिंग रोड पर बिजली कब तक लगाई जायेगी ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) रिंग रोड तेज़ चलने वाली गाड़ियों के यातायात के लिए बनायी गयी है और यह यातायात आम तौर पर इन गाड़ियों की रोशनी में ही होता है । समस्या का समाधान इस सड़क के समानान्तर स्थानीय यातायात के लिए बिजली की पर्याप्त रोशनी वाली सड़कें बना देने में है। निर्माण आवास व संभरण मंत्रालय और दिल्ली नगर निगम इस कार्य से संबंधित हैं और इन से इस विषय में उचित कार्यवाही करने के लिए कहा जा चुका है ।

(ख) इस मंत्रालय को इसकी कोई भी जानकारी नहीं है कि रिंग रोड पर रोशनी की कमी से दुर्घटनाएं हुई हैं ।

(ग) और (घ). रिंग रोड पर दिल्ली नगर निगम द्वारा जो नगर निगम के क्षे की सीमा में बिजली लगाने से संबंधित है, बिजली लगा दी गयी है ।

पश्चिम बंगाल में तिल के तेल का मूल्य

†८८९. **श्री प्र० गं० देव**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सट्टा व्यापार के कारण पश्चिम बंगाल में तिल के तेल के मूल्य बढ गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**कृषि उप मंत्री (श्री मो० व० कृष्णप्पा)** : (क) जी नहीं । इसके विपरीत जून १९६१ में प्रतिमन ११०.८५ रुपये के भाव २० अक्तूबर, १९६१ में ७३.९० रुपये प्रतिमन कलकत्ते में कम हो गये हैं। इस बीच १७ नवम्बर, १९६१ को मूल्यों में कुछ बढ़ोत्तरी हुई और वह ८७.४९ रुपये हो गये । यह वृद्धि सट्टे बाजी के कारण नहीं थी।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

सिन्धु आयोग का काश्मीर का दौरा

†८९०. **श्री प्र० गं० देव** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिन्धु आयोग ने हाल में ही काश्मीर का ौरा किया था ; और

(ख) यदि हां, तो आयोग ने अब तक कितना काम किया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सिंचाई और विद्युत उप-मंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी हां। सिन्धु जलसन्धि, १९६० के अनुच्छेद ८ के उपबन्धों के अनुसार स्थायी सिन्धु आयोग ने जम्मू तथा काश्मीर राज्य की झेलम तथा उसकी सहायक नदियों के कुछ स्थानों की जांच के लिए २८ अक्तूबर से १ नवम्बर १९६१ तक द्वौरा किया था। उपरोक्त दौरे के साथ-साथ आयोग ने १३ से २७ नवम्बर, १९६१ तक जम्मू तथा काश्मीर राज्य में चिनाव नदी के कुछ निर्माण कार्यों की जांच करने के लिए दौरा किया था। यह दौरे का प्रबन्ध सिन्धु जल पाकिस्तान आयुक्त के अनुरोध पर किया गया था। इसी प्रकार पाकिस्तान तथा पाकिस्तान अधिकृत जम्मू तथा काश्मीर के भाग के निर्माण कार्यों का भी आयोग ने ९ से १५ नवम्बर, १९६१ तक दौरा किया था। जिस के लिए भारत सरकार ने सिंधु जल आयुक्त से अनुरोध किया था।

(ख) संधि के अनुच्छेद ८ के अनुसार स्थायी सिन्धु आयोग का एक कार्य यह है कि किसी भी आयुक्त के अनुरोध पर इन निर्माण कार्यों अथवा स्थानों से सम्बन्धित तथ्यों की जानकारी के लिये कोई भी आवश्यक समझने पर इन कार्यों तथा स्थानों की जांच कर सकता है।" उपरोक्त उपबन्धों के अनुसार आयोग जांच दौरे निर्माण कार्यों से सम्बन्धित तथ्थों की जानकारी के लिये किए जाते हैं।

चलती गाड़ियों में यात्रियों की हत्या

†८९१. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : गत तीन महीनो में चलती गाड़ी में कितने व्यक्ति मरे हुए तथा कितन घायल पाये गये ?

†**रेलवे उप-मंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : गत पिछले तीन महीनों में चलती गाड़ियों में क्रमशः ४ तथा ८ व्यक्ति मरे और घायल पाये गये। (इसमें बिहार राज्य के आंकड़े नहीं हैं।)

वन्य पशु शरणास्थल

†८९२. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लद्दाख (जम्मू तथा काश्मीर) में तीन वन्य पशु शरणास्थल स्थापित किये जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) और (ख). जानकारी इकट्ठी की जा रही है तथा मिलने पर सभापटल पर रख दी जायेगी।

नई खाई जाने वाली गर्भ-निरोधक दवाइयां

†८९३. **श्री अगाड़ी** : **श्री बासप्पा** :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम हुआ है कि ब्रिटेन की उर्वरता नियंत्रण जांच परिषद् न कुछ नई मुंह से खाई जाने वाली गर्भ निरोधक दवाइयों का इस्तेमाल किया था और उन्होंने उनको शत प्रतिशत सफल पाया है तथा उसके कोई बुरे प्रभाव भी नहीं होंगे;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या उनको हमारे देश में भी लागू करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) से (ग). जी हां । भारत सरकार ने ब्रिटेन में इस्तेमाल की गई "प्रोजैस्टेशनल स्ट्रायड' दवाई समेत सभी मुंह से खाई जाने वाली गर्भ निरोधक दवाइयों से विकास तथा अनुसंधान पर पुनः विचार करने के लिये एक समिति गठित की है। समिति ने 'प्रोजैस्टेशनल स्ट्रायड' का मुंह से खाई जाने वाली गर्भ निरोधक दवाई के रूप में इस्तेमाल करने के बारे में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :—

(१) मानव शरीर में संवेदन शील हारमोनों के संतुलन पर इन "स्ट्रायडों" को बहुत अवधि तक खाने से जो बुरा प्रभाव पड़ेगा उसका अर्थ इसलिये पता नहीं लग सका है क्योंकि इसको इतने अधिक दिनों तक इस्तेमाल नहीं किया गया जिससे बुरे प्रभाव की जानकारी हो सके और इसीलिये इन दवाइयों की बिक्री की अनुमति नहीं दी गई है ;

(२) मासिक धर्म में गड़बड़ी को दूर करने के लिये, गर्भपात को रोकने के लिये इसके प्रभाव के सम्बन्ध में प्राप्त साक्ष्य के कारण चिकित्सा प्रैसक्रिप्शन पर रोग दूर करने के लिये थोड़ी अवधि के लिये इसका प्रयोग किया जा सकता है या नहीं इस प्रश्न को जांच औषधि नियंत्रक (भारत) द्वारा की जा रही है । औषधि नियंत्रक (भारत) निःसंदेह रूप से इन उत्पादों की बिक्री की अनुमति देने के सम्बन्ध में नियंत्रणों तथा सावधानियों पर विचार करेगा ; और

(३) भारत सरकार को इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी कि इन उत्पादों का सक्षम कर्मचारी नियंत्रित रूप में अनुसंधान के लिये उपयोग करें ।

समिति की सिफारिशें सरकार ने स्वीकार कर ली हैं।

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् को औषधि मिल गई है जो समिति की सिफारिश के अनुसार औषधि के अनुसंधान के प्रस्तावों की जांच करेगी ।

होस्पत-कोट्टूर लाइन को हरिहर से मिलाना

†८९४. **श्री अनाड़ी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण रेलवे के मीटर गेज सेक्शन पर होस्पत-कोट्टूर लाइन नुकसान पर चल रही है ;

(ख) यदि हां, तो कब से ;

(ग) क्या यातायात और सेवा में सुधार करने के लिये कोई प्रयत्न किये गये हैं ;

(घ) क्या इस होस्पत-कोट्टूर लाइन को दक्षिण रेलवे के मीटर गैज सेक्शन पर हरिहर से मिलाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) उसका क्या ब्यौरा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उप-मंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) से (ग) होस्पत-कोट्टूर शाखा का पृथक हिसाब नहीं रखा जाता। अतः यह कहना संभव नहीं है कि इस सेक्शन पर हानि हो रही है।

(घ) मंगलौर पत्तन के रास्ते २० लाख टन लौह-अयस्क के निर्यात के लिये कोट्टूर और हरिहर के बीच ४२ मील लम्बी मीटर गेज लाइन अपेक्षित है। तथापि, इस लाइन को तृतीय पंचवर्षीय योजना के रेलवे कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया है।

(ङ) इस लाइन के लिये कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है; और

(च) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

त्रिवेन्द्रम-नागपुर रात्रि विमान डाक सेवा

†८९५. **श्री अगाड़ी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर और हैदराबाद के रास्ते त्रिवेन्द्रम् और नागपुर के बीच रात्रि विमान डाक सेवा चालू करने के लिये कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) यह सेवा कब चालू की जायेगी?

†**असैनिक उड्डयन उप-मंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मामले की जांच की जा रही है।

चिकित्सा में लाइसेंस वाला पाठ्य क्रम

†८९६. { **श्री अगाड़ी** :
श्री बासप्पा :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मसूर राज्य में विभिन्न केन्द्रों में चिकित्सा के लाइसेंस वाले पाठ्यक्रम आरम्भ किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो किन स्थानों पर;

(ग) क्या सरकार ने इस पाठ्यक्रम को मान लिया है; और

(घ) इस पाठ्यक्रम के लिये यदि राज्य को कोई वित्तीय सहायता दी गई है, तो वह क्या है?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) से (घ). मैसूर सरकार ने एक शिमोगा में और दूसरा बीजापुर में——चालू वर्ष में दो चिकित्सा स्कूल चलाने की मंजूरी दे दी है। चिकित्सा स्कूल चलाने में भारत सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। इस बारे में केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को कोई वित्तीय सहायता नहीं दी है।

---

†मूल अंग्रेजी में

सागर में एक रेलवे ऊपरी पुल का निर्माण

†८९७. **पंडित ज्वा० प्र० ज्योतिषी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सागर शहर का एक बड़ा भाग रेलवे स्टेशन के सामने स्थित है और इसलिये वहां पर रेलवे ऊपरी पुल को नितान्त आवश्यकता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि लोग सरकार से इस ऊपरी पुल को बनाने के लिये पिछले पांच वर्षों से प्रार्थना करते आ रहे हैं ताकि उनकी कठिनाइयां दूर हो सकें; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० व० रामस्वामी) :** (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). रेलवे लाइनों पर ऊपरी / निचले पुलों की व्यवस्था की सम्बन्धित सड़क प्राधिकारों अथवा राज्य सरकार द्वारा विशिष्ट अनुरोध प्राप्त होने पर, जिन्हें वर्तमान नियमों के अधीन निर्माण का अपना अंश वहन करने को राज़ी होना पड़ता है, योजना की जाती है । सागर स्टेशन पर व्यस्त लेवल क्रासिंग को बदलने के लिये योजना को, यद्यपि इसको वर्ष १९५८-५९ के केन्द्रीय रेलवे के कार्य-क्रम में शामिल कर लिया गया था, इसलिये छोड़ना पड़ा कि राज्य सरकार द्वितीय योजना-काल में इस कार्य के लागत के अपने अंश को देने में असमर्थ थी । इस वर्ष सितम्बर, में मध्य प्रदेश सरकार ने, अन्य योजनाओं के साथ, तृतीय योजना में, यह बताये बिना कि वे किस वर्ष इस कार्य की लागत का अपना अंश दे सकेंगे, ६५६/६ मील पर कटनी-बीना सड़क पर सागर में ऊपरी पुल की योजना की सिफारिश की । अतः इस योजना की अग्रेतर प्रगति राज्य सरकार पर निर्भर है ।

रेल की पटरियों में आत्म-निर्भरता

†८९८. **पंडित ज्वा० प्र० ज्योतिषी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६२-६३ में रेलवे को कितने वजन की रेलवे पटरियों की आवश्यकता होगी ;

(ख) मांग को पूरा करने के लिये देश में कितनी मात्रा के उत्पादन किये जाने की आशा है ;

(ग) कमी को पूरा करने के लिये कितनी रेल की पटरियों का आयात किया जायेगा और उसकी क्या लागत है; और

(घ) इस बारे में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) वर्ष १९६२-६३ के लिये बैक-लोग को छोड़ कर रेलवे पटरियों की अनुमानित आवश्यकता लगभग ४.७५ लाख मीटरिक टन है ।

(ख) वर्ष १९६२-६३ में देशी उत्पादन लगभग २.५ लाख मीटरिक टन हो सकता है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ग) विदेशी मुद्रा उपलब्ध होने पर वर्तमान की तरह, लगभग २.५ लाख मीटरिक टन रेल की पटरियों का आयात किया जायेगा जिसका लागत और भाड़ा मूल्य लगभग १३ करोड़ रुपये है ।

(घ) रेल की पटरियों के उत्पादन में वृद्धि करने की व्यवस्था की जा रही है और यह आशा की जाती है कि वर्ष १९६४ तक आत्म-निर्भर हो जायेंगे ।

बी० आई० एस० एन० जहाज 'डरेसा' की क्षति

†८९९. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फारस की खाड़ी की ओर जाने वाला बी० आई० एस० एन० जहाज ४ नवम्बर, १९६१ को कराची में अमरीकी मालवाही जहाज 'प्रेसीडेंट आर्थर' से टकरा गया और उसके हल में पर्याप्त क्षति पहुंची; और

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना का क्या कारण है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** (क) जी हां ।

(ख) अभी मालूम नहीं है। यह दुर्घटना भारतीय सीमा के बाहरी जल प्रदेश में हुई थी और इस दुर्घटना की प्रारम्भिक जांच पाकिस्तान अधिकारियों ने की है। यह जहाज ब्रिटेन में पंजीकृत है।

पश्चिम रेलवे में माल गाड़ियों से चोरियां

†९००. **श्री मो० ब० ठाकुर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम रेलवे पर अहमदाबाद और आबू रोड रेलवे स्टेशनों के बीच मालगाड़ियों से प्रायः चोरियां हो जाती हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन चोरियों की कितनी घटनाएं हैं और इस सिलसिले में सन् १९५७ से कितना मुआवजा दिया गया है ;

(ग) इस बुराई को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है और रेलवे सुरक्षा बल ने इसमें क्या विशेष कार्य किया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री० सें० वें० रामस्वामी)**: जनवरी, १९५७ से अक्तूबर, १९६१ तक मालगाड़ियों से १२३ चोरी के मामलों की रिपोर्ट की गई। इनके लिये जो मुआवजे दिये गये हैं उनके पृथक आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। सामान्यतः चलती रेलगाड़ियों में चोरी के मामलों के लिये मुआवजे मंजूर नहीं किये जाते हैं ;

(ग) रेलवे सुरक्षा बल द्वारा निम्न कार्यवाही की गई हैं :

(१) प्रभावित सैक्शनों में रात्रि को गश्त लगाना;

(२) भरी हुई वैगनों की मूलभूत सुरक्षा व्यवस्था में सुधार करना जैसे वैगनों में बोल्ट को दृढ़ करना और दोहरा बोल्ट लगाना और महत्वपूर्ण स्थानों एवं सील चैक करने वाले स्टेशनों पर हानिग्रस्त गाड़ियों को विशेष रूप से चैक करना;

---

†मूल अंग्रेजी में

(३) चलती गाड़ी में जहां विशेष रूप से चोरियां होती हैं उन सीमित गाड़ियों के साथ सशस्त्र पहरा;

(४) प्रभावित क्षेत्रों में रेलवे सुरक्षावल के निरीक्षण अधिकारियों द्वारा निकट और लगातार निरीक्षण जिनमें रात्रि का चैकिंग भी सम्मिलित हैं;

(५) जिले के स्तर पर संबद्ध रेलवे अपराधियों और संगठित गिरोहों को समाप्त करने के लिये रेलवे और जिला पुलिस का सक्रिय सहयोग प्राप्त करना।

उत्तर कनारा जिले (मैसूर) में शरावती पुल

†९०१. **श्री जोकीम आल्वा** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य के उत्तर कनारा जिले में शरावती पुल के निर्माण के लिये भारत सरकार ने मैसूर सरकार को कितनी सहायता दी है; और

(ख) इस पुल के निर्माण कार्य की क्या प्रगति है?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) ७९.८३ लाख रुपये—यह परियोजना की पूरी लागत है।

(ख) भारत सरकार ने प्राक्कलन और योजना स्वीकार कर दी है। यह काम मैसूर लोक निर्माण विभाग करेगा। इस काम के लिये निम्नतम दर देने वाली फर्म से वह बातचीत कर रहे हैं। यह काम एक महीने में प्रारम्भ होने की आशा है।

केन्द्रीय सिंचाई और बिजली बोर्ड

†९०२. **श्री तंगामणि** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिंचाई और बिजली के केन्द्रीय बोर्ड की तैंतीसवीं वार्षिक मीटिंग १३ नवम्बर, १९६१ को नई दिल्ली में हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इसमें क्या निर्णय किये गये हैं;

(ग) क्या यह सच है कि सन् १९६१ की असफलताओं को ध्यान में रखते हुए, जिसमें नियंत्रित कावेरी नदी शामिल है, बोर्ड के अध्यक्ष ने बाढ़ जल विज्ञान के सम्बन्ध में हमारे विचारों में परिवर्तन का सुझाव दिया था; और

(घ) यदि हां, तो बाढ़ों को प्रभावमय ढंग से रोकने और नियंत्रण के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी हां।

(ख) विगत वार्षिक मीटिंग के पश्चात सरकार को बोर्ड की ओर से अभी तक कोई सिफारिशें प्राप्त नहीं हुई हैं। सिंचाई और बिजली का केन्द्रीय बोर्ड विशेषज्ञों की निकाय है; वह सीधे भारत सरकार के अधीन नहीं है। उनके विचार विमर्श और सिफारिशें प्राप्त होने पर उन पर विचार किया जायेगा।

(ग) जी हां।

(घ) लोक-सभा के पटल पर विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १४]**।

---

†मूल अंग्रेजी में

बाल पक्षाघात

†९०३. **श्री तंगामणि** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाल पक्षाघात की चिकित्सा की सहायता के लिये अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस सहायता का क्या स्वरूप है ;

(ग) क्या सोवियत रूस द्वारा कुछ विशिष्ट दवा का विकास किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार इस परिज्ञान का उपयोग किस प्रकार कर रही है?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)**: (क) जी हां।

(ख) इस रोग के इलाज के बारे में चिकित्सा परामर्श किया गया था।

(ग) जहां तक सरकार को मालूम है कि इस रोग के निदान के लिये सोवियत रूस ने किसी विशेष चिकित्सा की खोज नहीं की है।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

पंजाब के पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों का विकास

†९०४. **श्री हेम राज** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तृतीय पंचवर्षीय योजना में सड़कों के निर्माण के लिये पंजाब सरकार को कितनी रकम देने का विचार है तथा उन सड़कों के क्या नाम हैं जहां यह रकम प्रयुक्त की जायेगी ; और

(ख) पंजाब के पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों के विकास के लिये अभी तक पंजाब सरकार को कितनी रकम दी गई है?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) केन्द्रीय सड़क निधि (सामान्य) रक्षित से सोलह लाख रुपये। जिन सड़कों के लिये पंजाब सरकार इस रकम का उपयोग करेगी उनके नाम बताने वाला विवरण संलग्न है। इन प्रस्तावों की अभी जांच की जा रही है।

(ख) वर्तमान योजना प्रारम्भ होने के पश्चात् पंजाब सरकार को अभी कोई रकम यथार्थतः नहीं दी गई है।

विवरण

क्रम संख्या	सड़क परियोजना का नाम
१.	हिसार जिले में डाबरी होकर भदरा से बाल समंद तक सड़क का निर्माण
२.	कांगड़ा जिले में आहजू से बीरखा चाय बागान (डिस्ट्रिक्ट सीमा तक) तक सड़क का निर्माण
३.	फीरोजपुर जिले में फाजिल्का से हिन्दू मलकोट तक सड़क का निर्माण
४.	हिसार जिले में जमाल होकर नोहर--छिफना--सिरसा--लुडेसर से बोर्डर (सीमा) तक सड़क का निर्माण
५.	मोहिन्द्रगढ़ जिले में नांगल चौधरी से बुधवाल तक सड़क का निर्माण

†मूल अंग्रेज़ी में

पठानकोट जवानवाला रेल लाइन

†९०५. **श्री हेम राज :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब सरकार जवान वाला शहर (कांगड़ा जिले) में सीमेंट फैक्टरी की स्थापना के लिये प्राइवेट फर्म के साथ सम्पर्क कर रही है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि पंजाब सरकार ने केन्द्रीय सरकार से पठानकोट से जबानवाला शहर तक छोटी गाड़ी को बदलने का अनुरोध किया है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार इस विषय में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) पठानकोट--जोगेन्द्रनगर छोटा गाड़ी सैक्शन पर जबानवाला शहर में सीमेंट फैक्टरी स्थापित करने के बारे में भारत सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है । किन्तु उसी छोटी गाड़ी पर समलोटी में एक प्राइवेट फर्म द्वारा सीमेंट फैक्टरी की स्थापना के प्रस्ताव पर विचार किया जा गया था किन्तु छोटी गाड़ी सैक्शन पर यातायात को जोड़ने में कठिनाई को दृष्टिगत करते हुए यह बात स्वीकार नहीं की गई ।

(ख) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

रेल गाड़ी में प्रधानाध्यापिका की हत्या

†९०६. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २२ नवम्बर, १९५८ को होशियारपुर--जालंधर सैक्शन पर प्रधानाध्यापिका सुरजीत कौर की मृत्यु के सम्बन्धित अपराधियों का पुलिस ने पता लगा लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

स्थगन प्रस्ताव

पाकिस्तानी सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा भारतीय अधिकारियों को परेशान किया जाना

†**अध्यक्ष महोदय :** मुझे दो स्थगन प्रस्तावों की सूचना मिली है । उन में से एक स० मो० बनर्जी और श्री तंगामणि द्वारा दिया गया है और दूसरा श्री बाजपेयी द्वारा । ये दोनों एक ही विषय पर हैं। विषय इस प्रकार है:

> "पाकिस्तानी सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा दरसाना चौकी पर भारतीय अधिकारियों के एक दल को जो बेरूबाडी क्षेत्र संबंधी आंकड़े आदि प्राप्त कर लौट रहा था, परेशान किये जाने की घटना पर चर्चा करने की तत्काल आवश्यकता है। यह भी कहा गया है कि कुछ महत्वपूर्ण कागजात छीन लिये गये ।"

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैदेशिक कार्य उप-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त जानकारी से पता चला है कि पश्चिम बंगाल के भू-अभिलेख और सर्वेक्षण निदेशालय के दो अधिकारी ९ नवम्बर, १९६१ को बेरूबाड़ी यूनियन १२ से संबंधित भू-अभिलेख के मूल खंडों से कुछ जानकारी की प्रतिलिपि तैयार कर जिस समय पूर्व पाकिस्तान से लौटे रहे थे, उन्हें पाकिस्तान की दरसाना चौकी पर रोक लिया गया ।

अधिकारियों के निजी सामान की और उन के पास जो अधिकृत नक्शे और दस्तावेज थे उन की छानबीन की गई । बाद में इन अधिकारियों को जाने दिया गया किन्तु उन्होंने यह पाया कि उन के पास के कुछ दस्तावेज गुम हैं।

अनुमान है कि ये खोये हुए दस्तावेजों में वे प्रतिलिपियां शामिल हैं जिन्हें पश्चिम बंगाल की सरकार ने बेरूबाड़ी यूनियन १२ में संबंधित भूमि अभिलेख की मूल पुस्तक से लिया गया था । उन में से एक अधिकारी कम्प्यूटरी है और दूसरा ड्राफ्टस्मैन ।

इस घटना की जानकारी प्राप्त होने पर पश्चिम बंगाल के भू-अभिलेख और सर्वेक्षण के निदेशक ने पाकिस्तान के इस विभाग के निदेशक को एक पत्र लिखकर इस तलाशी के प्रति सख्त विरोध व्यक्त किया । यह स्पष्ट किया गया कि इन बातों की पुनरावृति के गम्भीर परिणाम होंगे ।

पश्चिम बंगाल के भू-राजस्व और सर्वेक्षण विभाग के निदेशक बेरूबाड़ी में भारत — पाकिस्तान सीमांकन से संबंधित टैक्नीकल ब्योरे के संबंध में बातचीत करने ढाका गये हैं । वहां वह इस मामले के बारे में ढाका स्थिति पाकिस्तानी अधिकारियों से अग्रेतर पूछताछ करेंगे ।

पश्चिम बंगाल की सरकार इस घटना के बारे में पूर्व पाकिस्तान की सरकार को एक कड़ा विरोध पत्र भेज रही है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर)** : सरकार ने इस मामले के उपरांत क्या कार्यवाही की है ? क्या सरकार इस घटना के बाद भी बेरूबाड़ी के हस्तान्तरण पर विचार कर रही है ।

†**श्री बाजपेयी (बलरामपुर)** : जब भारतीय अधिकारियों से महत्वपूर्ण कागजात छीन ही लिये गये हैं तब भला बातचीत किस आधार पर की जायेगी।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मेरे सहयोगी से जो भी जानकारी हमें उपलब्ध है, वह दे दी है । इस के अतिरिक्त हमें कोई जानकारी नहीं है ।

ये घटनायें दुर्भाग्यपूर्ण और अवांछनीय हैं । इस में संदेह नहीं है । पश्चिम बंगाल सरकार और भारत सरकार भी पाकिस्तानी अधिकारियों के दुर्व्यवहार के बारे में उचित अग्रेतर कार्यवाही करेगी । किन्तु हमने संसद् में बेरूबाड़ी के बारे में जो निर्णय किये हुए हैं उन से उसका कोई संबंध नहीं है । जहां तक इसका संबंध है कुछ क्षेत्र हमें हस्तान्तरित किये जाने थे और कुछ हमें उन्हें हस्तांतरित करने थे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

जहां तक कागजातों की अनुपस्थिति में वार्ता चलने का संबंध है वह निश्चित रूप से चल सकती है। सीमांकन का संबंध दो सरकारों की सहमति पर निर्भर है। इसके लि कागज इतने अनिवार्य नहीं हैं। सहमति अन्य कई बातों पर निर्भर करती है।

संसद के अधिनियम से यह निश्चित किया गया है कि किसी विशेष दिशा में आधा आधा सीमांकन होना चाहिये। इस के लिये उसी स्थल पर निर्णय किया जा सकता है। अतः यह सीमांकन केवल कागजातों पर ही आधारित नहीं है। कागज पत्रों से यह बात निश्चय से ज्ञात हो सकती है कि उपयुक्त स्थान क्या हो सकता है। तथापि अंतिम निर्णय दोनों सरकारें ही करेंगी।

†**श्री नाथ पाई (राजापुर)**। क्या इस अवांछनीय घटना का विरोध करने के लिये यह उचित नहीं होगा कि हम उस वार्ता को तब तक के लिये स्थगित कर देवें जब तक कि वे कागज हमें लौटा नहीं दिये जाते हैं।

†**श्री हेम बरुआ (गौहाटी)** : जब कि खोये हुए कागज ही सीमांकन से संबंधित हैं, तब प्रधान मंत्री किस प्रकार कह सकते हैं कि वे कागज अनिवार्य नहीं हैं?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : हमें यह जानकारी आज प्रातःकाल फोन से ज्ञात हुई है। यदि यह अपूर्ण है तो हम विस्तृत जानकारी मंगाने का प्रयत्न कर सकते हैं।

†**श्री ब्रज राज सिंह (फिरोजाबाद)** : आश्चर्य है कि यह दुर्घटना ९ तारीख को हुई और आज २९ तारीख हैं। तथापि जब तक यह स्थगन प्रस्ताव नहीं रखा गया तब तक कोई जानकारी नहीं मांगी गयी। यह हमारे कर्मचारियों का अपमान है। हमें पाकिस्तान सरकार से इसका विरोध प्रगट करना था तथापि पश्चिम बंगाल सरकार से विरोध करने को कहा गया।

†**श्री जवाहर लाल नेहरू** : पश्चिम बंगाल सरकार स मामले को सीधे ले रही है। आज भी वहां के भू-अभिलेख और सर्वेक्षण के निदेशक ढाका में हैं और वे इस मामले के संबंध में कार्यवाही कर रहे हैं।

†**श्री त्यागी (देहरादून)** : मैं यह जानना चाहता हूं कि जब्त किये अभिलेख पाकिस्तान की सरकार के थे या भारत की सरकार के?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : वे हमारे अधिकारियों द्वारा पाकिस्तानी अभिलेखों से ली गई प्रतिलिपि थीं। निसंदेह उन पत्रों का संबंध सीमांकन से था तथापि वह उसके लिये अनिवार्य नहीं थे। यह सीमांकन दो पक्षों की सहमति से भी हो सकता है। उदाहरणार्थ किसी गांव को दो भागों में विभाजित कर के हम अन्तर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बना सकते हैं। अतः ऐसा करने में इन सभी बातों का ध्यान रखना होता है।

†**श्री वाजपेयी** : यदि भारतीय अधिकारियों से इस प्रकार का व्यवहार किया जाता रहेगा तो यह संयुक्त सर्वेक्षण किस प्रकार चल सकता है?

†**श्री त्यागी** : स्थगन प्रस्ताव केवल उसी मामले पर रखा जाता है जो कि अभी हाल हुआ हो और अविलम्बनीय हो। तथापि जहां तक इस मामले का प्रश्न है यह

---

†मूल अंग्रेजी में

मामला एक अधिनियम को क्रियान्वित रखने से संबंध रखता है । अतः यह एक निरन्तर रूप से चलने वाला मामला है उसी के सिलसिले में एक दुर्घटना हो गई है ।

†**श्री वाजपेयी :** मेरे विचार से छोटे और बड़े अधिकारियों के बीच विभेद नहीं किया जाना चाहिये । क्योंकि ज्येष्ठ अधिकारी के अन्तर्गत होने से कोई मामला बड़ा नहीं हो जाता है ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मेरे विचार से इस संबंध में इतना क्रुद्ध होने का कोई कारण नहीं है । मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि एक अधिकारी, अधिकारी है भले ही निदेशक हो या चपरासी । किसी व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जाना चाहिये । सच्चाई यह है कि एक कम्प्यूटर और एक ड्राफ्टसमैन की तलाशी ली गयी और उन्हें बाद में पता चला कि उन के कुछ कागजों का पता नहीं चल रहा है । उन्होंने विरोध प्रदर्शित किया । पश्चिम बंगाल सरकार ने इस मामले को तत्काल अपने हाथ में लिया और अब वह पश्चिम बंगाल सरकार के ज्येष्ठ अधिकारी स्वयं वहां मौजूद हैं। इस प्रकार पश्चिम बंगाल की सरकार इस मामले में सभी उचित कार्यवाही कर रही है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** यदि संसद के एक अधिनियम को क्रियान्वित करने में हमारे अधिकारियों को काम नहीं करने दिया जा रहा है तो यह पुराना मामला नहीं अपितु बहुत गंभीर मामला है । प्रश्न यह नहीं है कि मसविदे इत्यादि महत्वपूर्ण हैं या नहीं हमें यह देखना है कि हम किस प्रकार संसद के अधिनियम को किस प्रकार क्रियान्वित कर रहे हैं। यदि दूसरा पक्ष इस प्रकार का व्यवहार करता हो तो यह बहुत विचित्र बात है ।

निसंदेह इस संबंध में पश्चिम बंगाल सरकार वह सभी कुछ कर रही है जो किया जाना चाहिये । इस संबंध में सभा के सदस्यों ने जो दिलचस्पी दिखायी है उस से मुझे विश्वास है कि प्रधान मंत्री इस बात का प्रयत्न करेंगे कि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने पावे । अतः इस संबंध में कुछ अधिक करने की आवश्यकता नहीं है । अतः स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी जा सकती है ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

भारतीय टेलीग्राफ निगम और भारतीय टेलीफोन उद्योग लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) :** मैं निम्नलिखित पत्रों की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(१) भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, १८८५ की धारा ७ की उप-धारा (५) के अन्तर्गत दिनांक ४ नवम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३५१ में प्रकाशित भारतीय टेलीग्राफ (ग्यारहवां संशोधन) नियम, १९६१ की एक प्रति ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ३३६०/६१]

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) कम्पनीज अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९—क की उप-धारा (१) के अन्तर्गत इंडियन टेलोफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड के वर्ष १९६०—६१ के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति लेखापरीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महा-लेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० ३३५८/६१]

दिल्ली मोटर गाड़ी नियमों में संशोधन

†डा० प० सुब्बरायन : मैं निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) मोटर गाड़ी अधिनियम, १९३९ की धारा १३३ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिल्ली मोटर गाड़ी नियम, १९४० में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक १ जून, १९६१ के दिल्ली गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एफ—१२/५७/६०—ट्रांसपोर्ट की एक प्रति ।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० ३२२६/६१]

(२) मोटर गाड़ी अधिनियम, १९३९ की धारा १३३ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक ३० अगस्त, १९६१ के अन्देमान और निकोबर गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या १७३/एफ० ६८—१२०/६०—पब, जिसमें अन्देमान और निकोबर द्वीप समूह (सरकारी गाड़ियों के कंडक्टरों को लाइसेंस देना) नियम, १९६१ दिये हुये हैं ।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० ३३६१/६१)

(ख) मनीपुर मोटर गाड़ी नियम, १९५१ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक ५ सितम्बर, १९६१ के मनीपुर गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या २५/२०/६१—१ (टीपीटी) ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या ३३६२/६१]

राज्य सभा से संदेश

सचिव : मुझे सभा को यह बताना है कि मुझे राज्य सभा के सचिव से संदेश मिला है कि लोक-सभा द्वारा २८ सितम्बर, १९६१ को पारित जमाधन बीमा निगम विधेयक, १९६१ को राज्य सभा ने अपनी २७ नवम्बर, १९६१ की बैठक में बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

तारांकित प्रश्न संख्या ११२८ के उत्तर में शुद्धि

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** :१–९–१९६१ को श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी के अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर के सम्बन्ध में मैंने कहा था कि हमने राज्य सरकारों से यह कहा है कि रोयल कमीशन की तरह का एक आयोग नियुक्त किया जाये। यह आयोग कृषि उत्पादन में वृद्धि के सभी मामलों पर तथा कृषि की प्रगति पर विचार करे। हमने राज्यों से यह पूछा था कि क्या वे इस प्रकार की जांच करने को तैयार हैं। मैंने यह भी कहा था कि राज्यों को सही निर्देश पद नहीं दिये जा सके।

सही स्थिति यह है कि राज्य सरकारों को यह संकेत दिया गया था कि निर्देश पद व्यापक और सम्पूर्ण होंगे उनसे यह पूछा गया था कि उनकी राय में आयोग के निर्देश पद क्या होने चाहियें। राज्यों ने आयोग के निर्देश पदों में जिन मदों को सम्मिलित करने को लिखा था उनकी एक प्रति सभा पटल पर रखी जाती है।

विवरण

१. भूमि के उपयोगों के सभी पहलू।

२. भूमि परिरक्षण।

३. जल स्रोतों का विकास।

४. फसल चरागाहों और पशुओं के बारे में अनुसंधान का समन्वय तथा अनुसंधानों के परिणामों को किसानों तक पहुंचाना।

५. उपयुक्त टैक्नीकल व्यक्तियों की प्राप्ति के लिये सभी स्तरों पर कृषि शिक्षा।

६. ग्रामीण समृद्धि अच्छी फस्लों तथा पशु पालन की वृद्धि के लिये संघ राज्य जिला खंड और पंचायत स्तर पर प्रशासन का भाग।

७. अनुसंधान शिक्षा और विस्तार सेवाओं का विभिन्न स्तरों पर प्रशासनिक गठन तथा उनके बीच उपयुक्त कर्मचारियों और टैक्नीकल समन्वय का होना।

८. फस्ल तथा पशु उत्पादन के लिये वित्तीय अथवा ऋण व्यवस्था।

९. कृषि उत्पाद का भांडागार, बिक्री, परिवहन और मूल्य व्यवस्था।

१०. बीज, खाद, उर्वरक, औजार, पौदा संरक्षण सहायता, नस्ल सुधार पशुओं का संभरण।

११. संतुलित कृषि अर्थव्यवस्था के लिये जिसमें सम्मिलित खेती भी शामिल है के लिये आवश्यक साधन।

१२. भूमि सुधार और विधान

१३. कई खाद्य और अखाद्य फस्लों के उत्पादन लक्ष्य।

१४. खाद्यान्नों का राज्य व्यापार।

१५. अन्तराष्ट्रीय वस्तु समझौते।

---

†मूल अंग्रेजी में

१६. कृषि तथा गहन खेती का यंत्रीकरण ।

१७. कृषकों को सहायक रोजगार देना ।

१८. उर्वरक आवश्यकता का अध्ययन ।

१९. बंजर भूमि का सर्वेक्षण ।

२०. गांवों का वन रक्षण ।

२१. चरागाह की सुविधायें ।

२२. रुई केलाममर मूल्य ।

२३. पशु पालन का स्थान ।

२४. कृषि सम्बन्धी आंकड़े ।

कर्नल भट्टाचार्य की दोष-सिद्धि और कारावास के बारे में चर्चा

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : कर्नल भट्टाचार्य को पाकिस्तानी ४ अप्रैल, १९६१ को हमारे क्षेत्र से जबरदस्ती ले गये हैं और उन्हें कारावास में डाल दिया है। वहां एक विशेष मिलीटरी ट्रिब्यूनल (सैनिक न्यायाधिकरण) द्वारा उन्हें दिये गये दंड से हमारे लाखों देशवासियों को दुःख और रोष हुआ है।

भारत सरकार ने कर्नल भट्टाचार्य के मामले पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है। सरकार कर्नल भट्टाचार्य की स्थिति के बारे में परस्पर विरोधी वक्तव्य देती रही है। एक बार यह बताया गया कि कर्नल भट्टाचार्य सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। बाद में इस वक्तव्य को ठीक किया गया। समझ में नहीं आता कि गत १६ अगस्त को सभा को गलत जानकारी क्यों दी गई।

देश को यह आशंका है कि कहीं कर्नल भट्टाचार्य की वही हालत न हो जोकि भारतीय मछुओं की हुई थी। उन्हें वहां बहुत निर्दयता से पीटा गया।

इस समय हम पाकिस्तान से कह सकते हैं कि वह कर्नल भट्टाचार्य को हमें वापस कर दे। हम देखते हैं कि हमारी सरकार का रुख इस मामले में निराश व्यक्ति सरीखा है। मेरा तो यही निवेदन है कि हमें अपना बर्ताव कठोर करना चाहिये। हमें भरसक इस बात का प्रयत्न करना चाहिये कि कर्नल भट्टाचार्य को छुड़ाया जाये। उन पर जासूसी का आरोप लगाया गया था लेकिन वह आरोप सिद्ध नहीं हो सका तो फिर यह दंड किस बात का। देश में यह आशंका व्याप्त है कि कर्नल भट्टाचार्य की पाकिस्तान में कहीं वही हालत न हो जो पहले भारतीय मछुओं की हुई थी। सरकार को इस मामले को उच्चतम स्तर पर उठाना चाहिये। उसे कड़ा रुख अपनाना चाहिये। यह जो लाचारी का रुख है वह न रहे। पाकिस्तान को बता दिया जाये कि यदि वह दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों का विकास चाहता है तो उसे कर्नल भट्टाचार्य को तुरंत रिहा कर देना चाहिये। अब हमारे सामने प्रश्न यह है कि क्या हमें इस न्यायाधिकरण के फैसले को मानना चाहिये अथवा नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री इन्द्रजीत गुप्त (कलकत्ता--दक्षिण पश्चिम) : आज कर्नल भट्टाचार्य पाकिस्तान की जेल में यातना पा रहे हैं। मालूम नहीं कि पाकिस्तान के किस स्थान पर वह बन्दी हैं। उन पर चलाया गया मुकद्दमा न्याय की विडम्बना है। मामले की सारी कार्यवाही बन्द कमरे में हुई और उसमें सफाई पक्ष के गवाहों को भाग नहीं लेने दिया गया। हम कर्नल भट्टाचार्य पर चलाये गये मुकद्दमें को मान्यता न दें तब भी हमें यह तथ्य स्वीकार करना पड़ेगा कि उन्हें पाकिस्तान के 'ट्रिब्यूनल' ने सजा दी है। इसके सिवा कोई चारा नहीं है। हम तथ्य से मुंह नहीं मोड़ सकते।

अब हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं उनकी सहायता के लिये वे सभी उपाय अपनाये जायेंगे जो कि आज हमारे लिये खुले हुये हैं। पाकिस्तान के साथ इस आशय का करार किया गया है कि जब कभी इस प्रकार की घटनाएं हो तो दोनों दल संयुक्त प्रतिवेदन तैयार करेंगे। हम जानना चाहते हैं कि क्या इस मामले में उस विशिष्ट उपबन्ध की ओर पाकिस्तानी अधिकारियों का ध्यान दिलाया गया था। जहां तक हमारी जानकारी है ऐसा नहीं किया गया। हम यह भी जानना चाहते हैं कि हिन्दुस्तान तथा पाकिस्तान की सीमा पर सुरक्षा के लिये क्या किया गया है। एक प्रश्न के उत्तर में सरकार ने जो सूचना सभा पटल पर रखी है उससे प्रकट हुआ है कि मार्च, १९६१ से जुलाई, १९६१ तक ७० से ७५ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनमें पाकिस्तानियों ने किसी न किसी बहाने से हमारी सीमा का अतिक्रमण किया है। लेकिन उनको इसके लिये कोई चुनौती आदि नहीं दी गई है। इससे तो यह स्पष्ट है कि उनका अतिक्रमण और भी ज़ोर पकड़ेगा। कर्नल भट्टाचार्य का ही मामला लीजिये। सरकारी समाचारों के आधार पर पता चलता है कि जब वह भारतीय सीमा में सीमा सम्बन्धी स्थानों का अध्ययन कर रहे थे तो कुछ पाकिस्तानी सशस्त्र वहां घुस आये और उन्हें पकड़ कर ले गये। उन पर वहां जासूसी का आरोप लगाया गया। जब कभी यहां यह मामला उठाया गया तो प्रधान मंत्री ने कुछ ऐसा उत्तर दिया मानों वह इस मामले को बहुत ही संकुचित अथवा टेक्निकल रूप में ही देख रहे हों। इससे पूर्व भी कई व्यक्तियों पर इसी प्रकार के आरोप लगाये गये हैं। अतः आवश्यकता इस बात की है कि हम अपना दृष्टिकोण बदलें और इस मामले में कोई उचित कार्यवाही करें। भट्टाचार्य कहां हैं, कैसे हैं, किस जेल में हैं, कुछ पता नहीं, उनसे वहां कोई मिल तक नहीं सकता।

[पंडित ठाकुरदास भार्गव पीठासीन हुये]

पाकिस्तान के 'ट्रिब्यूनल" ने कर्नल भट्टाचार्य को जासूसी का अपराधी नहीं पाया है। पाकिस्तान के साथ हमारी लड़ाई भी नहीं है तो कर्नल भट्टाचार्य को इतनी कड़ी सजा देने का क्या कारण है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस सारे मामले के पीछे पाकिस्तान का कोई राजनैतिक उद्देश्य है। वह भारत को बदनाम करना चाहते हैं और साथ ही अपने मित्रों से अधिकाधिक शस्त्रास्त्र सहायता प्राप्त करना चाहता है। सरकार आश्वासन दे कि इस कड़ी सजा के विरुद्ध अपील करने के लिये कर्नल भट्टाचार्य को यथाशक्य पूरी सहायता दी जायेगी। सरकार यह आश्वासन भी दे कि कर्नल भट्टाचार्य के रिहा किये जाने तक उनके परिवार को उनका पूरा वेतन मिलता रहेगा। यह प्रसन्नता की बात है कि केन्द्रीय सरकार ने अपने स्तर पर कर्नल भट्टाचार्य को रिहा करने की बात शुरू की है।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रधान मंत्री को मैं एक सुझाव दूंगा। चाहे वे उसे माने अथवा न मानें। मेरा निवेदन है कि कर्नल भट्टाचार्य के अपहरण के बाद कुछ पाकिस्तानियों को हमारे क्षेत्र में अवैध प्रवेश के लिये गिरफ्तार किया गया है। जब तक पाकिस्तानी अधिकारी कर्नल भट्टाचार्य को रिहा न करें तब तक इन पाकिस्तानियों को रिहा न किया जाये। कर्नल भट्टाचार्य निर्दोष हैं; हमें उनकी सजा घटाने पर नहीं वरन् उनकी रिहाई पर जोर देना चाहिये। राष्ट्र संघ या किसी विदेश शक्ति के तथाकथित प्रभाव को काम में लाने का विचार त्याग दिया जाये।

†**श्री नाथ पाई** (राजापुर): कर्नल भट्टाचार्य को तुरंत ही रिहा कराना चाहिये। पाकिस्थानी अधिकारियों ने तथाकथित मुकद्दमा चलने से पहले ही कर्नल भट्टाचार्य को सजा देने का निश्चय कर लिया था। जासूसी करने के उद्देश्य से पाकिस्तानी क्षेत्र में उनके प्रवेश करने का आरोप जितना बेहूदा है उतना झूठ भी है। यही कारण है कि पाकिस्तानी ट्रिब्यूनल ने कर्नल भट्टाचार्य पर लगाये गये जासूसी आरोप को वापस ले लिया। कर्नल भट्टाचार्य को महीनों तक सवालों के जवाब देने पड़े हैं। तथाकथित मुकद्दमा एक नाटक मात्र है। उनको अंतिम दिन तक चार्जशीट नहीं दी गई। इस प्रश्न के बारे में भारत सरकार का रुख सदा अनिश्चित रहा है। भारत सरकार के इस रुख से पाकिस्तानियों की यह धारणा बन गई है हम इस मामले को विशेष महत्व नहीं देते। यदि इस मामले में सरकार ने कड़ा रुख अपनाया होता तो स्थिति इतनी न बिगड़ती।

इस सारी घटना से हमारी प्रतिरक्षा व्यवस्था के बारे में एक महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न होता है। पाकिस्तानी, चीनी, और पुर्तगाली हमारी प्रभुता का बार बार अतिक्रमण कर रहे हैं। हम यह आश्वासन चाहते हैं कि हमारी सशस्त्र सेनाएं किसी भी परिस्थिति में देश के सम्मान की रक्षा करेंगी। यदि हम कर्नल भट्टाचार्य को तुरन्त रिहा न करा सके तो हमारी सेनाओं का मनोबल कम हो सकता है। कर्नल भट्टाचार्य के मामले ने हमारे सामने एक प्रश्न यह खड़ा कर दिया है कि हमारी प्रतिरक्षा की स्थिति क्या है। हमें यह भरसक प्रयत्न करना चाहिये कि कर्नल भट्टाचार्य को किसी न किसी प्रकार रिहा करा लेना चाहिये। उनको छुड़ाते समय हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि यह हमारी प्रतिष्ठा का प्रश्न है। हमको अपनी गरिमा का ध्यान रखना होगा। हम उन से कोई भीख नहीं मांग रहे बल्कि अपने अस्तित्व, अपनी शक्ति के आधार पर उनको छुड़ाना होगा।

पाकिस्तान हमें हानि पहुंचाता जा रहा है और हम विभिन्न करारों के मुताबिक विशाल धनराशि उसे अदा करते जा रहे हैं। क्यों? हमें पाकिस्तान को चेतावनी देनी चाहिये।

यह तो ठीक है कि हमें पिछले करारों का सम्मान करना चाहिये, परन्तु पाकिस्तान को यह भी तो बताया जाना चाहिये कि आपसदारी और पड़ौसीपन का व्यवहार दोनों ओर से ही होने पर बना रह सकता है। हमारे अधिकारियों के साथ ऐसा अपमानजनक बर्ताव करना कहां का पड़ौसीपन है?

क्या हम पाकिस्तान से यह कहने के लिये तैयार हैं कि यह मामला हामारे सम्मान और हमारी प्रतिष्ठा का सवाल है? क्या हम में इतना साहस है?

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नाथ पाई]

हमें ऐसा प्रबन्ध करना चाहिये कर्नल भट्टाचार्य की कहानी फिर न दोहराई जा सके। देश की सीमाओं की सुरक्षा का भार सचमुच ही क्षमताशील लोगों के हाथ में सौंपना चाहिये और उनको स्वयंविवेक से काम करने की आज्ञा दी जानी चाहिये।

†**श्री बलराज मधोक** (नई दिल्ली) : मेरे पूर्व वक्ताओं ने इस प्रश्न के तथ्यपूर्ण और वैज्ञानिक पक्ष के सम्बन्ध में बहुत कुछ कह दिया है। इसलिये मैं उसके एक दूसरे ही पक्ष को लेता हूं।

हमारे देश को स्वतंत्र हुए १५ वर्ष हो चुके हैं। पाकिस्तान तभी से, आरम्भ से ही हमलावराना और धोखा-धड़ी की नीति पर चलता आया है। लगता यह है कि देश के सत्ताधारियों ने पाकिस्तान की चालबाजीभरी नीति को पूरी तरह नहीं समझा है।

पंजाब में एक कहावत है : "अग्गा शेर दा, पिछ्छा गिदड़ दा"।

यदि आप उनका भ्रम दूर न करें तो दोनों आपको डराते-धमकाते चले जायेंगे। कर्नल भट्टाचार्य की घटना एक नहीं है। पाकिस्तान लगातार यही करता रहा है।

पिछले पन्द्रह वर्ष से वह हमें अपना शत्रु मान कर चला है। पाकिस्तान जानता है कि भारत से उसकी शत्रुता ही उसका जीवनाधार है ; यदि वह समाप्त हो जाये तो उसका अस्तित्व ही नहीं रह सकता।

इसलिये पाकिस्तान जब तक रहेगा, हमारा शत्रु बना रहेगा।

पाकिस्तान ने अपनी साम्प्रदायिक समस्या इस तरह हल की है कि पश्चिमी पाकिस्तान से सभी हिन्दू निकाल दिये गये हैं। और पूर्वी पाकिस्तान के १ करोड़ ३० लाख हिन्दुओं में से ५० लाख को निकाल दिया गया है। जो बचे हैं, उनका भविष्य अंधकारमय है।

हम अपने यहां के मुसलमानों के साथ भला बर्ताव करते हैं। हम उनको समान नागरिक मानते हैं।

पाकिस्तान बनाया इसलिये गया था कि साम्प्रदायिक समस्या हल हो। लेकिन उसने अपने यहां की साम्प्रदायिक समस्या को खतम ही कर दिया है। हमारे साथ जितने भी करार उसने किये थे, सभी को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। पर हम हैं कि पाकिस्तान को सहलाते ही चले जा रहे हैं।

अब अयूब खां फिर से धमकी देने लगे हैं। उन्होंने आजाद काश्मीर को स्वतंत्र राज्य घोषित करने की ठान ली है और भारत पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं।

दुनिया में कोई और भी ऐसा देश है जिसकी सीमाओं का इतनी बार अतिक्रमण होता रहता हो ?

पाकिस्तान हमारे देश में षडयंत्रों का जाल फैलाता चला जा रहा है, और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। हम पाकिस्तान के साथ अपने करार पूरे करते चले जा रहे हैं। परन्तु पाकिस्तान हमारे अधिकारियों को जबरन पकड़ कर ले जाता है। यदि हमारे अधिकारी करार के मुताबिक भारत और पूर्वी पाकिस्तान का सीमांकन करने के सिलसिले में वहां

---

†मूल अंग्रेजी में

जाते हैं, तो उनको गिरफ्तार करा लिया जाता है। और आप उस पर यदि चुप्पी साधते हैं, तो स्पष्ट अर्थ यही है कि गलती आप मानते हैं, हां दंड कुछ ज्यादा सख्त दिया गया है।

यह दृष्टिकोण उचित नहीं है। हमें भट्टाचार्य के मामले को अधिक व्यापक दृष्टिकोण से देखना चाहिये। पाकिस्तान में सद्भाव जगाने की कोशिश करते जाना व्यर्थ है।

हमें पाकिस्तान को वस्तुओं का संभरण करना रोक देना चाहिये। जब तक कर्नल भट्टाचार्य को रिहा न किया जाये, हमें कोई भी संभरण नहीं करना चाहिये।

तीसरी चीज यह कि हमें अपनी सीमाओं की रक्षा के लिये मुस्तैदी से डट जाना चाहिये।

†**श्री अन्सार हरवानी** (फतेहपुर) : यदि श्री नाथ पाई की बात सही मान ली जाये, तो उससे यह निष्कर्ष निकलेगा कि पाकिस्तान और चीन के साथ मिलने वाली भारतीय सीमा नितान्त अरक्षित है, उसकी सुरक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं है। बात गलत है। हमें भावुकता में नहीं बहना चाहिये।

पाकिस्तान और भारत का विभाजन एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। हम अच्छे सम्बन्धों की आशा लगाये थे। परन्तु पाकिस्तान के शासक हमेशा एक ऐसे गुट के लोग रहे हैं जो वैमनस्य बढ़ाना चाहते हैं, घटाना नहीं।

पाकिस्तान के शासक हमको घूंसा दिखाने की नीति पर चलते हैं। कर्नल भट्टाचार्य जैसी अनेक शर्मनाक घटनायें हो चुकी हैं।

फिर भी मैं यह नहीं मानता कि भावुक होने से कुछ हासिल हो सकता है। सरकार को कमजोर और सीमाओं को अरक्षित करने से कोई लाभ नहीं होगा। हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि हमारे देश की बागडोर पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथ है, जो बड़े से बड़े शत्रु भी तर्क से अपनी बात मानने पर विवश करने और सह-अस्तित्व बनाये रखने में विश्वास करते हैं।

इस चर्चा से पाकिस्तान की जनता को पता चल जायेगा कि हमारे देश का हर इंसान कर्नल भट्टाचार्य के पीछे है। कर्नल भट्टाचार्य को रिहा कर के, वह सारे देश को प्रसन्न कर सकता है।

लेकिन जनता में ऐसी भावना फैलाना घातक होगा कि हमारी सरकार देश की सीमाओं की रक्षा की ओर बिलकुल ध्यान नहीं दे रही है।

कर्नल भट्टाचार्य की घटना से पता चलता है कि पाकिस्तान में अंधेर है, सैनिक गुट का शासन है। पाकिस्तान की जनता की बात सुनी तक नहीं जाती। हमें वहां की जनता की दुर्दशा देख कर हार्दिक दुःख है।

मैं कर्नल भट्टाचार्य का समर्थन करता हूं। म पाकिस्तान की जनता को सन्देश भेजना चाहता हूं कि उनको अपने देश के शासकों की गलती सुधारनी चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अन्सार हरवानी]

सरकार ने इस सम्बन्ध में जो किया है, मैं उसके लिये बधाई देता हूं । हमें पूर्ण विश्वास है कि सरकार देश की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिये हर प्रयास करेगी ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

†**श्री अरविंद घोषाल** (उलुबेरिया) : कर्नल भट्टाचार्य के मामले में, मैं श्री अन्सार हरवानी की तरह, सरकार को बधाई नहीं दे सकता । सरकार ने इसमें बड़ी हिचक दिखाई है ।

सरकार ने शुरू से अपना रवैया बड़ा ढुलमुल रखा है । तब एक प्रश्न के उत्तर में कहा गया था कि अभी कर्नल भट्टाचार्य का मुकदमा चल रहा है, इसलिये कोई प्रश्न नहीं पूछा जाना चाहिये । सरकार ने राजनयिक स्तर पर भी कुछ नहीं किया । और कर्नल भट्टाचार्य को ८ वर्ष की सजा सुना दी गई है ।

यह तो वह मसल हुई कि पहले देखा जाये कि चोर घर से क्या-क्या ले जा रहा है, और फिर बाद में जब उसे पकड़ने की कोशिश की जाये, तो वह बच निकले ।

सरकार ने कर्नल भट्टाचार्य के मुकदमे में सफाई की ओर से अपने वकील न भेज कर भारी भूल की है । सरकार ने उनकी पत्नी को भी इसके लिये सहायता नहीं दी ।

पाकिस्तान के साथ अभी हमारी सीमा का पूर्ण रूप से सीमांकन नहीं हुआ है । इसलिये नियमों में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये थी कि दोनों ओर के अधिकारी वहां सीमांकन के लिये जा सकें ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त ने ऐसे एक करार का उल्लेख भी किया था । पता नहीं वह अभी भी प्रभावी है या नहीं । उसके अनुसार पाकिस्तानी क्षेत्र और भारतीय क्षेत्र के सम्बन्धित जिलाधीशों के बीच परामर्श कर के तय किया जा सकता था ।

मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने कर्नल भट्टाचार्य को रिहा कराने के लिये क्या किया है

क्या सरकार ने इसका दृढ़तापूर्वक विरोध किया है ? कोई विरोध-पत्र भेजा गया है ?

अन्त में, मैं जानना चाहूंगा कि सरकार ने इसके लिये राजनयिक स्तर पर क्या किया है ।

सरकार ने इसके बारे में पर्याप्त दृढ़ता से काम नहीं लिया है ।

†**श्रीमती रेणुका राय** (माल्दा) : पाकिस्तान के अधिकारी जिस दिन से कर्नल भट्टाचार्य को अपने यहां घसीट कर ले गये हैं, हमारा समूचा देश बड़ा चिन्तित रहा है । हम पहले तो यही समझते रहे कि कर्नल भट्टाचार्य जल्द ही रिहा हो जायेंगे, उनके विरुद्ध कोई खास मुकदमा नहीं चलाया जा सकेगा ।

लेकिन मुकदमे का एक ढोंग किया गया और उनको आठ साल की सजा सुना दी गई । भारत सरकार ने शुरू में ही बता दिया था कि उस मुकदमे के सम्बन्ध में उसके अपने विचार हैं, अपना दृष्टिकोण है । इसलिये यह कहना गलत होगा कि भारत सरकार ने इसकी उपेक्षा की है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मैं सरकार से पूछना चाहती हूं कि जब कर्नल भट्टाचार्य को घसीटा जा रहा था और जब गोलियों की आवाज भी आई थी, तब हमारी सीमा-पुलिस ने कुछ भी क्यों नहीं किया ?

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि कर्नल भट्टाचार्य की पत्नी से वकील के बारे में सलाह क्यों नहीं ली गई ? उनके परिवार और सम्बन्धियों से सलाह तो करनी चाहिये थी । यदि उनसे सलाह की जाती तो शायद उनकी सफाई का और अच्छा प्रबन्ध हो जाता ।

कुछ माननीय सदस्यों ने पाकिस्तान से लड़ाई छेड़ने तक की बात कही है । पर हम शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व में विश्वास करते हैं। लड़ाई के अतिरिक्त, दूसरा भी तो रास्ता है । सीमा पार करने वालों को इतना अमानुषिक दण्ड तो पहले कभी नहीं दिया गया था।

अब समय आ गया है कि पाकिस्तान की जनता अपने शासकों से स्पष्ट कहे कि वे ऐसी अमानुषिकता की इजाजत नहीं देंगे । और, हमें भी इस घटना के सम्बन्ध में कुछ कड़ी कार्यवाही करनी ही चाहिये ।

पहले तो प्रतिष्ठित साधनों से कर्नल भट्टाचा को रिहा कराने का प्रयास करना चाहि । परन्तु धैर्य की भी अपनी एक सीमा होती है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री अ० मु० तारिक ।

श्री अ० मु० तारिक (जम्मू तथा काश्मीर): जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, जहां तक इस मसले का ताल्लुक है, हमारे सामने यह तस्वीर नहीं है कि कर्नल भट्टाचार्य को सजा देने में कितनी कानूनी गलतियां हुई हैं और उसमें किस कदर वहां के इन्साफ का ताल्लुक है। जहां तक इस मसले का ताल्लुक है, मैं इस ऐवान को याद दिलाना चाहता हूं कि एक तारीख है हमारे ताल्लुकात की पाकिस्तान के साथ, हिन्दुस्तान और पाकिस्तान की तकसीम होने के बाद ।

मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो यह चाहते हैं कि हिन्दुस्तान दरखास्त करे पाकिस्तान से कि वह आज बराह रहम व करम कर्नल भट्टाचार्य को छोड़ दे। मैं समझता हूं कि यह हिन्दुस्तान की अजमत और हिन्दुस्तान की शान के खिलाफ होगा।

मैं जानता हूं कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से कर्नल भट्टाचार्य को सजा दी है वह एक तारीखी चीज बन गयी है और आयन्दा आने वाली तारीख में पाकिस्तान का नाम स्याह लफ्जों में लिखा जायेगा। पाकिस्तान ने कर्नल भट्टाचार्य को सजा देकर शराफत, खलूस, मुहब्बत दयानतदारी, इन्साफ और हमसायगी का जनाजा निकाला है और इस जनाज़े को पाकिस्तान में ही दफन होना चाहिये ।

यह हिन्दुस्तान की तारीख है और यह हकीकत है कि हम कमजोर नहीं हैं, बल्कि जहां तक हमारी फौज का ताल्लुक है हम पाकिस्तान से हजार गुना ताकतवर हैं क्योंकि हमारे सामने इंसाफ है, दोस्ती है, दानिशमन्दी है और यही बहादुरी की तारीफ है। खाली हथियार किसी कौम को बहादुर नहीं बनाते, चाहे वह हथियार अमरीका के हों या किसी और बड़े मुल्क के। इससे पाकिस्तान अज़ीम मुल्क नहीं बन सकता कोई मुल्क अगर अज़ीम बनना चाहता है तो इसकी बुनियाद उस मुल्क की रवादारी पर है, उस मुल्क के कानून पर है, उस मुल्क के इंसाफ पर है । जिस मुल्क से शराफत, कानून, रवादारी और हमसायगी चली जाती है वह मुल्क

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अ० मु० तारिक]

कभी अज़ीम नहीं हो सकता। हमें अफसोस है कि यह हकीकत है कि जब भी हमने पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो उसके जवाब में हमें कभी मुक्का मिला और कभी हमारी सरहदों पर हमले हुये, और काश्मीर इसको मिसाल है।

काश्मीर पर हमला करने से पहले हमने मरहूम महात्मा गांधी के कहने से पाकिस्तान को अज़ीम रकम दी। यह हकीकत है कि वह पाकिस्तान के हक में नहीं थी लेकिन महज इसलिये कि हमसे हमारा छोटा भाई अलग हो गया है, हमने यह ख्वाहिश की कि वह भी दुनिया के नक्शे में खड़ा हो जाये। उसका जवाब पाकिस्तान ने हमले से दिया। उसके बाद जबकि पाकिस्तान के रहनुमाओं के हाथ काश्मीर के लोगों के खून से रंगे थे हमने उनका इस्तकबाल किया, उनको गले से लगाया। लेकिन जब भी वह यहां से वापस गये उन्होंने मुक्के दिखाये। यह एक तारीख है और इस तारीख की सूरत में हमें पाकिस्तान की जांच करनी होगी।

पाकिस्तान से हम इंसाफ की तवक्को रख ही नहीं सकते क्योंकि पाकिस्तान से इंसाफ कानून, जम्हूरियत इन सबको खारिज बदर किया गया है, मुल्क से निकाल दिया गया है। पाकिस्तान की हुकूमत जब खुद पाकिस्तान के लोगों के साथ इंसाफ नहीं कर सकती तो हम उनसे इंसाफ की तवक्को कैसे रख सकते हैं।

जहां तक कर्नल भट्टाचार्य के मुकदमे का ताल्लुक है मैं उसकी हकीकत एक शेर में बयान कर सकता हूं :

वही कातिल, वही शाहिद, वही मुंसिफ ठहरे।
अकरबा मेरे करें कत्ल का दावा किस पर।।

न कोई वकील है, न कोई जज। वही कातिल, वही उन पर गोली चलाते हैं, वही उनको हिन्दुस्तान की सरहद से उठा कर ले जाते हैं और वही उनको सजा दे देते हैं। हमको उनसे इंसाफ की तवक्को नहीं रखनी चाहिये।

जिस मुल्क ने खुद अपने प्रेसीडेंट—चाहे वह अच्छा हो या बुरा— के सीने पर पिस्तौल रख कर उससे इस्तैफा ले लिया, उसकी बीवी के मुंह पर तमाचा मार कर उनसे इस्तैफा ले लिया, उस मुल्क से हमें इंसाफ की तवक्को नहीं रखनी चाहिये। हमें अफसोस है कि पाकिस्तान हमारा हमसाया है। आज जब हम पाकिस्तान को देखते हैं तो हमको रावी का वह किनारा याद आता है जिस पर हिन्दुस्तान ने अपनी आजादी, अपनी अजमत और अपने मुस्तकबिल का झंडा गाड़ दिया था। आज उस पाकिस्तान की हुकूमत गैर-सियासतदानों, गैर-जम्हूरी और गैर-मुहिब्ब वतन आदमियों के हाथों में है, और पाकिस्तान के असली शहरी जिन्होंने पाकिस्तान और हिन्दुस्तान की आजादी के लिये अपना खून दिया, अपनी जानें दीं, आज वही लोग जैसे बादशाह खां, मियां इफ्तिकारउद्दीन, दाऊद गजनवी पाकिस्तान की जेलों में सड़ रहे हैं। यह पाकिस्तान की तारीख है।

हमें पाकिस्तान पर हमला करने की ख्वाहिश नहीं है हम पाकिस्तान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात पैदा करना चाहते हैं। मैं पाकिस्तान के रहनुमाओं से दरख्वास्त करूंगा कि वह अपने मुस्तकबिल को तारीक न करें। वह हिन्दुस्तान के साथ दोस्ती करने से अपने मुल्क का भला कर सकते हैं। हिन्दुस्तान का बुरा नहीं हो सकता अगर पाकिस्तान ऐसा नहीं करता।

मैं अपने उन दोस्तों को जिन्होंने, इस तरफ इशारा किया है कि हमें अपनी सरहदों को मजबूत करना चाहिये यह यकीन दिलाना चाहता हूं कि जहां तक हमारी फौजी ताकत का सवाल है या जहां तक हमारी सरहदों का सवाल है वह बहुत मजबूत हैं और हिन्दुस्तान अपनी सरहदों की हिफाजत करना जानता है। यह हमारी तारीख है। लेकिन हिन्दुस्तान अपने दुश्मनों को भी गले लगाना जानता है। तो इस मसले पर गौर करते वक्त हमको इन सब चीजों को सामने रखना चाहिये।

श्री ब्रजराज सिंह (फिरोजाबाद) : आप डिफेंस मिनिस्टर कब से होने वाले हैं?

श्री अ० मु० तारिक : जब आप मिट जायेंगे।

दूसरी बात मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि हमको यह भी देखना चाहिये कि पाकिस्तान यह सब कुछ करता क्यों है। आज हिन्दुस्तान के बाहर के मुल्कों से ब्लैक मेलिंग हो रहा है। हिन्दुस्तान के खिलाफ हथियार हासिल करने के लिये। जब भी पाकिस्तान का कोई बड़ा लीडर या कमांडर-इन-चीफ बाहर के मुल्कों में जाता है तो वहां हिन्दुस्तान के खिलाफ सिलसिला पैदा करके आता है। आज भी पाकिस्तान के कमांडर-इन-चीफ जनरल मूसा अमरीका की गलियों में हथियारों के लिये घूम रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं मेम्बर साहब की तवज्जह इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि वह आज जिस मसले पर डिसकशन हो रहा है उसी पर बोलें।

श्री अ० मु० तारिक : मैं उसी डिसकशन की तस्वीर के सिलसिले में यह कह रहा हूं क्योंकि जब तक यह न कहूं तब तक हकीकत——

उपाध्यक्ष महोदय : आप इस वक्त जनरल सवाल में न जायें यह मेरा आपको मशविरा है।

श्री अ० मु० तारिक : बहुत अच्छा।

तो हकीकत यह है कि यह सब कुछ पाकिस्तान हिन्दुस्तान के खिलाफ नफरत पैदा करने के लिये करता है। वरना पाकिस्तान खुद जानता है, पाकिस्तान के लोग जानते हैं, जिन्होंने कर्नल भट्टाचार्य को सजा दी है वह भी जानते हैं कि कर्नल भट्टाचार्य बेगुनाह हैं, उनका कोई जुर्म नहीं है। तो इस सूरत में मेरी हिन्दुस्तान की हुकूमत से दरख्वास्त है कि वह अपने हद से ज्यादा शराफत के मेयार से गिरकर पाकिस्तान के सामने झुके न। पाकिस्तान की एक मिसाल है और उसके बारे में राजा भरतरी कहते हैं:

फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर,
मर्द नादां पर कलामे नर्म नाजुक बे असर।

अगर फूल की पत्ती से हीरे का जिगर नहीं कट सकता तो नर्म और नाजुक बातों का किसी बेवकूफ आदमी पर असर नहीं हो सकता। हम पाकिस्तान से जंग भी नहीं चाहते, लेकिन हम चाहते हैं कि हम ऐसी पालिसी अख्तियार करें कि पाकिस्तान को यकीन हो जाये कि हिन्दुस्तान की हुकूमत और हिन्दुस्तान के लोग शराफत का जनाजा नहीं निकालेंगे और किसी गैर-इंसाफ हरकत के सामने नहीं झुकेंगे। और यकीन है कि पाकिस्तान इस जबान को समझेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री अ० चं० गुह (बारसाट) : मुझे खेद है कि श्री नाथ पाई और श्री इन्द्रजीत गुप्त ने सरकार की कड़ी आलोचना करते हुये कोई ऐसा ठोस सुझाव नहीं दिया कि सरकार को क्या करना चाहिये। आशा है कि सरकार कर्नल भट्टाचार्य को शीघ्र रिहा कराने के लिये सभी संभव उपाय करेगी। किन्तु यह आवश्यक नहीं है कि सरकार उन सब उपायों के बारे में जानकारी दे, जो वह कर सकती है।

हमें अनुभव करना चाहिये कि सरकार को एक काफी कठिन स्थिति का सामना है और ऐसी हालत में हमें सरकार को अपनी नीति और विवेक के अनुसार कार्य करने का अवसर देना चाहिये। यदि सरकार में हमारा इतना विश्वास भी न हो, तो वह राजनयिक तरीके से कार्यवाही नहीं कर सकेगी।

मैं यह जानना चाहूंगा कि इस अधिकारी को सशस्त्र सेना की सहायता के बिना क्यों जाने दिया गया था। कम से कम पुलिस को तो सूचना दी जा सकती थी कि वह सीमांत पर हैं, ताकि उनकी रक्षा का प्रबन्ध हो सकता।

मुकदमे के बारे में मैं यह पूछना चाहूंगा कि पहले तीन या चार दिनों में उन्हें क्यों कोई कानूनी सहायता नहीं दी गई थी और सहायता दिये जाने पर नये सिरे से मुकदमा शुरू करने के लिये क्यों जोर नहीं दिया गया था।

सजा को माफ करवाने या कम करवाने के लिये सरकार को स्वयं या किसी अन्य मित्र राष्ट्र द्वारा राजनयिक कार्यवाही करनी चाहिये।

श्री ब्रजराज सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न पर काफी चर्चा हो चुकी है और मुझे कुछ विशेष नहीं कहना है। मैं अपने को और अपनी पार्टी को उन सब विचारों और भावनाओं से जोकि इस सदन में व्यक्त की गई हैं सम्मिलत करता हूं।

यह आश्चर्य की बात है कि पाकिस्तान और हिन्दुस्तान में दोस्ताना ताल्लुकात हैं, मैत्री-पूर्ण संबंध हैं और यह सब होते हुए भी दूसरा देश जिसके साथ हमारे मैत्री पूर्ण सम्बन्ध हैं जब हमारे एक अफसर को भगा ले जाता है उस के बाद हमारी सरकार यह महसूस करे कि लड़ाई के अलावा और कोई रास्ता उन के पास नहीं है जिस से कि कर्नल भट्टाचार्य को छुड़ाया जा सके। मैं समझता हूं कि यह एक नितान्त असहाय अवस्था है जिसमें कि हमारी सरकार अपने को डाल लेती है। ऐसी बात होनी नहीं चाहिए थी। सरकार को निश्चित रूप से कुछ न कुछ ऐसा कदम उठाना चाहिये था। जिससे कि हम उन अफसरों को जिनके कि ऊपर हम ने देश के प्रति कर्तव्य पालन की जिम्मेदारी सौंपी हुई है, उनको इस तरह के दुर्व्यवहार का शिकार होने से बचा सकें। यह कर्नल भट्टाचार्य का व्यक्तिगत मामला नहीं है और भारत सरकार को इस बारे में पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सरकार की इस बारे में शुरू से जो ढिलमिल नीति रही है वह खेदजनक है। पहले सरकार की ओर से यह कहा गया कि वह एक रिटायर्ड अफसर है लेकिन बाद में जाकर माना कि वह सर्विस में हैं और सरकार ने उस के बाद यह कहा कि हम उनको सहायता देने के लिए तैयार हैं और पहले यह कहना कि चूंकि वह रिटायर्ड हैं इसलिए सरकारी सहायता का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, यह सारी चीजें ऐसी हैं जिन से साबित होता है कि सरकार की

†मूल अंग्रेजी में

तरफ से इस बारे में निश्चित नीति शुरू से नहीं रही है । अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर इस स्टेज पर क्या किया जा सकता है ? मैं समझता हूं कि एक नहीं अनेक कदम सरकार की तरफ से उठाये जा सकते हैं जिस से कि हम कर्नल भट्टाचार्य की रिहाई करवा सकते हैं ।

प्रधान मंत्री महोदय ने उस दिन कहा कि इस संबंध में हमारे सामने लड़ाई के अलावा और कोई रास्ता नहीं है । मैं समझता हूं कि और भी रास्ते हो सकते हैं और कई रास्ते यहां पर सुझाये गये हैं। पाकिस्तान से हमारी भूमि पर अनेक लोग आते रहते हैं । क्या हम उन में से कुछ को पकड़ कर बन्द नहीं कर सकते और अपने कानून के मुताबिक उन पर मुकदमा नहीं चला सकते ? पाकिस्तान को महसूस होना चाहिए कि वह इस प्रकार से इस देश के नागरिकों के सम्बन्ध में अनुचित कार्यवाही नहीं कर सकता है। मैं समझता हूं कि हमारी जनता और पाकिस्तान की जनता में कोई विशेष फर्क नहीं है । वे एक ही लोग हैं और उनका एक ही खून है । हम दोनों के सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण रहने चाहिएं। लेकिन दुर्भाग्य से पाकिस्तान के शासक उस भाषा को समझने से इन्कार करते हैं, जिस में हम बात करते हैं। वे उस नीति को समझने से इन्कार करते हैं, जिस पर हम चलते हैं। इसलिए अगर हम वहां के शासकों के लिए उसी भाषा का इस्तेमाल करें, तो कोई ऐतराज़ की बात नहीं होनी चाहिए।

मैं चाहता हूं कि सरकार की तरफ से कर्नल भट्टाचार्य की सजा को कम करवाने या घटाने की बात की तरफ़ ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए । उस के सामने एक ही बात रहनी चाहिए। और वह यह कि कर्नल भट्टाचार्य को रिलीज़ कराना है, उन को छुड़ाना है । इस बारे में पाकिस्तान सरकार को एक अल्टीमीटम दिया जाना चाहिए और टाइम नियत किया जाना चाहिये कि अगर इतने दिन के अन्दर कर्नल भट्टाचार्य को नहीं छोड़ा जाता है, तो उस के बाद हिन्दुस्तान की सरकार कोई सख्त से सख्त कदम उठाने के लिए आज़ाद होगी, स्वतंत्र होगी।

यह सदन में कहने वाली बात नहीं है, लेकिन इस विषय में लड़ाई के अलावा और भी तरीके हो सकते हैं। मैं समझता हूं कि अब सरकार का दृष्टिकोण मजबूत होगा, जिस से कर्नल भट्टाचार्य को और उन लाखों लोगों को, जो कि हिन्दुस्तान की सुरक्षा में लगे हुए हैं, जो हिन्दुस्तान के प्रति अपने कर्तव्य-पालन में लगे हुए हैं, यह विश्वास हो कि हिन्दुस्तान की सरकार और इस देश में रहने वाले चवालीस करोड़ नागरिक उनके पीछे हैं।

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : सरकार को हर्ष है कि सदन ने एक ऐसे बहादुर पदाधिकारी के मामले में इतनी रुचि ली है, जिसे अपने कर्तव्यपालन के दौरान में घायल किया गया तथा सीमा से बलपूर्वक ले जाया गया ।

मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान में सैनिक न्यायाधिकरण के सामने वकीलों को बोलने का मौका नहीं दिया जाता। वे केवल लिखित रूप में अपने तर्क दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त, न्यायाधिकरण के सामने दी गई गवाही सफ़ाई के वकील को नहीं दी जाती ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री अ० कु० सेन]

इस संबंध में कर्नल भट्टाचार्य के वकील, जो भारत से गये थे प्रशंसा के पात्र हैं, जिन्होंने गवाही की प्रतियों के न मिलने पर भी, सफ़ाई का प्रबन्ध बहुत अच्छे ढंग से किया। मैं श्रीमती रेणुका रे को बताना चाहूंगा कि डा० पाल को वकील करने के लिये, जो कि दीवानी वकील हैं, कोई प्रार्थना नहीं की गई थी। मुझे इस में भी संदेह है कि वह एक फौजदारी मुकदमा लेना पसन्द भी करते। दूसरी बात यह है कि अभियुक्त की सफ़ाई पेश करने के लिये नियुक्त वकील के बारे में कर्नल भट्टाचार्य के भाई को, जो स्वयं सैनिक पदाधिकारी हैं, पूर्ण संतोष था। हम ने बहुत सावधानी से विचार करने के बाद, श्री घटक को चुना था, इनकी सहायता के लिए एक और वरिष्ठ वकील श्री श्री एन० आर० दास गुप्त को भी रखा गया था और इन दोनों वकीलों की ढाका में पेश होने की व्यवस्था कर दी गई थी।

श्री घोषाल को मैं बताना चाहूंगा कि फौजदारी के मुकदमों में, जिस में कोई विशिष्ट पदाधिकारी अभियुक्त हो, स्वयं सरकार नहीं पेश हो सकती। सरकार केवल कानूनी सहायता उपलब्ध करा सकती है। एक ऐसे न्यायाधिकरण के सामने, जिस को अभियोग का क्षेत्राधिकार भी नहीं था, सरकार का स्वयं पेश होना हमारे कानूनी दृष्टि कोण के अनुकल भी नहीं था। इसलिये कर्नल भट्टाचार्य के परिवार की सलाह पर अच्छे से अच्छे वकील सफ़ाई के लिये चुने गये थे और उनकी फीस के लिए धन उपलब्ध किया गया था।

मैं यह बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान सरकार ने मुकदमे की सारी कार्यवाही ऐसे तरीके से की, जो कि हमारे न्याय के सिद्धांत के अनुकल नहीं है। मैं ने इस मुकदमे को अमानुषिक कहा था और अब भी कहता हूं।

कर्नल भट्टाचार्य को ४ अप्रैल, की शाम को गिरफ्तार किया गया था। कहा गया है कि उसी शाम को कैप्टन मुम्ताज़ हुसैन ने अपने ब्रिग्रेडियर को टेलीफ़ोन पर सूचना दी थी। न्याय के स्वीकृत सिद्धान्तों के अनुसार उनकी बातचीत का रिकार्ड तैयार किया जाना चाहिए था। और इसे पेश भी नहीं किया गया था परन्तु आश्चर्य की बात यह है कि ४ अप्रैल से २६ अप्रैल तक कोई जांच नहीं की गई और न ही उचित क्षेत्राधिकार वाली पुलिस में पहली सूचना दी गई थी। यह पहली सूचना १२ मई को दी गई थी, २६ अप्रैल, को जांच शुरू होने के कई दिन बाद। ऐसा कभी नहीं सुना गया कि जांच पहली सूचना से पहले कर ली जाये। हमारे देश में यदि ऐसा हो, तो कोई न्यायालय अभियुक्त को दंडित नहीं करेगा। इस से श्री गुप्त की इस बात का उत्तर भी मिल जाता है कि हमारे देश में लोगों को हल्की सज़ायें मिलती हैं। दंड देना सरकार का काम नहीं है; न्यायालयों का है, उन्हें न्यायालय तब तक दंड नहीं देगा जब तक उचित गवाही और सबूत न हों।

न्याय के अपने सिद्धान्तों को देखते हुए, हमें पाकिस्तानी न्यायाधिकरण की कार्यवाही से बहुत धक्का लगा है।

अब मैं उन तथ्यों का वर्णन करूंगा जैसा कि वे पाकिस्तान की ओर से बताये गये हैं। उन का कहना है कि ४ अप्रैल, को कर्नल भट्टाचार्य और एक अन्य पदाधिकारी पाकिस्तानी सीमा के अन्दर थे, जब कि वे वास्तव में भारतीय सीमा के अन्दर थे और एक तीसरे अभियुक्त से, जो पाकिस्तानी था, बातचीत कर रहे थे। पाकिस्तानी गवाहों

के बयान कि वे पाकिस्तानी सीमा के अन्दर थे, घटना के २१, या २२ दिन बाद अर्थात् २६ अप्रैल, को दिये गये थे। यह नहीं हो सकता कि इतने दिनों के बाद उन्हें याद आये कि सीमा कहां थी।

यह स्पष्ट है कि घेरने का षड़यन्त्र पहले से बनाया जा चुका था, और ऐसा करने में भारतीय सीमा की पवित्रता का कोई ध्यान नहीं रखा गया था। यह हमारी प्रभुता और सीमांत अधिकारों का उल्लंघन है। कर्नल भट्टाचार्य को अवध रूप से तथा बलपूर्वक पकड़ा गया था जिसके फलस्वरूप उनको तुरन्त रिहा किये जाने और क्षतिपूर्ति देने के प्रश्न उठते हैं।

तदानुसार, ५ अप्रैल, १९६१ को हमारे उपउच्चायुक्त द्वारा एक विरोध पत्र भेजा गया था। बाद में हमें यह बतलाया गया था कि पाकिस्तान का वैदेशिक-कार्य मंत्रालय प्रत्यक्ष रूप से इस मामले में कार्यवाही करेगा। कर्नल भट्टाचार्य से २७ या २८ अप्रैल, को भेंट करने की अनुमति दी गई थी और वह भी अकेले नहीं बल्कि अन्य सैनिक पदाधिकारियों की उपस्थिति में और उनसे केवल उनके स्वास्थ्य संबंधी या निज़ी बातें पूछने की आज्ञा दी गई थी।

१२ अगस्त को हमें यह बताया गया कि कर्नल भट्टाचार्य को गुप्त जानकारी प्राप्त करने के प्रयत्न करने के आरोप पर मुकदमा चलाया जायेगा। जुलाई में हमने इस बारे में पाकिस्तान को एक कड़ा नोट भेजा। यह नोट १४ जुलाई १९६१ को भेजा गया। उसमें लिखा गया कि कर्नल भट्टाचार्य द्वारा पाकिस्तानी क्षेत्र में भटक कर चले जाने की बात को भारत सरकार बिलकुल स्वीकार नहीं करती। भारत सरकार को इस बात पर बहुत ही खेद है कि अपने दोष को छुपाने के लिये पाकिस्तान सरकार ने जो कुछ इस बारे में विवरण दिया है वह सत्य के बिल्कुल विपरीत है।

नोट में आगे चल कर यह कहा गया है कि भारत सरकार पाकिस्तान के इस व्यवहार के प्रति अपना भारी विरोध प्रकट करती है। ऐसा करके पाकिस्तान सरकार ने भारत की सार्वभौमिकता को भंग करने का प्रयत्न किया है। पाकिस्तान की सशस्त्र सैनिक टुकड़ी ने यह अनधिकृत प्रवेश जान बूझ कर किया है। उनका उद्देश्य एक भारतीय सेना अधिकारी और एक महत्वपूर्ण भारतीय पर आक्रमण करना था। अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अन्तर्गत पाकिस्तान को श्री भट्टाचार्य को वापिस करना होगा और उनकी हुई हानि का मुआवजा भी देना होगा। हमने उनकी रिहाई की मांग की है और यह रिहाई भारत-पाक सीमा करार के अन्तर्गत आती है। कर्नल भट्टाचार्य ने पाकिस्तान में घुसने की बिलकुल कोई कोशिश नहीं की है। इस बारे में संयुक्त जांच की जा सकती है। परन्तु पाकिस्तान का कहना है कि वह जानबूझ कर पाकिस्तानी क्षेत्र में जासूसी के उद्देश्य से घुसे हैं और उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिये।

मुकदमें के दौरान में कर्नल भट्टाचार्य ने दो वकील मांगे। उन्हें कहा गया कि वह पाकिस्तान के दो वकील मांग सकते हैं। परन्तु जब उन्होंने पाकिस्तान के दो वकीलों के नाम दिये तो पाकिस्तान की सैनिक प्राधिकार ने उसे रद्द कर दिया। उसमें से एक नाम श्री ब्रोही का था जो कि भारत में पाकिस्तान के उच्चायक्त रह चुके हैं। ढाका के वकील श्री नलिनी कान्त राय की सेवायें उन्हें दी गयीं। परन्तु उन्हें उनके मामले की समुचित जानकारी भी नहीं थी। जब हमने इस मामले को सख्ती से लिया तो उन्होंने उनकी वकालत के लिये भारत से वकील का भेजा जाना स्वीकार कर लिया। यहां से श्री घटक को भेजा गया और उन्होंने श्री भट्टाचार्य की सफाई का कार्य काफी अच्छी प्रकार से किया। उन्होंने सफलता से समस्त पाकिस्तानी युक्तियों को काटा।

[श्री अ० कु० सेन]

कर्नल भट्टाचार्य पर ५ आरोप लगाये गये। महत्वपूर्ण आरोप यही थे कि कर्नल भट्टाचार्य घुसे और उनका उद्देश्य गुप्त सैनिक जानकारी प्राप्त करना था। उन्हें न्यायाधिकरण ने केवल मात्र इसी आरोप पर दोषी सिद्ध किया कि वह गुप्त जानकारी प्राप्त करने के प्रयत्न में ही पाकिस्तानी सीमा में घुसे थे। बड़ी ही विचित्र सी बात है कि न्यायाधिकरण ने उन्हें ८ वर्ष कैद का बर्बतापूर्ण दंड दिया है। बड़े ही आश्चर्य की बात है और हमें इस पर बहुत ही दुःख हुआ है। हमने इस सजा की निन्दा करते हुये पाकिस्तान उच्च आयुक्त को कहा कि दोनों देशों के संबंधों के हित में कर्नल भट्टाचार्य को तुरन्त रिहा किया जाय। इस दिशा में यह भी उल्लेखनीय है कि न्यायाधिकरण में सैनिक अधिकारी ही थे। न्यायाधीशों की पाकिस्तान में बहुत कम सुनवाई होती है।

मैं सदन को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि सरकार इस दिशा में कोई ढील नहीं दिखायेगी यह एक व्यक्ति की रिहाई का प्रश्न नहीं, भारत की सार्वभौम सत्ता का प्रश्न है। अतः सरकार तब तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक कि न केवल एक व्यक्ति का प्रत्युत सारे राष्ट्र के किये गये अपमान का मुआवजा पूर्णतः नहीं मिलता। प्रधान मंत्री भी इस दिशा में अकर्मण्य नहीं हैं। मुझे यह भी विश्वास है कि हमारा बेचारा अधिकारी और कुछ नहीं तो इससे कुछ तो सन्तोष प्राप्त करेगा कि सारे सदन ने एकमत से उसके साथ सहानुभूति प्रकट करते हुये उसके लिये प्रयत्न जारी रखने का निश्चय किया है। मुझे तो बिलकुल कोई सन्देह नहीं कि शीघ्र ही सदन को यह शुभ समाचार प्राप्त हो जायेगा कि कर्नल को रिहा कर दिया गया है। परन्तु मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसा करने के लिये सभा सरकार को पूर्ण स्वतंत्रता तथा कार्य में अपने तरीकों के अपनाने की स्वतंत्रता दे।

मैं सभा को यह भी बताना चाहता हूं कि कर्नल भट्टाचार्य को अभी तक सक्रिय सेवा पर नियुक्त समझा जा रहा है तथा उनके परिवार को पूरा वेतन मिल रहा है। कर्नल भट्टाचार्य ने अभिलेख तथा कार्यवाही वृतांत की प्रतिलिपि को प्राप्त करने के लिये प्रार्थना पत्र दिया है ताकि अपील कर सके। उचित समय आने पर अपेक्षित अपील दायर कर दी जायेगी। हमें पूरी आशा है कि इस दिशा में सफलता होगी। परन्तु मैं चाहता हूं कि इस मामले में जोकि सारे राष्ट्र का है हमारे अन्दर किसी प्रकार का भी मतभेद नहीं होना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : यह चर्चा समाप्त हुई।

संघ लोक सेवा आयोग के दसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : मैं प्रस्तुत करता हूं :

"कि यह सभा १ अप्रैल, १९५९ से ३१ मार्च, १९६० तक की अवधि के लिये संघ लोक सेवा आयोग के दसवें प्रतिवेदन पर, उस पर सरकारी ज्ञापन सहित, जो २१ दिसम्बर, १९६० को सभा पटल पर रखा गया था विचार करती है।"

हमें यह प्रतिवेदन ९ अक्तूबर, १९६० को प्राप्त हुआ था। इसके बाद इनकी प्रतिलिपियां भी तयार की गयीं और उनका अनुवाद इत्यादि भी किया गया। इस संबंध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि संघ लोक सेवा आयोग को निर्दिष्ट किये गये अनेकों मामलों में

---

†मूल अंग्रेजी में

केवल एक मामले के विषय में सरकार ने उक्त आयोग की सिफ़ारिश को न मानना उचित समझा है। इस मामले में यह भी उल्लेखनीय है पहले सरकार के विरुद्ध की गयी शिकायतों में बहुत सीमा तक कमी आ गयी है। आयोग की सिफ़ारिशें सामान्यतः मान ली जाती। इस दिशा में प्रत्येक शिकायत की ओर समुचित ध्यान दिया जाता है।

आयोग की राय से ही कुछ नौकरियों को इसकी परिधि से निकाल दिया गया हैं। परीक्षा लेने और इन्टरव्यू करने इत्यादि में काफ़ी समय नष्ट हो जाता था। अतः मेरा कहना है कि प्रत्यक्ष परीक्षाओं के परिणामस्वरूप की जाने वाली भर्ती का जहां तक संबंध है, अनुसूचित जातियों और अनसूचित आदिम जातियों की स्थिति में सुधार हुआ है। सरकार ने इन जातियों के चुने, हुये उम्मीदवारों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की है। इस बारे में कई एक विश्वविद्यालयों को भी कहा गया हैं। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय इन जातियों के चुने हुये उम्मीदवारों को प्रशिक्षण देने के लिए भी सहमत हो गया है। आयोग के प्रतिवेदन से सम्बन्धित वर्ष में ली गयी परीक्षाओं के आधार पर अनसूचित जातियों के १४ तथा अनसूचित आदिम जातियों के ८ उम्मीदवारों की सिफ़ारिश की है।

मैं सभा को यह बताना चाहता हूं कि आलोच्य वर्ष में १४ अनुसूचित जातियों और ८ अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों की इन परीक्षाओं के परिणाम स्वरूप सिफ़ारिश की गई। इससे स्पष्ट हैं कि उक्त जातियों के उम्मीदवारों को दिये जाने वाले प्रशिक्षण के फलस्वरूप इस दिशा में पर्याप्त सुधार हुआ है। आशा करता हूं कि आगामी वर्षों में इन जातियों के उम्मीदवार और अधिक बड़ी संख्या में लिये जायेंगे।

इस संबंध में हमारे दो सिद्धांत हैं। पहिला सिद्धांत यह है कि हम सेवाओं में कुशलता के मापदण्ड को ऊंचा रखें। दूसरे यह कि कुशलता का ध्यान रखते हुये संघ लोक सेवा आयोग इन नियमों में उचित रियायत करे। उक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुये अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों को अधिक संख्या में लेना है। इस संबंध में भारत सरकार द्वारा किये गये रचनात्मक उपायों से सफलता प्राप्त हुई हैं।

संघ लोक सेवा आयोग ने टेक्नीकल व्यक्तियों की नियुक्ति के बारे में योजना बनाने की आवश्यकता की ओर भी ध्यान दिलाया हैं। भारत सरकार को बहुत बड़ी संख्या में टेक्नीकल व्यक्तियों को आवश्यकता हैं। निस्सन्देह एक समय ऐसा था जब कि प्रशिक्षण की सुविधायें पर्याप्त नहीं थीं। तथापि अब इस संबंध में सरकार ने काफ़ी कार्य कर लिया है।

इसके लिये सरकार ने देश के कोने कोने में टेक्नीकल संस्थायें इंजीनियरिंग कालेज इत्यादि खोले हुये हैं। इसके अतिरिक्त इस कार्य के लिये विशेष ट्रेनिंग की भी आवश्यकता हैं। इस कार्य के लिये हम जनशक्ति निदेशालय की स्थापना भी कर रहे हैं। जिससे सरकार के विभिन्न विभागों की आवश्यकता का पता लग सके और संघ लोक सेवा आयोग बड़े पैमाने पर नियक्तियां कर सके। इस संबंध में संघ लोक सेवा आयोग की सलाह पर ध्यान दिया जा रहा हैं।

इस बात की भी शिकायत की गई है कभी लोक सेवा आयोग से कुछ पदों के लिये उम्मीदवार नियुक्त करने को कहा जाता हैं, तदुपरांत ऐसी नियुक्तियां रद्द कर दी जाती हैं। ऐसा केवल मितव्ययिता करने के उद्देश्य से किया जा सकता है। इस संबंध में मितव्ययिता बोर्ड पिछले कई वर्षों से काम कर रहा है।

[श्री दातार]

तथापि मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि रद्द की जाने वाली नियुक्तियों की संख्या बहुत कम हैं। भारत सरकार का संगठन बहुत व्यापक होने के कारण कभी कभी ऐसा करना अनिवार्य हो जाता है ।

पुर्ननियुक्ति संबंधी मामले अधिक नहीं होते हैं और इस संबंध में सामान्यतः आयोग की सिफ़ारिशें स्वीकार करली जाती हैं। कुछ अनियमित नियुक्तियों और विलम्बों का भी उल्लेख किया गया हैं। इस संबंध में कुछ नियम बना लिये गये हैं। भारत सरकार एक वर्ष या उससे कम अवधि के लिये अस्थायी नियक्तियां कर सकती हैं। वस्तुतः ऐसी नियुक्तियां करते समय यह निश्चय नहीं हो पाता है कि ये नियुक्तियां आगे चलेंगी अथवा नहीं। अब ऐसे नियम बना लिये गये हैं कि यदि कोई नियुक्ति एक वर्ष से अधिक समय चले तो संघ लोक सेवा आयोग को इसकी जानकारी दी जानी चाहिये। अतः यह बात अनुमान पर आधारित रहती है और अनुमान कभी कभी गलत सिद्ध होता है। तथापि ऐसे मामलों की संख्या अधिक नहीं हैं।

यह भी उल्लेख किया है कि नियुक्तियों की जानकारी समय पर दी जानी चाहिये। मैं आपको इसका भी कारण बता ही चुका हूं ।

संघ लोक सेवा आयोग ने एक ऐसे मामले का जिक्र किया है जब सरकार उनके मत से सहमत नहीं हुई। यह मामला एक उच्च रेलवे अधिकारी के संबंध में था। जिसका आचरण संतोषजनक नहीं था। आयोग जांच अधिकारी इस जांच से सहमत था कि इस अधिकारी के विरुद्ध लगाये गये आरोप सिद्ध हो चुके हैं। यदि ये आरोप सिद्ध होते हैं तो इससे सरकार को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ४०,००० रु० की हानि होती है। अतः उसके आचरण को ईमानदारी नहीं कहा जा सकता है। इस संबंध में आरोग और सरकार के बीच मतभेद हो गया। आयोग ने यह सामान्य बात कही थी कि उसका आचार अच्छा है जब कि दुर्भाग्य से उसका आचरण अच्छा नहीं था। इस मामले में भारत सरकार ने यह निश्चय किया कि रियायत करना उचित नहीं है। आयोग ने कहा कि इस मामले में रियायत करना उचित होगा। अतः भारत सरकार ने उसे नौकरी से हटाना ही उचित समझा।

इससे यह स्पष्ट है कि भारत सरकार ने ऐसे मामले में जहां पर उन्हें कार्यक्षमता का संशय है अथवा भारत सरकार को हानि हुई है कठोर कार्यवाही करना उचित समझा। इसलिये संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश भारत सरकार द्वारा स्वीकार नहीं की गई।

इस मामले में भी सभा को यह ज्ञात होना चाहिये कि आयोग की सलाह प्राप्त होते ही उसे पुनः उनके विचार के लिये भेज दिया गया। तथापि वे अपनी पहिली सलाह पर ही स्थिर रहे। अतः भारत सरकार के उन आरोपों के आधार पर जिन्हें ज्ञापन में दिया गया है, उसे सेवाओं से हटा देना पड़ा।

अतः मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आयोग और सरकार दोनों पूर्ण कुशलता से कार्य कर रहे हैं और उनके पारस्परिक संबंध सौहाद्रपूर्ण हैं।

वर्ष १९५९–६० में १५१३६ मामलों पर सलाह मांगी गई। इनमें १५१३५ मामलों में सरकार ने आयोग की सलाह मान ली। केवल एक मामले में उनकी सलाह इस कारण नहीं मानी गई क्योंकि वे दोषी अधिकारी के विरुद्ध और कड़ी कार्यवाही करना चाहते थे।

मेरे विचार से सभा इस बात से सहमत होगी कि आयोग की बहुमूल्य सलाह का पूरी तरह आदर किया जाता है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री जयपाल सिंह (रांची पश्चिम-रक्षित-अनुसूचित जातियां)** : मंत्री महोदय ने अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के अधिक संख्या में नियुक्त किये जाने पर संतोष प्रगट किया है । मैं इससे सहमत नहीं हूं । वे यह कहते रहे हैं कि जब से राष्ट्रपति के अधीन विशेष अधिकारी की नियुक्ति की गई है तब से उक्त जातियों की दशा में बहुत सुधार हुआ है। मेरे विचार से उक्त अधिकारी अपने कार्य में बिल्कुल असफल रहा है ।

इस बात को देखते हुए कि कार्यक्षमता का निर्णय उम्मीदवारों को चुनने वाले सदस्यों पर निर्भर करता है । कार्य क्षमता को परीक्षा ही पर्याप्त नहीं है । कार्य दक्षता के मापदंड के बारे में प्रत्येक व्यक्ति की धारणा अलग अलग होती है । अब अवैयक्तिक मामला नहीं रहा है ।

यह सोचना गलत है कि कार्यदक्षता के तर्क के आधार पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों को न चुनना उचित है। यह नहीं कहा जा सकता है अन्य जातियों के जो उम्मीदवार हैं वे स्तर को बनाये रखे हैं या उसे बढ़ा रहे हैं ।

संघ लोक सेवा आयोग की भर्ती विषयक नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । राष्ट्रीय एकता के लिये यह आवश्यक है कि जहां तक सेवाओं का संबंध है हमें उनमें अखिल भारतीय प्रतिनिधित्व का सिद्धान्त लागू करने के बारे में विचार करना चाहिये ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर (पाली)** : सरकार केवल एक मामले में संघ लोक सेवा आयोग से असहमत हुई इसका यह अर्थ नहीं है कि आयोग ने अच्छा कार्य किया है ।

आयोग केन्द्रीय सेवाओं के उचित संधारण के लिये गठित किया गया है और सरकार को इस बात पर विचार करना चाहिये । सरकार इस बात पर विचार करे कि अखिल भारतीय सेवाओं का गत १४ वर्षों में इतना पतन हो गया है कि वह अब दरबारियों का दल स्तर तक का समझा जाने लगा है । अब समय आ गया है कि इन सेवाओं की भर्ती के सर्वोत्तम तरीके व उन्हें दिये जाने वाले प्रशिक्षण के प्रश्न की जांच करने के लिये एक उच्च शक्ति प्राप्त निकाय गठित किया जाये ।

आयोग को गठित करने की विधि में परिवर्तन करना आवश्यक है । किसी वरिष्ठ अधिकारी को निवृत्त होने से पूर्व आयोग की सभापति बनाने की परिपाटी स्वस्थ नहीं है । आयोग का सभापति कोई ऐसा नेता रहे जो अत्यंत प्रामाणिक हो और आयोग में एक सदस्य ऐसा रहे जो बहुत योग्य प्रविधिज्ञ या वैज्ञानिक हो । संतोष का विषय है कि सरकार ने उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को आयोग का सदस्य नियुक्त करने का सुझाव मान लिया है ।

सरकार बताये कि उसके सभा में संघ लोक सेवा आयोग के कार्य की आलोचना और तद्विषयक सुझावों पर क्या कार्यवाही की है । एक सुझाव दिया गया है कि लिखित परीक्षा में ५० से लेकर ५८ प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार मौखिक परीक्षा के आधार पर अयोग्य समझे जायें तो उन्हें अयोग्य करार देने के कारणों को बताया जाये ।

राज्यों की पदाली के अधिकारियों को पदोन्नति देकर अखिल भारतीय सेवाओं में लेने की प्रणाली ठीक ढंग से काम नहीं कर रही है । यह पदोन्नति यदा कदा ऐसे अधिकारियों के कार्य के गुप्त प्रतिवेदन के आधार पर की जाती है और संभव है कि ये प्रतिवेदन सही न हो । आयोग को ऐसे मामलों की जांच करनी चाहिये और संबंधित अधिकारियों की परीक्षा लेनी चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हरिश्चन्द्र माथुर]

गृह कार्य मंत्रालय अपनी दृष्टि से जो भी अच्छे से अच्छा काम कर रहा है उससे देश को सन्तोष नहीं है। अतः न केवल नैतिकता में ही बल्कि काम भी निरन्तर घटिया होता जा रहा है। संघ लोक सेवा आयोग के पास बराबर काम बढ़ रहा है यही कारण है कि ऐसी देरी होती है जो जनता को व्यर्थ में ही बिगड़ने का मौका देती है। बराबर शिकायतें आती रहती हैं अतः हमें ऐसा प्रयत्न करना चाहिये कि संघ लोक सेवा आयोग के काम में सुधार हो।

संघ लोक सेवा आयोग की रचना ठीक नहीं है। इसके बारे में एक बार फिर से विचार करने की आवश्यकता है। होता क्या है कि सचिवालय की सेवा से जो व्यक्ति मुक्त होता है उसे वहां नौकरी दी जाती है। यह एक अस्वस्थ परम्परा है इससे नैतिकपत्तन हो रहा है। सका परिणाम यह होगा कि जनता का इस जैसी स्वतंत्र सत्ता में विश्वास नहीं रहेगा। इस आयोग का अध्यक्ष ऐसा होना चाहिये जो जनता की बात सुने, जिसने जनता के साथ मिलकर काम किया हो, जिसे जनता की आलोचना के बारे में जानकारी हो। मुझे इस बात की प्रसन्नता है गृह-कार्य मंत्री ने मेरा सुझाव मान लिया है और एक न्यायाधीश को आयोग का सदस्य बनाया है। आयोग में एक सदस्य वैज्ञानिक या इंजीनियर होना चाहिये। इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। एक प्रकार से इसकी अवहेलना ही की गई है। यह भी देखा गया है कि आयोग के सदस्य ६५ वर्ष तक की आयु तक काम कर सकते हैं जब कि सचिवालय में कर्मचा ी केवल ५५ वर्ष तक ही काम करते हैं।

आयोग के अधिकांश सदस्य प्रशासकीय सेवा के सदस्य होते हैं और वे इन वैज्ञानिकों को हीन दृष्टि से देखते हैं। यह बहुत बुरी बात है। अतः मेरा सुझाव है कि एक टैक्नीकल जानकारी वाला व्यक्ति आयोग का सदस्य हो और वह उस समिति का अध्यक्ष भी हो जो कि प्रविधिक व्यक्तियों की छांट करता है।

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या गृह-कार्य मंत्री हमारी उन आलोचनाओं को ध्यान में भी रखते हैं जो कि प्रतिवर्ष हम यहां आयोग के प्रतिवेदन के बारे में किया करते हैं। हो सकता है कि जो सुझाव यहां दिये जाते हैं, और वे सर्व सम्मत यहां स्वीकार भी किये जाते हैं, वे गृह मंत्री द्वारा मान्य न हो, ऐसी स्थिति में उनकी सूचना हमें अवश्य दी जानी चाहिये। लिखित एवं मौखिक परीक्षाओं के बारे में जनता में काफी भ्रान्ति है कि ये परीक्षाएं ठीक ढंग से नहीं ली जातीं। पिछली बार माननीय अध्यक्ष महोदय ने एक सुझाव दिया था कि परिणामों की घोषणा करते समय प्राप्त अंकों की सूची संबंधी एक विवरण भी लगा दिया जाना चाहिये ताकि इस बात का पता चल सके कि जिन परीक्षार्थियों ने लिखित परीक्षा में ५८ प्रतिशत और अधिक नम्बर पाये हैं वे मौखिक परीक्षा में कम नम्बर क्यों पा सके। क्यों कि यह देखने में आया है कि ४० प्रतिशत या इससे कुछ अधिक नम्बर पाने वाले परीक्षार्थी कभी-कभी मौखिक प ीक्षा में अधिक नम्बर पा जाते हैं। अगर ऐसा विवरण लगा दिया जाये तो हमें असलियत का पता लग सकता है।

पदवृद्धि के बारे में मेरा बड़ा कटु अनुभव है। इस सम्बन्ध में हम ने कुछ सुझाव दिये थे। मैं यह मालूम करना चाहता हूं कि उन सुझावों का क्या हुआ। प्रायः यह देखने में आया है कि राज्यों में जो पदाधिकारी वहां उच्च पद भी नहीं पाते वे यहां इस आयोग द्वारा आई० ए० एस० चुन लिये जाते हैं। इस प्रकार के उदाहरणों से नैतिक पतन होता है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : सामान्य चर्चा करनी चाहिये न कि व्यक्तिगत।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : यह तो ठीक है मैं तो केवल उन परिस्थितियों का वर्णन कर रहा हूं जिन में ऐसी बातें होती हैं, कोई व्यक्तिगत आक्षेप नहीं कर रहा हूं । मेरा तो यही निवेदन है कि इस प्रकार के मामले की जांच होनी चाहिये । और यह बताना चाहिये कि जिन लोगों को नहीं लिया गया है उनकी प्रतिक्रिया क्या है । लोगों में घोर असंतोष है । अतः यह ऐसा मामला है जिसकी जांच की जानी चाहिये ।

†श्री ले० अचौ सिंह (आतॉरिक-मनीपुर) : हम संघलोक सेवा आयोग के दसवें प्रतिवेदन पर विचार कर रहे हैं और यह प्रतिवेदन किसी सामान्य परिस्थिति में तैयार नहीं किया गया है बल्कि कुछ संवैधानिक परिस्थितियों में तैयार हुआ है । अच्छा तो यह होता है कि सरकार तथा आयोग इसको अधिक ध्यान देकर तैयार करता । इस प्रतिवेदन में हमारी उन बहुत सी बातों पर ध्यान नहीं दिया गया है जो शिकायतें कि हम ने पिछली बार की थीं ।

इस प्रतिवेदन में सरकारी विभागों द्वारा की गई अनियमित नियुक्तियों का उल्लेख किया गया है। हमें यह ध्यान रखना चाहिये कि इस प्रकार की तदर्थ नियुक्तियों से देश के युवक हतोत्साहित हो जाते हैं । सिफारिश के आधार पर नियुक्त और आयोग को पदों का विलम्ब से निर्देश करना दोनों बातों से हमें बचना चाहिये । संघ द्वारा प्रशासित क्षेत्रों में सहायक कमिश्नर की नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की जानी चाहिये लेकिन होता यह है कि यह सहायक कमिश्नर कमिश्नर की सिफारिशों पर ही आयोग द्वारा नियुक्त किया जाता है । एक प्रकार से कमिश्नर ही वहां का भाग्यविधाता बना हुआ है । अतः मेरा निवेदन है कि संघ राज्य क्षेत्रों में अधिकारियों की नियुक्ति, पदोन्नति और प्रति नियुक्ति पर, जिनके सम्बन्ध में आयोग मुख्य आयुक्तों के परामर्श पर कार्य करता है, आयोग का अधिक कड़ा नियंत्रण होना चाहिये । अस्थायी नियुक्तियों का भी आयोग को निर्देश किया जाये अन्यथा मनमाने ढंग से की गई नियुक्तियों की संख्या बहुत बढ़ जायेगी ।

आयोग द्वारा सिफारिश किये गये व्यक्तियों को नियुक्त करने में बड़ी देर की जाती है । यहां तक होता है कि दो वर्ष तक लग जाते हैं । अतः इनकी नियुक्ति में विलम्ब नहीं किया जाना चाहिये ।

प्रतिवेदन की कंडिका १६ और २३ और २४ में जो सैनिक पदाधिकारियों एवं अवकाश प्राप्त व्यक्तियों की नियुक्ति का उल्लेख किया गया है उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी जानी चाहिये ।

प्रतिवेदन की कंडिका १७ में कहा है कि विज्ञापन देने के बाद १८ मामलों में उन को वापस लिया गया है । मेरा निवेदन है कि उम्मीदवारों की संख्या की आवश्यकता सम्बन्धी सूचना दी जाने पर उसे यथासंभव रद्द न किया जाये ।

संघ लोक सेवा आयोग ने कहा है कि मनीपुर त्रिपुरा, और पांडिचेरी में काम करने के लिये भारत के अन्य भागों से पदाधिकारी जाना नहीं चाहते । ऐसी स्थिति में मेरा निवेदन है कि हमारे यहां के नवयुवकों को विशेष प्रकार के प्रशिक्षणों में, जैसे विज्ञान तथा इंजीनियरिंग, विशेष अवसर दिया जाना चाहिये ताकि वे इन क्षेत्रों में जा कर काम कर सकें । अन्त में मैं निवेदन करूंगा कि संघ राज्य क्षेत्रों में काम कर रहे कर्मचारियों को, और विशेष रूप से मनीपुर के, नियमों के अनुसार अर्द्ध-स्थायी बनाया जाये । अतः सरकार तथा संघ लोक सेवा आयोग को यह प्रयत्न करना चाहिये कि जो लोग पिछले तीन वर्षों से काम कर रहे हैं उन्हें अर्द्ध स्थायी बनाया जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री सिहासन सिंह (गोरखपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस यू० पी० एस० सी० रिपोर्ट के सम्बन्ध में बोलते हुए सदन् और मंत्री महोदय का ध्यान खास तौर से दो चीजों पर दिलाना चाहता हूं। एक तो रिटायर्ड हेंड्स के रिइम्पलायमेंट के बारे में है और दूसरा यह कि कमिशन ने करीब ३३ आदमियों को जिन्होंने कि अपने आवेदन पत्रों में गलत उम्र दिखलाई थी उनको ५, ५ और १०, १० वर्ष के लिए नौकरी के लिये आवेदन देने के अधिकार से निकाल दिया। उन को इस वास्ते नौकरी के अधिकार से अलग किया गया कि उन्होंने अपने आवेदन पत्रों में कम उम्र दिखलाई थी अर्थात् ऐज सर्टिफिकेट्स में काट पीट कर के अपनी उम्र २३ और २४ वर्ष लिखने का प्रयत्न किया था। अब हर एक प्रार्थी को अपनी अर्जी के साथ इस तरह का एक ऐज सर्टिफिकेट देना पड़ता है और हर एक प्रार्थना पत्र के अन्त में इस तरह से लिखा होता है :—

> "कि मैं श्री . . . . पुत्र श्री . . . . को इतने दिनों से जानता हूं और उस ने जो कुछ लिखा है वह मेरी जानकारी के अनुसार सही है।"

अब यह सर्टिफिकेट देने वाले गलत ही देते हैं . . . .

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो आम तौर पर पार्लियामेंट के मेम्बर्स देते हैं।

श्री सिहासन सिंह : इसीलिए तो हम ने सत्य और झूठ के बीच में यह शब्द "समटाईम" का निकाल लिया है और सर्टिफिकेट देते वक्त "फौर दी लास्ट सो मेनी ईयर्स" की जगह हम "समटाईम" यह शब्द लिख देते हैं और जिस से कि धर्म बच जाता है। लेकिन मेरा तो गवर्नमेंट से यह कहना है कि आखिर प्रार्थियों को इस तरह का झूठा सर्टिफिकेट देने को बाध्य करने के पीछे उद्देश्य क्या है ? साथ ही यह सर्टिफिकेट जोकि हर एक ऐप्लीकेशन के अन्त में देना पड़ता है और उसको एम०एल०ए०, एम० पी० या गजेटेड आफिसर सर्टिफाई कर सकता है, इस सर्टिफिकेट को हासिल करने के लिए हमारे प्रार्थियों को और खास तौर से देहात के रहने वालों को बड़ी दिक्कत पेश आती है और वह इधर उधर मारे-मारे फिरते हैं कि कहीं कोई एम० एल० ए० अथवा एम० पी० मिल जाय। वास्तव में देखा जाय तो इसके द्वारा असत्य का प्रचार होता है क्योंकि उनको यह जानते हुए भी कि यह उम्र सही नहीं लिखी है। उसको सर्टिफाई करना पड़ता है क्योंकि न करने से वह प्रार्थनापत्र रुक जाता है।

मुझे यह भी कहना है कि वैसे भी आप केवल उस सर्टिफिकेट पर कायम नहीं रहते हैं और नौकरी मिलने के बाद दुबारा उसके बारे में पुलिस अथवा सी० आई० डी० से इनक्वायरी कराते हैं कि उसकी वह मान्यता सही है या नहीं और इस तरह का कैरेक्टर सर्टिफाई करा लेने के बाद ही उसको नौकरी देते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि तब आप उसे पहले सर्टिफिकेट के लिए क्यों हैरान करते हैं और झूठ बोलने पर क्यों विवश करते हैं ? जहां तक मैं समझता हूं इस का उद्देश्य यह होता है कि कम से कम प्रार्थनापत्र आप के पास आयें। इसके अलावा और कोई उद्देश्य नहीं हो सकता है। अब शहरी क्षेत्र के लोग तो इस तरह का सर्टिफिकेट हासिल करके भेज भी देते हैं लेकिन देहाती क्षेत्र के प्रार्थियों को इसके लिए बड़ी दिक्कत उठानी पड़ती है और कभी-कभी उन के प्रार्थनापत्र इस कारण रुक भी जाते हैं। मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वह इस पर विशेष ध्यान दें। मैं ने पहले भी कई दफे यह कहा है कि इस तरह का सर्टिफिकेट देने के लिए प्रार्थियों क्यों हैरान करते हैं। इतना ही नहीं बल्कि इस के कारण प्रार्थियों और उन के साथ ही जो सर्टिफाई करते हैं उन दोनों को असत्य बोलना पड़ता है और आज हम लोगों को सर्टिफाई करते वक्त जो धर्म संकट पेश आता है वह क्या उचित है। हो सकता है कि मंत्री महोदय जब मिनिस्टरी छोड़ कर जायेंगे तो उनको भी वही दिक्कत पेश आयेगी। . . .

श्री ब्रजराज सिंह (फिरोजाबाद) : वे आसानी से नहीं छोड़ेंगे ।

श्री सिंहासन सिंह : मेरा तो कहना है कि उनको भी यह दिक्कत हो सकती है और पहले हुई भी होगी और कभी आगे भी उनके सामने इस तरह का धर्म संकट उपस्थित हो सकता है । इसलिए मेरा उन से अनुरोध है कि वे इस पर गम्भीरता से विचार करें क्योंकि इस तरह की चीज रख कर आप किसी का भी लाभ नहीं करते हैं उल्टे इस से असत्य का ही प्रचार होता है । इसलिए इस सर्टिफिकेट को निकाल देना चाहिए ।

दूसरी चीज मुझे यह निवेदन करनी है कि आज जो ३३ प्रार्थी विभिन्न परीक्षाओं में बैठने से डिसक्वालिफाई या डिबार कर दिये गये और उनको ५, ५ या १०, १० वर्ष के लिए डिबार किया गया वह इसी कारण किये गये कि उन्होंने इन इम्तहानों में बैठ सकने के लिए उम्र में काट पीट कर के २३, २४ वर्ष की उम्र करने का प्रयत्न किया था । इस तरह से आप देखेंगे कि आज सर्विस करने वालों की शुरुआत ही असत्य से प्रारम्भ होती है । हर एक लड़के के माता पिता लड़के के हित को ध्यान में रख कर कि आगे चल कर वह ऊंची नौकरियों के इम्तिहानों के लिए एलिजिबल हो सके स्कूल में दाखिल करते वक्त ही उसकी उम्र तीन, चार साल कम लिखाते हैं लेकिन कुछ माता पिता खास कर ग्रामीण लोग जो कि इतनी जानकारी नहीं रखते हैं वह चूंकि अपने लड़के की सही-सही उम्र लिखा देते हैं इसलिए होता यह है कि हालांकि उनका लड़का होनहार निकलता है तो भी वह इन ऊंची नौकरियों के लिए ओवरऐज हो जाता है और वह उन इम्तहानों में नहीं बैठ पाता । आप इस तरह की बंदिश लगा कर सत्य को मार रहे हैं और असत्य को प्रोत्साहन दे रहे हैं । क्या आप इन उच्च नौकरियों के लिए ऐज लिमिट नहीं बढ़ा सकते । अंग्रेजों के लिए तो समझा जा सकता है कि वह हम को इस तरह से झूठ बुलवा कर खराब करना चाहते थे लेकिन अब तो हमारी अपनी सरकार है और जोकि गांधी जी के तत्वाधान में कायम हुई है क्या वह भी असत्य पर कायम रहेगी और हम लोगों को असत्य ही बोलना पड़ेगा ? इसलिए मैं चाहूंगा कि आप नौकरी के लिए कम से कम उम्र बजाय २३ या २४ के बजाय २५ वर्ष रखें । हमारे देश में प्राचीन काल में २५ वर्ष की अवस्था तक मनुष्य ब्रह्मचारी रह कर विद्याध्ययन करता था और २५ वर्ष बीत जाने के बाद ही वह ग्रहस्थ आश्रम और नौकरी धंधे आदि में जाता था . . .

अध्यक्ष महोदय : १०० वर्ष का समय कैसे पूरा करेंगे अगर २५ वर्ष इस तरह से रख लेंगे ?

श्री सिंहासन सिंह : अब २५ से ५५ तक तीस साल होते हैं । वैसे पुरानी परम्परा के अनुसार वानप्रस्थ ५० वर्ष की आयु में होना चाहिए आप ने ५५ से कर लिया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : वानप्रस्थ और सन्यास कैसे पूरा करेंगे ?

श्री सिंहासन सिंह : अब नौकरी से ५५ वर्ष की आयु में रिटायर होने के बाद वानप्रस्थ आश्रम में एक तरह से दाखिल हो जाते हैं और जिन्हें ७५ वर्ष के उपरांत जीवित रहने का सौभाग्य प्राप्त हो वे यदि चाहें तो सन्यास धारण कर सकते हैं ।

मेरा तो पुनः आप से यही निवेदन है कि प्रार्थियों और उनके मां बाप को स्कूल में दाखिल कराते वक्त जो उम्र कम कर के लिखानी पड़ती है और असत्य बोलना पड़ता है उस झूठ को बोलने के लिए आप प्रेरित न करें और यह इसी तरह हो सकता है कि आप बजाय २३-२४ वर्ष के २५ वर्ष की ऐज लिमिट रख दें । . . . .

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि आपकी उम्र भी उन्होंने कम लिखाई होगी ।

श्री सिंहासन सिंह : जी हां मेरे माता पिपा ने मेरी उम्र तीन साल कम लिखाई थी लेकिन जहां भी अब मैं अपनी उम्र लिखता हूं तो अपनी सही उम्र ही लिखता हूं । और उसी प्रकार शायद आप सब की उम्र कम लिखी हो ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह कोई अच्छी बात नहीं है कि आप अपने माता पिता को इस तरह से झूठा कहें और उनकी गलती निकालें ।

श्री सिंहासन सिंह : मैं उनको झूठा नहीं कहता वे बच्चे के हित में ऐसा करते हैं । अब माता पिता ने जो गलती उम्र लिखाई वह इसी आधार पर लिखाई कि हमारा लड़का आगे चल कर उच्च नौकरी के इम्तहानों में बैठ सकें और लड़के के हित को ध्यान में रख कर उन्होंने कम उम्र लिखाई । मेरा तो कहना है कि आप ऐसी प्रथा ही क्यों रखते हैं जिसमें कि माता पिता को झूठ बोलना पड़े और अपने बच्चों की गलत उम्र लिखानी पड़े । आप उनको लड़के के हित में झूठ बोलने के लिए विवश क्यों करते हैं ? अगर आप इस उम्र को बढ़ा कर २५, २६ रख देते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी और लोग इस झूठ बोलने से बच जायेंगे ।

रिटायर्ड हैंडस के रिएम्पलायमेंट के बारे में मुझे यह कहना है कि आपने यहां केन्द्र में रिटायरी की आयु ५५ वर्ष रक्खी है । उतर प्रदेश की सरकार ने पहले रिटायरी की आयु ५८ साल रक्खी थी लेकिन अब उन्होंने भी उसको घटा कर ५५ साल कर दिया है । आपके एक स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि आप यहां सैंटर में सबको ५५ साल की उम्र में रिटायर कर देंगे अलबत्ता टेकनिकल हैंडस को जरूरत महसूस होने पर ऐक्सटेंशन दे देंगे लेकिन जैसा कि अभी हमारे माथुर साहब ने कहा कि कोई आपके सेक्रेटरी हैं जो कि रिटायर होने के पूर्व ही पब्लिक सर्विस कमिशन में घुसे जा रहे हैं । वहां वह छः साल तक सर्विस में रहेगा । मेरे विचार में यह व्यवस्था देश के हित में नहीं है । जैसा कि पूर्व-वक्ता महोदय ने कहा है, अगर सरकारी नौकर रिटायरमैंट के बाद फिर नौकरी पाने के लिए लालायित रहें, तो फिर एफ़िशेन्सी कैसे पैदा होगी ? अगर हम ने शासन में एफ़िशेन्सी रखनी है, तो रिटायर्ड आदमियों को पुनः नौकरी में नहीं रखना चाहिए । एफ़िशेन्सी के लिए दो बातों का डर सरकारी नौकरों में होता है : प्रोमोशन न मिलने का डर और एफ़िशेन्सी-बार का डर । जब किसी को रिटायरमेंट के बाद फिर नौकरी में रखा जाता है, तो उस को प्रोमोशन न मिलने का डर नहीं होता है और हटाए जाने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि वह पहले से ही हटाया हुआ होता है और सरकार की मेहरबानी से सर्विस में होता है । खुद नौकरी पाने के बाद वह अपने मातहत काम करने वालों को एक्सटेंशन और री-एम्पलायमेंट देता है, क्योंकि वह खुद री-एम्पलायड होता है, जिसका परिणाम यह होता है कि नये नौजवान सर्विस नहीं पा सकते हैं । अनुभव के नाम पर हजारों नौजवानों को सर्विस की प्राप्ति से वंचित किया जाता है और किया जा रहा है ।

मैंने कई नौजवानों से बात की है । वे ईमानदारी से सर्विस करने आते हैं, लेकिन पुराने अफ़सरों के पुराने ढंग से, जो मर्सेनेरी भावना से भी रहते हो ढंग से तंग उनको भी अपने ढंग में ढाल देते हैं । उनको अपने अफ़सरों की मर्जी के मुताबिक चलना पड़ता है और अगर वे नहीं चलते हैं, तो उनके कैरेक्टर-रोल में एन्ट्री कर दी जाती हैं और वे मारे जाते हैं । आवश्यकता इस बात की है कि देश की सर्विसिज़ एक ऊंचा आदर्श सामने रखें क्योंकि, वही देश का शासन चलाते हैं और बहुत से अधिकारों का उपयोग करते हैं । अगर उन पर उंगली उठती है, तो यह बात देश और शासन के हित में नहीं होतो है ।

इस रिपोर्ट में कहा गया है कि लगभग छः सौ आदमियों के नाम री-एम्पलायमेंट के लिए कमीशन के पास भेजे गए, जिन में से तीन सौ को मान लिया गया। प्रश्न यह है कि क्या यह संख्या कम है। और फिर यह मामला छ : सौ आदमियों की री-एम्पलायमेंट तक ही खत्म नहीं हो जाता है। उन लोगों ने आगे और लोगों को री-एम्पलाय किया होगा और यह संख्या छः हजार तक हो गई होगी। इस नीति के कारण सरकार उन बीस पच्चीस लाख नौजवानों को एम्पलायमेंट से वंचित कर रही है, जो कि हर साल तैयार होते हैं। एफ़िशेन्सी, देश की ताकत और एम्पलायमेंट, किसी भी लिहाज़ से विचार किया जाये, तो हम इस परिणाम पर पहुंचेंगे कि रिटायर्ड आदमियों को फिर से सर्विस में लेने की नीति का त्याग करना चाहिए।

एक बार यह बात चली कि अवकाश प्राप्त करने के बाद किसी व्यक्ति को कोई काम नहीं दिया जायगा, लेकिन हम देखते हैं कि कहीं न कहीं, कुछ न कुछ काम लगा करता है और हर जगह गड़बड़ी होती है। हर एक आदमी दातार साहब का मुंह देखता है कि अगर वह खुश रहेंगे, तो काम चलेगा, वर्ना नहीं। होना यह चाहिए कि सर्विसिज़ में हर एक आदमी यह समझे कि अगर मैं काम अच्छा करूंगा, तो तरक्की होगी, दातार साहब और श्री लाल बहादुर शास्त्री इस विषय में कुछ नहीं करेंगे। अगर इसके विपरित ऐसी स्थिति पैदा की जाती है कि सरकारी नौकर यह समझें कि रिटायरमेंट के बाद री-एम्पलायमेंट के लिए दातार साहब का मुंह देखना पड़ेगा, तो वह अपना काम छोड़ कर उनको खुश करने का प्रयत्न करने में लग जायेंगे और इससे कार्य-कुशलता में कमी आयगी।

मैं आशा करता हूं कि अगले चुनावों के बाद हम दोनों के यहां पर आने की नौबत आयेगी या नहीं भगवान जाने क्योंकि यह तो जनता के हाथ में है। अगर हम आयें, तो मैं आशा करता हूं कि उस वक्त री-एम्पलायड लोगों की संख्या नहीं रहेगी और कमीशन को अपनी रिपोर्ट में यह नहीं कहना पड़ेगा कि इतने रिटायर्ड लोगों को री-एम्पलाय किया गया।

कमीशन की कुछ रिपोर्ट्स को सरकार ने मान्यता दी है और कुछ को नहीं दी है, कुछ को रखा है, कुछ को नहीं रखा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि रेलवे के एक आफ़िसर के सम्बन्ध में कमीशन की रिपोर्ट को न मान कर सरकार ने उस आफ़िसर को सर्विस से अलग कर दिया है। इस के लिए मैं सरकार को साधुवाद देता हूं।

अगर प्लानिंग कमीशन, जो कि देश का निर्माण का काम कर रहा है, कोई ग़लत काम करे, तो हमारे लिए यह दुख की बात होगी। वहां पर एक आफ़िसर को १९५४ से १९५९ तक १५०० रुपए की तन्ख्वाह पर नौकर रखा गया। १९५४ से १९५६ तक वह मेम्बर-सेक्रेटरी, प्राहिबिशन एन्क्वायरी कमेटी के पद पर रखा गया। वह पोस्ट खत्म होने के बाद वह बराबर चलता रहा और प्लानिंग कमीशन उसको बराबर किसी न किसी काम पर लगाता रहा। कभी छः महीने और कभी आठ महीने के लिए उसकी सर्विसिज़ बढ़ाई जाती रहीं। १९५७ में उसकी उम्र साठ साल हो गई, लेकिन फिर भी उस को सर्विस में रखा गया।

उपाध्यक्ष महोदय : व्यक्तिगत मामलों का उल्लेख नहीं करना चाहिये।

श्री सिंहासन सिंह : इस को कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में रेफ़र किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : फिर तो ज़रूर रेफ़र कीजिए।

श्री सिंहासन सिंह : उसको कभी इस काम में और कभी उस काम में लगाया जाता रहा और इस तरह वह १९५४ से १९५९ तक सर्विस में रहे और उन्होंने गवर्नमेंट से १ लाख ८० हजार रुपया प्राप्त किया। देश का प्लानिंग कमीशन, जो हमारे भारत का निर्माण करने जा रहा है, इस तरह गलत काम करता है। बड़े दुख की बात है मेरा कहना यह है कि अगर इस प्रकार प्लानिंग कमीशन जैसी बड़ी संस्था ने १५०० रुपये पाने वाले बड़े-बड़े अधिकारियों की इर्रेगुलर एपायंटमेंट कर ली, तो यह हमारे लिए, प्लानिंग कमीशन के लिए और सब के लिए शर्म की बात है। मैं कमीशन को धन्यवाद देता हूं कि उसने इस ओर ध्यान दिलाया है। अगर चालीस पचास रुपया पाने वालों की इर्रेगुलर भर्ती हो जाये, तो कोई ज्यादा हानि नहीं होगी, लेकिन अगर बड़े-बड़े तन्ख्वाहदार अधिकारी जिन पर निर्माण का काम निर्भर है, इस तरह बैंकडोर से आ जायें, तो वह हमारे लिए अच्छा नहीं है।

सरकार की इस नीति के कारण लोगों में यह भावना फैल गई है कि इस वक्त तो नौकरी कर लो, छः महीने के बाद कमीशन से रेगुलराइज हो जायगा। अगर इस व्यवस्था को हटा दिया जाये, तो अच्छा होगा। बहुत से लोग हम को तंग करते हैं कि दातार साहब को कहिए कि हम को नौकर रख लें, बाद में कमीशन से रेगुलराइज हो जायगा। यह अवस्था सब के लिये दुखमय है।

मैं चाहूंगा कि सरकार पब्लिक सर्विस कमीशन की स्ट्रेंग्थ को बढ़ाए। वही सब तरह की भर्ती करे और किसी को बैकडोर से सर्विस में न आने दिया जाये।

†**श्री कोडियान** (क्विलोन--रक्षित--अनुसूचित जातियां): माननीय मंत्री महोदय ने बताया है कि सार्वजनिक सेवाओं में अनुसूचित जाति तथा आदिम जातियों के उम्मीदवारों की संख्या में वृद्धि हुई है। लेकिन प्रतिवेदन के परिशिष्टों को देखने से पता चलता है कि उच्च पदालियों में इन जातियों के उम्मीदवारों की भर्ती की स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ है। उनकी संख्या बहुत कम है। मेरा निवेदन है कि इस सम्बन्ध में कुछ और छूट दी जानी चाहिये। सरकार को इन जातियों के उम्मीदवारों के प्रशिक्षण के सम्बन्ध में की गई प्रगति की जानकारी देनी चाहिये। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशिक्षण की जो योजना आरम्भ की गई है वह अन्य विश्वविद्यालयों में भी कार्यान्वित की जाये। इन जातियों को अन्य जातियों के स्तर तक लाना आवश्यक है। इन लोगों को विशिष्ट छूट देनी होगी। ज्ञात हुआ है कि सैनिक स्कूलों में अपने बच्चों को भर्ती कराने के सिलसिले में अनुसूचित जाति तथा आदिम जाति के व्यक्तियों को कोई रियायत नहीं दी जाती। मेरा निवेदन है कि इस सिलसिले में कुछ छूट दी जानी चाहिये। प्रविधिक कर्मचारियों की भर्ती के लिये अग्रिम योजना बनाने की आवश्यकता को देखते हुए यह आवश्यक है कि शिक्षा का ढांचा और योजनाबद्ध विकास एक दूसरे से सम्बद्ध हो।

अनियमित नियुक्तियां, संघ लोक सेवा आयोग को विलम्ब से निर्देश तथा आवश्यकता की सूचना देकर उसे रद्द करने की घटनाएं नहीं होनी चाहियें। और इनकी संख्या में कम से कम कमी की जानी चाहिये।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** (वेल्लोर) : मेरा विचार है कि शायद ही किसी आयोग के अथवा निगम के प्रतिवेदन पर इतनी चर्चा हुई हो जितनी कि इस प्रतिवेदन पर हो रही है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं।

इसके पश्चात् लोक-सभा गुरुवार, ३० नवम्बर, १९६१/९ अग्रहायण, १८८३, (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

बुधवार, २९ नवम्बर, १९६१
८ अग्रहायण, १८८३ (शक)

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		१००७—२८
तारांकित प्रश्न संख्या		
३९८	भारत-पाक रेल करार	१००७—०८
३९९	खाद्यान्नों के मूल्य	१००८—१०
४०२	कोयला परिवहन के लिये वैगन	१०१०—१२
४०३	केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन	१०१२—१४
४०५	रेलगाड़ी का पटरी से उतर जाना	१०१४–१५
४०६	पंजाब के लिये उर्वरक	१०१५—१६
४०७	इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के विमान का अगरतला में विवश होकर उतरना	१०१६
४०८	जिला सड़क योजना	१०१७—१९
४११	गैर-सरकारी अभिकर्त्ताओं के प्रबंधाधीन इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के स्टेशन	१०१९
४१४	चित्तरंजन के इंजनों की लागत	१०२०–२१
४१५	इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के लिये "फोकर" विमान	१०२१—२३
४१६	नौवहन दरों में वृद्धि	१०२३—२४
४१७	देश में डाक्टरों की कमी	१०२४—२७
४१८	कलिंग एयरलाइन्स द्वारा बड़ौदा-बम्बई विमान सेवा	१०२७—२८
४१९	मद्रास हवाई अड्डा	१०२८
प्रश्नों के लिखित उत्तर		१०२९—८९
तारांकित प्रश्न संख्या		
४००	भारत-अमरीका विमान सेवा वार्ता	१०२९
४०१	उष्ण प्रदेशीय अन्तरिक्ष विज्ञान की राष्ट्रीय संस्था	१०२९
४०४	राष्ट्रीय राजपथ संस्था ८	१०२९

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः	
तारांकित प्रश्न संख्या	
४०९ दिल्ली के लिये वृहद् योजना (मास्टर प्लान)	१०३०
४१० राष्ट्रमंडलीय चीनी समझौता	१०३०
४१२ पंचायत राज	१०३०
४१३ मध्य प्रदेश के लिये रिहान्ड से बिजली	१०३१
४२० गुलाटी आयोग	१०३१
४२१ कैन्सर	१०३१-३२
४२२ कृष्णा और गोदावरी के पानी का वितरण	१०३२
४२३ पंचायती राज्य	१०३२-३३
४२४ भारत का नौवहन निगम	१०३३
४२५ रूस से रेल की पटरियों का आयात	१०३४
४२६ छात्रों को दी गयी रियायत	१०३४
४२८ जयन्ती शिपिंग कम्पनी	१०३४-३५
४२९ ग्रामीण विश्वविद्यालय	१०३५
४३० वेतन से बीमा किश्तों की कटौती	१०३५
४३१ मंगलौर पत्तन	१०३६
अतारांकित प्रश्न संख्या	
७८९ आउट एजेन्सियां	१०३६
७९० पंजाब के गुरुदासपुर जिले में परिवार नियोजन केन्द्र	१०३६
७९१ नयी दिल्ली नगरपालिका को दी गयी रकम	१०३६-३७
७९२ अमृतसर में दर्ज की गयी शिकायतें	१०३७
७९३ होटलों, प्रदर्शकों और यात्रा अभिकर्ताओं के लिए विधान	१०३८
७९४ उत्तर रेलवे के स्टेशनों पर बिजली लगाना	१०३८
७९५ रेलवे संरक्षण सैनिकों की संख्या	१०३८-३९
७९६ गाड़ी का पटरी से उतर जाना	१०३९
७९७ दिल्ली में बसों और ट्रकों का अवसान स्थान (टर्मिनल)	१०३९
७९८ महाराष्ट्र में बागवानी का विकास	१०३९—४०
७९९ बिहार में चीनी के कारखाने	१०४०
८०० महाराष्ट्र में पेड़ लगाना	१०४०-४१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
८०१	टिकट कलेक्टरों और टिकट एक्जामिनरों की वरिष्ठता	१०४१
८०२	क्रिश्चियन मेडिकल कालेज, लुधियाना में नर्सें	१०४२
८०३	मूंगफली के आटे की मिल	१०४२
८०४	परिवहन अभिकरण	१०४३
८०५	सड़क दुर्घटनायें .	१०४३–४४
८०६	पंजाब में परिवार नियोजना केन्द्र . . .	१०४४
८०७	रेवाड़ी में स्टाल को आगे किराया पर उठाना	१०४४
८०८	परिवहन निगम और कोयला .	१०४४
८०९	हवाई अड्डों पर घोषणाएं . .	१०४५
८१०	हिमाचल प्रदेश में सहकारी संस्थाओं के रजिस्ट्रार .	१०४५
८११	भोजन व्यवस्था विद्यालय	१०४५–४६
८१२	पंजाब में टेलीफोन कनेक्शन	१०४६
८१३	राजधानी में सड़क दुर्घटनायें	१०४६–४७
८१४	बिना टिकट यात्रा	१०४७
८१५	डाक तथा तार विभाग के मुअत्तल कर्मचारी	१०४७
८१६	उड़ीसा के पटसन उगाने वाले . . .	१०४७–४८
८१७	दिल्ली में यमुना नदी पर पुल	१०४८
८१८	मोतियाखान, दिल्ली के व्यापारी	१०४९
८१९	भारत–जापान माल सेवा	१०४९–५०
८२०	कृषि योग्य परतीं भूमि	१०५०
८२१	राष्ट्रीय पक्षी	१०५१
८२२	वन संसाधन .	१०५१
८२३	दिल्ली–लंदन बस सेवा	१०५१–५२
८२४	संयुक्त स्टीमर समवाय	१०५२
८२५	विमान सेवायें	१०५२–५३
८२६	"वाइस फ्रीक्वेंसी" टेलीग्राफ उपकरण . .	१०५३
८२७	दूसरा सवारी डिब्बा कारखाना . . .	१०५३
८२८	सिद्धपुर में पैदल चलने वालों के लिए ऊपरी पुल	१०५४
८२९	दिल्ली में विस्थापित व्यक्तियों के लिए स्टाल . .	१०५४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

	विषय	पृष्ठ
अतारांकित प्रश्न संख्या		
८३०	रेलगाड़ी की टक्कर के सम्बन्ध में रेलवे इन्सपेक्टर का प्रतिवेदन	१०५४
८३१	उवरकों का वितरण . . .	१०५४–५५
८३२	सिद्धपुर स्टेशन पर जुर्मानों की वसूली . .	१०५५
८३३	रेलवे की १९६१ की आय . .	१०५५–५६
८३४	रेलवे पर भोजन-व्यवस्था के ठेके .	१०५६
८३५	एक महिला द्वारा आत्म हत्या	१०५६–५७
८३६	जीरे का मूल्य	१०५७
८३७	स्वर्गीय श्री चन्दन सिंह के परिवार को प्रतिकर . .	१०५७
८३८	डाक व तार मंडल गुजरात . . .	१०५७–५८
८३९	गुजरात के गांवों में शाखा डाकघर . . .	१०५८
८४०	कच्छ का मरुस्थल .	१०५८–५९
८४१	गुजरात में पर्वतीय स्थानों का विकास . . .	१०५९
८४२	गुजरात राज्य में नल-कूप	१०५९
८४३	भाखड़ा नंगल परियोजना .	१०६०
८४४	दिल्ली और गुड़गांव से नहर . . .	१०६०–६१
८४५	उत्तर प्रदेश में बिजली का संभरण .	१०६१
८४६	सहकारिता आन्दोलन	१०६१–६२
८४७	जामनगर कालेज	१०६२
८४८	अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना . . .	१०६२–६३
८४९	प्रादेशिक मत्स्य पालन केन्द्र . .	१०६३
८५०	कार्मिक संघों को मान्यता . . .	१०६३
८५१	कैरेज एण्ड वगेन वर्कशाप आलमबाग, लखनऊ .	१०६४
८५२	वेयरहाउस मैनों का अखिल भारतीय सम्मेलन .	१०६४
८५३	दिल्ली में यमुना में घाट . .	१०६४–६५
८५४	अंडा चूर्ण फैक्टरी . . .	१०६५
८५५	पंजाब में राष्ट्रीय राजपथ और पुल . .	१०६५–६६
८५६	केरल में ग्रामीण जल-संभरण	१०६६
८५७	स्वास्थ्य शिक्षा	१०६६–६७
८५८	मैसूर में ग्रामीण कृषि विश्वविद्यालय . . .	१०६७

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

अतारांकित प्रश्न संख्या

८५९	भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् .	१०६७–६८
८६०	गंडक और कोसी परियोजनायें .	१०६८
८६१	रेल-दुर्घटनायें	१०६८–६९
८६२	किसानों की अमरीका यात्रा के लिये दी गयी विदेशी मुद्रा	१०६९
८६३	टेलीफोन सम्बन्ध . .	१०६९–७०
८६४	डाक-तार पदाधिकारियों का विशेष वेतन . . .	१०७०
८६५	स्थानान्तरित होने वाले पदाधिकारियों के घर पर टेलीफोन कनेक्शन्स	१०७१
८६६	डाक-तार क्वार्टर्स . .	१०७१–७२
८६७	दिल्ली-लखनऊ एक्सप्रेस में सोने के लिए जगह	१०७२
८६८	बहु-प्रयोजनीय खाद्य .	१०७२
८६९	काकिनाड़ा रेलवे यात्री संघ . .	१०७३
८७०	अमरीका से खाद्य उपहार . .	१०७३
८७१	सब से अधिक लम्बा प्लेटफार्म . .	१०७३–७४
८७२	दामोदर घाटी निगम नहरें . . .	१०७४
८७३	नल्ली स्टेशन पर रेलगाड़ी का पटरी पर से उतर जाना	१०७४–७५
८७४	छोटी सिंचाई योजनायें . . .	१०७५
८७५	सोमपुर में अर्जित की गई भूमि के लिये मुआवजा .	१०७५–७६
८७६	बंगलौर-मद्रास लाइन का विद्युतीकरण . .	१०७६
८७७	मध्य प्रदेश को हीराकुड से बिजली . . .	१०७६–७७
८७८	सितम्बर में रेलगाड़ियों का चलना रोक देना	१०७७
८७९	लोकल सैल्फ गवर्नमेंट की केन्द्रीय परिषद् .	१०७७
८८०	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का मैडिकल कालिज	१०७७–७८
८८१	सेवा नगर, नई दिल्ली में नाले पर पुल	१०७८
८८२	ग्राम सड़क निधि . .	१०७८–७९
८८३	मालगाड़ी का पटरी से उतर जाना .	१०७९
८८४	रेलगाड़ियों में आवश्यक वस्तुओं का लगाया जाना	१०७९
८८५	संचार साधनों का विकास . . .	१०७९–८०
८८६	१९६०–६१ में निर्मित ऊपरी पुल .	१०८०
८८७	पंजाब में रेलवे हाई-स्कूल . . .	१०८०

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

प्रतारांकित प्रश्न संख्या

८८८	नई दिल्ली की रिंग रोड पर बिजली की व्यवस्था	१०८१
८८९	पश्चिम बंगाल में तिल के तेल के मूल्य .	१०८१
८९०	सिन्धु-आयोग का काश्मीर का दौरा .	१०८१–८२
८९१	चलती गाड़ियों में यात्रियों की हत्या .	१०८२
८९२	वन्य पशु शरण्य स्थल . .	१०८२
८९३	नई खाई जाने वाली गर्भ-निरोधक दवाइयां . .	१०८२–८३
८९४	होस्पत-कोट्टूर को हरिहर से मिलाना .	१०८३–८४
८९५	त्रिवेन्द्रम्-नागपुर रात्रि विमान डाक सेवा . .	१०८४
८९६	चिकित्सा में लाइसेंस वाला पाठ्यक्रम	१०८४
८९७	सागर में एक रेलवे ऊपरी पुल का निर्माण .	१०८५
८९८	रेल की पटरियों में ग्रात्म-निर्भरता . .	१०८५–८६
८९९	बी० ग्राई० एस० एन० जहाज "डरेसा" की क्षति	१०८६
९००	पश्चिम रेलवे में मालगाड़ियों से चोरियां . .	१०८६–८७
९०१	उत्तर कनारा जिले (मैसूर) में शरावती पुल .	१०८७
९०२	केन्द्रीय सिंचाई ग्रौर बिजली बोर्ड .	१०८७
९०३	बाल पक्षाघात . . .	१०८८
९०४	पंजाब में पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों का विकास	१०८८
९०५	पठानकोट-जवानवाला रेल लाइन	१०८९
९०६	रेलगाड़ी में प्रधानाध्यापिका की हत्या	१०८९

स्थगन प्रस्ताव १०८९–९२

ग्रध्यक्ष महोदय ने दर्शना की चौकी पर पाकिस्तानी ग्रधिकारियों द्वारा भारतीय ग्रधिकारियों के एक दल को परेशान किये जाने की कथित घटना के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव को, जिसकी सूचना सर्वश्री स० मो० बनर्जी, तंगामणि ग्रौर वाजपेयी ने दी थी, पेश करने की ग्रनुमति नहीं दी।

सभा पटल पर रखे गये पत्र १०९२–९३

(१) भारतीय टेलीग्राफ ग्रधिनियम, १८८५ की धारा ७ की उप-धारा (५) के ग्रन्तर्गत दिनांक ४ नवम्बर, १९६१ की ग्रधिसूचना संख्या जी० एस० ग्रार० १३५१ में प्रकाशित भारतीय टेलीग्राफ (ग्यारहवां संशोधन) नियम, १९६१ की एक प्रति।

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र—जारी

(२) कम्पनीज समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९-क की उप-धारा (१) के अन्तर्गत इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड का वर्ष १९६०–६१ का वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति लेखापरीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महा-लेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

*(३) मोटर गाड़ी अधिनियम, १९३९ की धारा १३३ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिल्ली मोटर गाड़ी नियम, १९४० में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक १ जून, १९६१ के दिल्ली गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एफ–१२/५७/६०–ट्रांसपोर्ट की एक प्रति ।

(४) मोटर गाड़ी अधिनियम, १९३९ की धारा १३३ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक ३० अगस्त, १९६१ के अन्देमान और निकोबार गजट में प्रकाशति अधिसूचना संख्या १७३/एफ० ६८–१२०/६०-पब, जिसमें अन्देमान और निकोबार द्वीप समूह (सरकारी गाड़ियों के कंडक्टरों को लाइसेंस देना) नियम, १९६१ दिये हुये हैं ।

(ख) मनीपुर मोटर गाड़ी नियम, १९५१ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक ५ सितम्बर, १९६१ के मनीपुर गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या २५/२०/६१–१ (टीपीटी) ।

राज्य सभा से संदेश १०९३

सचिव ने सभा को यह बताया कि राज्य सभा ने लोक-सभा द्वारा ८ सितम्बर, १९६१ को पारित जमा धन बीमा निगम विधेयक १९६१ को बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है ।

मंत्री द्वारा वक्तव्य १०९४–९५

कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) ने कृषि आयोग के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या ११२८ पर श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी द्वारा १ सितम्बर, १९६१ को पूछे गये एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर को शुद्ध करने के लिये एक वक्तव्य दिया और उन मदों की एक सूची भी सभा पटल पर रखी जिन्हें आयोग की नियुक्ति के समय उनके निर्देश पदों में सम्मिलित किये जाने का सुझाव सरकारों ने दिया है ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा . . १०९५––११०८

श्री स० मो० बनर्जी ने पाकिस्तान के सैनिक न्यायाधिकरण द्वारा कर्नल भट्टाचार्य की दोष सिद्धि और कारावास के बारे में चर्चा उठाई । विधि मंत्री (श्री अ० कु० चन्दा) ने वाद-विवाद का उत्तर दिया और चर्चा समाप्त हुई ।

विषय	पृष्ट
संघ लोक सवा आयोग के दसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . .	११०८—१८

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री दातार ने १ अप्रैल, १९६१ को लोक-सभा पटल पर रखे गये संघ लोक सेवा आयोग के दसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव किया। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

गुरुवार, ३० नम्वम्बर, १९६१/९ अग्रहायण, १८८३ (शक) के लिये कार्यावलि—

संघ लोक सेवा आयोग के दसवें प्रतिवेदन के बारे में अग्रेतर विचार और वर्ष १९६१–६२ के लिये रेलवे के अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर विचार।

GMGIPND—LSIII—1617 (Ai)LSD—1-1-62—125